हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 17 नवंबर, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

17.11.2026/1100/AT/DC/-01

अध्यक्ष : प्रश्नकाल आरंभ।

श्री बिक्रम सिंहः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्यों ने नियम-67 के अन्तर्गत नोटिस दिया हुआ है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः I have received a Notice under Rule-67. ...(व्यवधान) आपने नोटिस दिया है I am applying my mind on it. ..(व्यवधान) ठीक है but the main issue is, admission of the Notice. Whether it should be permitted ?

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री)ः आपका विषय भी प्रश्नकाल के बाद चर्चा के लिए लिया जाएगा।....(व्यवधान)

Speaker: Please be seated. ...(व्यवधान) आप चाहते हैं कि इस पर अभी चर्चा हो जाए, प्रश्नकाल के बाद नहीं? चलिए, पहले इस बात पर अपनी राय दीजिए कि नोटिस स्वीकार किया जाए या नहीं। Who wants to speak? कौन बोलना चाहता है? माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी बोलना चाहेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, नियम 67 के अंतर्गत विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह और श्री सुधीर शर्मा द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है हम उस पर चर्चा चाहते हैं क्योंकि यह एक गंभीर विषय है। मेरा मानना है कि यदि आप इस पर पहले अपना निर्णय दे दें, तो आगे की कार्यवाही को लेकर हम उसके बाद विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, वैसे भी कुछ बातों को लेकर मैं सदन में अध्यक्ष पद की गरिमा का सम्मान करता हूं। इसके बावजूद कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें नियमों के अनुरूप नहीं लगती। पिछले कल जो बिजनेस हाउस में नहीं चल पाया क्योंकि शोकोद्गार के बाद ये सदन स्थगित हो गया था। सदन स्थगित होने के बाद आपने व्यवस्था दी थी कि आज के लिए निर्धारित कार्यसूची को कल की कार्यसूची में शामिल किया जाएगा। ऐसा किया भी गया, लेकिन उसमें आपने परिवर्तन कर दिया। जो नोटिस डिस्कशन के लिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से संबंधित था, वो विलोप हो गया।

TCV continues…

17.11.2026/1105/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
श्री जय राम ठाकुर.... जारी

यानी वह आज के बिजनेस में नहीं है। जबकि आपने नियमों के अनुसार जो व्यवस्था दी थी, उसके अनुसार वह होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं है। उसके स्थान पर आपने नियम-130 के अंतर्गत श्री केवल सिंह पठानिया और श्री सुरेश कुमार जी का बी0बी0एम0बी0, जे0एस0डब्ल्यू0, वाइल्डफ्लावर हाल और कशाऊ बांध को लेकर नया नोटिस लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, यदि आपने उस नोटिस को सूची से और उसके विषय को कार्यसूची से हटा भी दिया था तो निश्चित रूप से प्राथमिकता माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी के नोटिस को मिलनी चाहिए थी। लेकिन आपने उसे भी दूसरे नंबर पर रखा है। आपने कल नियम-130 के अंतर्गत लगा हुआ श्री केवल सिंह पठानिया जी का नोटिस विलोपित करके उसी स्थान पर दूसरा नोटिस लगा दिया। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था नियमों के अनुरूप नहीं है। जब ऐसी स्थिति सदन में प्रस्तुत होती है तो हमें लगता है कि विपक्ष के साथ थोड़ा धोखा हो रहा है और चार साल धोखा/धक्के खाते-खाते ही इसी तरह गुजर गए हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पूरे विषय पर हमें स्पष्टीकरण दिया जाए और जानकारी दी जाए कि ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण नियम-130 के अंतर्गत दिया गया नोटिस विड्रा कर दिया गया और उसकी जगह दूसरा नोटिस लगा दिया गया। यदि दूसरा नोटिस लगाया गया था तो पहले श्री जीत राम कटवाल जी के नोटिस को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने वह प्राथमिकता नहीं दी। इन सारी बातों के कारण विपक्ष आघात और पीड़ा महसूस कर रहा है। इसलिए नियम-67 के संबंध में भी मेरा निवेदन है कि इस पर पहले ही व्यवस्था दे दी जानी चाहिए। जब हम नियम-67 के अंतर्गत नोटिस दे चुके हैं तो उस पर फैसला आने के बाद ही हम अगली बात कर सकेंगे।

17.11.2026/1105/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने यहां विपक्ष को हो रही पीड़ा की बात की है और नियम-130 का भी जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, आज यदि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा

है तो वह हिमाचल के हकों की लड़ाई है, जिसे वर्तमान सरकार ने लड़ी है और जिससे हिमाचल प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बी0बी0एम0बी0 के एरियर्स की जो लड़ाई हिमाचल प्रदेश ने लड़ी है, वह अंततः जीती गई है। वर्ष 1996 के बाद आज यह लड़ाई जीती गई है और यह चर्चा का महत्वपूर्ण विषय है कि इससे हिमाचल प्रदेश को क्या फायदा हो रहा है तथा हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपये मिलेंगे। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है?

अध्यक्ष महोदय, जे0एस0डब्ल्यू0 की लड़ाई भी लड़ी गई है और इससे हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? वाइल्डफ्लावर हिल की जो लड़ाई लड़ी गई है उसमें एकमुश्त 200 करोड़ रुपये मिले हैं और शेष राशि हर महीने मिलनी है। क्या यह लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं है? अध्यक्ष महोदय, आप यह डिसाइड कीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : Please take your seats(to Members of Opposition). Let the Hon'ble Deputy Chief Minister express his view. ...(Interruption).

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज यह डिसाइड करना है कि हिमाचल के हक जो over the years, decades से लंबित थे, यदि वह लड़ाई आज जीती गई है तो हाउस में सबसे पहले उसी पर डिस्कशन होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये मिलेंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आपने वह नोटिस क्यों लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत स्ट्रेंज और अचंभित करने वाली बात है जो दूसरी तरफ से आ रही है। इसलिए सबसे पहले इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को जो फायदा होने जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के कोष को हजारों करोड़ रुपये का जो लाभ होने जा रहा है, उस पर डिस्कशन की जाए। ...(व्यवधान)

Speaker: Please take your seats. ...(Interruption). Please take your seats. Please take your seats. ...(Interruption). एक मिनट बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाइये ...(व्यवधान)

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी

17-11-2026/1110/NS-HK/1

अध्यक्ष ------जारी

...(व्यवधान) Please, please take your seats ...(Interruption) एक मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए। मैं बताता हूं। ...(व्यवधान) Please, please take your seats ...(Interruption) Please, please take your seats ...(Interruption) एक मिनट बैठ जाइए। आपने दो विषय उठाए हैं। मैं आपके दोनों विषयों का जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान) माननीय रणधीर जी बैठ जाइए। अब क्या है? चलो, इन्होंने बोला। ...(व्यवधान) ऐसा तो कुछ नहीं है। जब वह विषय चर्चा में आएगा तो आप खुलकर अपनी बात रखना। मैं अभी आपको व्यवस्था दे रहा हूं। ...(व्यवधान) फिर आप बोलेंगे। Please, please, let us decide it now. ...(Interruption) Let us decide Rule-67. ...(Interruption) Let us decide Rule-67. ...(Interruption) I am deciding it now. ...(Interruption) I am deciding it. माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दो विषय उठाए हैं। पहला विषय यह है कि कल मैंने व्यवस्था दी कि पिछले कल का बिजनेस आज की कार्यसूची में शामिल किया जाएगा। मैंने ऐसा कहा था। आप अगर कार्यसूची में देखेंगे क्योंकि उस संबंध में सभी नोटिस हमें प्राप्त हुए हैं। कोई नया नोटिस नहीं आया है। जिस नोटिस का आप रेफरैंस दे रहे हैं वह पहले से ही हमारे पास रिसीव्ड है। जब विधान सभा को इन विषयों की प्राथमिकता तय करनी थी तो हमें लगा कि यह विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम पहले नम्बर पर लगाते हैं क्योंकि सभी सदस्यों के अनेक विषय आए हैं। ...(व्यवधान) एक मिनट प्लीज ...(Interruption) Now listen to me first. क्योंकि सभी माननीय सदस्यों के बहुत सारे इश्यूज आए हैं। किसी का एक, किसी के तीन और किसी के चार विषय हैं। इसलिए हमें कार्यसूची में इस बात का ध्यान रखना पड़ रहा है कि विपक्ष के सदस्यों के विषय भी शामिल हों और सत्ता पक्ष के सदस्यों के विषय भी शामिल हों ताकि कार्यसूची एकतरफा न हो। इसी आधार पर हमने प्राथमिकता तय की थी। लेकिन कल माननीय सदस्य ने लिखित रूप में दिया कि वह इस विषय को वापस लेते हैं। We permitted that and that is my prerogative. ...(व्यवधान) अब इसकी प्राथमिकता आप बाद में तय कर लीजिए। कल फिर इसकी प्राथमिकता तय कर देंगे लेकिन अभी तो नियम-67 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चौदहवीं विधान सभा में अब तक नियम-67 के अंतर्गत लगभग 13 एडजॉनमैंट मोशन्ज इस माननीय सदन में

डिस्कस हुए हैं। इनमें से केवल तीन प्रस्ताव अस्वीकार किए गए हैं। एक मार्च, 2023 में अस्वीकार हुआ, दूसरा 4 मार्च, 2023 को अस्वीकार हुआ और तीसरा 4, 2026 को 17-11-2026/1110/NS-HK/2

अस्वीकार हुआ। Rest, all the Notices under Rule-67, Motions under Rule-67 brought by the Members of the Opposition, have been admitted and discussed in this Hon'ble House. It is very open. डिस्कशन के लिए मैं नियमों को तभी लागू करूंगा जब आपके बीच सहमति नहीं बनेगी, तब मैं रूल अप्लाई करूंगा। अभी तो मैं यह चाहता हूं कि आपने जो विषय उठाया है उस पर पहले सरकार का दृष्टिकोण नियम-67 पर क्या है उसको देखा जाए। फिर मैं नियमों का हवाला देते हुए उस पर अपना निर्णय दूंगा। I would request the Hon'ble Deputy Chief Minister to clarify whether the Government is ready to discuss the Motion under Rule-67 or whether it has a different viewpoint?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 पर बात की है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो बात हम कर रहे हैं आप उस पर भी अपना दृष्टिकोण दें। ...(व्यवधान) देखिए, ऐसा है कि हम कह रहे हैं कि बी0बी0एम0बी0 की लड़ाई लड़ी गई और माननीय जय राम जी के समय में उसे लॉजिकल ऐंड तक नहीं पहुंचाया जा सका। वे भी पांच वर्ष तक मुख्य मंत्री रहे। ...(व्यवधान) ये लॉजिकल ऐंड तक नहीं पहुंचा पाए। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने यह निर्णायक लड़ाई लड़ी है।

अध्यक्ष : यह नियम-130 में चर्चा के लिए लगा है। ...(व्यवधान)

उप- मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप न्याय की कुर्सी में बैठे हैं। मेरा आपसे यह आग्रह है कि

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

17.11.2026/1115/RKS/HK-1

उप-मुख्य मंत्री... जारी

मौजूदा सरकार ने जो प्रदेश का भविष्य तय किया है, चाहे वह बी0बी0एम0बी0 का इश्यू हो, जे0एस0डब्ल्यू0 का इश्यू हो, वाइल्ड फ्लावर हॉल का इश्यू हो या फिर किशाऊ बांध का इश्यू; इन सभी इश्यूज पर जो निर्णय हुए हैं उनसे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को व्यापक लाभ होने जा रहा है। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? नियम-67 के अंतर्गत अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट इश्यू उठाया जाता है? यह इश्यू तो पिछले कल भी लगा था, आज भी लगा है और परसों भी लगेगा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश का भविष्य है जिसे इस सरकार ने सैटल किया है। अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता तो यह है कि विपक्ष की ओर से प्रस्ताव लाया जाना चाहिए कि मौजूदा सरकार को बधाई दी जाए। इस सरकार ने एक निर्णायक जंग जीती है। ...(व्यवधान) हम इससे भी आगे की बात कहना चाहते हैं।...(व्यवधान) हमने प्रदेश के भविष्य के लिए एक निर्णायक जंग जीती है।...(व्यवधान) वर्ष 1996 में हमने केस किया था और अब हमने इस जंग में जीत भी हासिल की है।...(व्यवधान) विपक्ष जिस भी विषय पर चर्चा लाना चाहता है, यह सरकार उस चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष जो मर्जी चर्चा लेकर आ जाए हम इसके लिए तैयार है। ...(व्यवधान) आप चर्चा कीजिए। आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? आज की चर्चा का विषय यही है कि इस सरकार ने एक निर्णायक जंग जीती है। आप बताइए कि आप कौन-सी चर्चा लाना चाहते हैं?

Speaker : I am admitting notice under Rule-67 because the Government is ready to get it discussed in the Hon'ble House. I am ready to admit it. Therefore, the items, which have been listed for today's Business, Question Hour also, the rest of the items will take the second priority and I will request the Hon'ble Leader of the Opposition to start the discussion under Rule-67. ठाकुर साहब आप नियम-67 में सारी बातें रेफर कर देना। ...(व्यवधान) मैंने नियम-67 एडमिट कर दिया है। They are accepted it. You start the discussion now. ...(Interruption) You start the discussion now. जब नियम-130 में चर्चा होगी तो उस समय आप अपनी बात रख लेना लेकिन अभी आप नियम-67 में अपनी बात

रखें।...(व्यवधान) यह इश्यू तीन माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज, श्री बिक्रम सिंह और श्री रणधीर शर्मा जी की ओर से प्राप्त हुआ है। If they want to initiate this, they can do it. 17.11.2026/1115/RKS/HK-2

ठाकुर साहब आप बाद में अपनी बात रख लेना पहले आप इन तीनों माननीय सदस्यों को बोलने दें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके रेफरेंस में कुछ बात कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आपको 5 दिन तक चर्चा के लिए काफी समय मिलेगा। आप नियम-130 के अंतर्गत अपनी बात रख लेना क्योंकि अभी तो इसका रेफरेंस भी नहीं आएगा कि नियम-130 के अंतर्गत क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? क्योंकि नियम-130 का विषय अभी चर्चा के लिए नहीं है। मैंने यह कह दिया है कि सभी माननीय सदस्यों के इश्यू लगाने पड़ते हैं। ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कृपया आप नियम-67 में अपनी बात शुरू करें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस पर थोड़ा-सा जिक्र करना चाहूंगा।

अध्यक्ष : आप नियम-67 पर चर्चा शुरू कीजिए। उसके बाद आप इस पर रिबट कर दीजिए। जो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा है, आप उसका जवाब दे दीजिए। आप इस प्रकार कह सकते हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें मैं इस तरीके से सदन के समक्ष रखता हूं। आप नियम-67 में अपनी बात रखिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि बहुत मुश्किल से मुकेश जी को एक दिन मिला है और वह भी ये खराब कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि आपको एक दिन भी पूरा मिलेगा या नहीं लेकिन तब तक महाराज जी प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद फिर तो

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.11.2026/1120/बी.एस./वाई.के.-1

(...व्यवधान..)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, नियम 67 के अंतर्गत विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ठाकुर, श्री रणधीर शर्मा एवं श्री सुधीर शर्मा द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है मैं उस पर अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में विधान सभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है यह मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली वर्तमान कांग्रेस सरकार का अंतिम शीतकालीन सत्र है। अगली बार जब हम यहां शीतकालीन सत्र के लिए एकत्रित होंगे तो चुनाव हो चुके होंगे। आप यह मानकर चलिए कि आप में से कुछ सदस्य इधर होंगे और कुछ सदस्य इधर भी नहीं पहुंच पाएंगे और इधर के सदस्य उधर होंगे यह सच्चाई है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि वर्तमान कांग्रेस सरकार अपने चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा तो किया है लेकिन सरकार चली नहीं है। सरकार गिरते-पड़ते और लड़खड़ाते हुए चली है। पहले पूरा हिमाचल प्रदेश एक कोने से दूसरे कोने तक आपदा के कारण बुरी तरह तबाह हुआ है। इसके बाद तबाही की जो थोड़ी-बहुत कसर बाकी रह गई थी उसे वर्तमान सरकार ने पूरा कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को चार दशक पीछे धकेल दिया है।

अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो वह अपने विजन और दृष्टिकोण के साथ काम करने की शुरुआत करती है। मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने के बाद स्वाभाविक रूप से नई सरकार को अपनी सोच के अनुसार काम करने का अवसर मिलता है। लेकिन इस सरकार का अभी मंत्रिमंडल भी गठित नहीं हुआ था। मंत्रिमंडल के गठन से पहले केवल मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मंत्री ने शपथ लेने के बाद हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले जाने के लिए काम शुरू कर दिया। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा करने का निर्णय लिया। इसके साथ-ही-साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के

पिछले छह महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जितने भी विकास कार्य किए गए थे उन्हें रद्द करने का निर्णय लिया। इस तरह से इस सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की। हम यह कहना चाहते हैं कि जब

17.11.2026/1120/बी.एस./वाई.के.-2

आपकी शुरुआत ही गलत हुई है तो उसका अंजाम आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसका परिणाम भी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा। इससे पहले भी आपको कई झटके लग चुके हैं। सरकार बनने के एक वर्ष बाद ही आपके विधायक आपको छोड़कर चले गए। लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आपके सामने हैं। चारों-की-चारों लोकसभा सीटों पर आप पराजित हुए हैं। राज्य सभा की सीट पर बहुमत होने के बावजूद भी आप चुनाव हार गए। इसके बाद ताजा-ताजा जो पीड़ा आपको हुई है उससे आप अब मुक्त नहीं हो सकते हैं। यह पीड़ा आपको आगामी विधान सभा चुनाव तक बनी रहेगी। यह पीड़ा इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव न करवाने का फैसला आपने किया है।

आप लोकतंत्र की बातें तो करते हैं लेकिन लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास आपने किया है। लोकतंत्र की सबसे छोटी और सबसे मूल इकाई को कुचलने का प्रयास किया गया है। आपने यह फैसला किया कि चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने यह फैसला किया कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। इसी उद्देश्य से हम उच्च न्यायालय गए।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

17.11.2026/1125/DT/yK-1

श्री जय राम ठाकुर जारी ....

तो हाईकोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाइए। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा कि जब कोविड के दौरान हमारी सरकार के समय चुनाव हो सकते हैं तो अभी चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

31 मई से पहले चुनाव करवाइए। फजीहत-दर-फजीहत हो रही है। हर बात को लेकर फजीहत होने के बावजूद भी सीखने की सोच नहीं आई। इतनी बार फजीहत होने के बावजूद भी आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है?

अध्यक्ष महोदय उसके बाद जो परिणाम आया उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। भरमौर से सिरमौर तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कांग्रेस पार्टी के उन लोगों की सफाई हो गई जो चुनाव लड़े थे। आप कल्पना कीजिए कि छोटा-सा हिमाचल प्रदेश है जिसमें 12 जिले हैं इन 12 जिलों में जिला परिषद के चुनाव में 11 जिलों में भारतीय जनता पार्टी जीती है और एक जिले में कांग्रेस पार्टी एक वोट से जीती है।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब उस जिला का नाम भी बता दीजिए?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय वह आपका जिला चम्बा है। जहां मैं कह सकता हूं कि कहीं-न-कहीं आपकी भूमिका रही होगी। लेकिन इस कमी को भी हम आने वाले विधान सभा चुनाव में पूरा करेंगे। यह हकीकत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जमीनी संदेश बहुत साफ है। यह एक स्पष्ट और मजबूत संदेश है जो बहुत ऊंची आवाज में दिया जा रहा है लेकिन यदि आपको जमीनी स्तर का यह संदेश सुनाई नहीं दे रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद हम आपको कुछ कहें तो मुझे लगता है कि यह उचित नहीं होगा। संदेश स्पष्ट है कि आप जाने वाले हैं और यह आपको रुखसत करने का संदेश है और विदाई की शहनाई बज गई है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। आदरणीय मुकेश जी,यह आपने हमको सुनाया था लेकिन आज हम आपको ही सुना रहे हैं

17.11.2026/1125/DT/yK-2

इसलिए हकीकत को समझें और उसे स्वीकार भी कर लें। हमारा यह गंभीर आरोप है कि आज हिमाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार को हिमाचल प्रदेश के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार केवल अपना कार्यकाल पूरा करना चाह रही है ताकि उस पर यह धब्बा न लगे कि सरकार बनी थी और बीच में ही रह गई। दूसरा, हमारा आरोप है कि आने वाले समय में विधान सभा के चुनाव किस प्रकार लड़ने हैं और उसके लिए सारी

चीजों का मैनेजमैंट किस तरह करना है इस दिशा में सरकार के नेता बड़े स्तर पर ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं जिनसे इस प्रदेश को नुकसान पहुंच रहा है। मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसके साथ-साथ मेरा आरोप है कि नेताओं को देखकर अधिकारियों को भी लग रहा है कि जब नेता ही ऐसा कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहें। इसलिए वे भी आगे बढ़कर ऐसा करने में लगे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार की ऐसी स्थिति बन गई है जिसे हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। आज अध्यक्ष महोदय यदि हमें इस संबंध में नियम- 67 के अन्तर्गत चर्चा लानी पड रही है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमें विवश होना पड़ रहा है। इसकी वजह से हम इस विधान सभा के अंदर वर्षों से हैं और वर्षों से हमने इस विधान सभा में देखा है कि पहले छिटपुट बातें सुनने को मिलती थीं लेकिन यहां तो अब छिटपुट बातें भी नहीं रही हैं। आज हर चौक-चौराहे पर यह चर्चा का विषय बन गया है कि इतना ले लिया, इतना कर लिया, ऐसा कर लिया और यह काम करने का तरीका बन गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि यह पहली बार हुआ है जब भ्रष्टाचार को इंस्टिट्यूशनलाइज किया गया है। इंस्टिट्यूशनलाइज कैसे किया गया है? इसके लिए चीजें पहले से ही तय कर दी गई हैं। 118 के लिए कौन आदमी और कौन मित्र निर्धारित है यह तय कर दिया गया है। दुनिया बोल रही है कि 118 की परमिशन लेनी है तो वहां जाइए। यह साफ तौर पर तय कर दिया गया है।

हमने 118 का प्रावधान ऑनलाइन किया था लेकिन आज ऑनलाइन का जो मैकेनिज्म है उसे रोक दिया गया है। मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया है? आज डिप्टी कमिश्नर के यहां से 118 की फाइल तभी मूव होती है जब डिप्टी

17.11.2026/1125/DT/yK-3

कमिश्नर को ऊपर से कम्युनिकेशन जाता है कि 118 के सिलसिले में यह फाइल आपके पास आई है और यह आग्रह आपके पास आया है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

17.11.2026/1130/ए.जी.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर..... जारी

इसको भेजो और वह फोन तब जाता है जब व्यवस्थाएं अनुकूल हो जाती हैं यानी के सही जगह पहुंच जाती हैं। आज यह स्थिति है। इसी प्रकार हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हो रहा है। हमें इस बात को लेकर गर्व है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। उस समय हिमाचल प्रदेश में दूर-दूर तक इंडस्ट्री आने की संभावना नहीं लगती थी, लेकिन उस इंडस्ट्रियल पैकेज की वजह से यहां पर इंडस्ट्री आने की संभावनाएं बनीं। उस पैकेज के कारण इंडस्ट्रीज़ आने के बाद और उन इंडस्ट्रियल एरियाज़ की वजह से हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। एशिया की सबसे बड़ा फार्मा हब अगर कहीं पर है तो वह हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में है। आज वहां पर हालात देखिए। कबाड़ का काम किसको देना है? कबाड़ को दूसरी भाषा में स्क्रैप बोलते हैं। स्क्रैप का काम किसको देना है, इसके लिए भी आदमी तय किए हुए हैं। इस व्यक्ति के माध्यम से आप फोन करिए, तब जाकर स्क्रैप का काम मिलेगा। फोन होने के बाद इंडस्ट्री वाले को काम देना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी-बड़ी सप्लाई कौन देगा, तो उसका इंतजाम करने के लिए बड़े हाउसेस, जिनके माध्यम से सप्लाई होनी है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कौन करेगा, उसके लिए भी व्यवस्था के तहत आदमी तय किए हुए हैं। शिक्षा विभाग में सप्लाई का काम कौन देखेगा? शिक्षा विभाग में जो सप्लाई होती है, उसके लिए भी आदमी तय किए हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन में 29 साल हो गए हैं। इतने लम्बे समय में मैंने इस तरह का संस्थागत भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं देखा था, जो मैं अबकि बार देख

रहा हूं। यह सब देखकर सचमुच में पीड़ा होती है। एक-एक चीज के लिए आदमी तय किया हुआ है। बिजली विभाग में सप्लाई का काम करने के लिए, जो-जो टेंडर होंगे,

17.11.2026/1130/ए.जी.-एन.जी./2

उन सारी चीजों को लेकर किस प्रकार से मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके लिए भी आदमी तय किए हुए हैं। बड़े लेवल के जो टेण्डर होते हैं, उन टेण्डरों में किस कंपनी को स्पोर्ट करना है और उसकी कंडीशन तय करने के लिए भी आदमी तय किए हुए हैं। इसी प्रकार हर जगह हर काम के लिए आदमी तय किए हुए हैं। हम हिमाचल प्रदेश में पहली बार सुक्खू महाराज (माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी) के नेतृत्व में इस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े तीखे प्रश्न करना चाहता हूं और मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेंगी। मैं शिक्षा विभाग से शुरू करता हूं। डिजिटल क्लासरूम के लिए 777 स्कूलों का चयन हुआ। उसके लिए 142 करोड़ 38 लाख की निविदा निकाली जानी थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया के बिना सीधे नॉमिनेशन पर काम दे दिया गया। यह काम किसको दिया गया? अब सत्तापक्ष के लोग बोलेंगे कि वह तो सरकारी उपक्रम है। आप बोलेंगे कि तथ्य देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से निविदा निकाली गई थी और उस वक्त सिर्फ 430 स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लासरूम का प्रावधान किया गया था। वहां पात्रता, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए टेंडर की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, उसको भी आपने छोड़कर सीधे-सीधे एक एजेंसी को लगभग दोगुने यानी के 777 स्कूलों का काम बिना प्रतिस्पर्धा या बिना टेण्डर के दे दिया है। खासतौर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो नियम हैं, जिन्हें जनरल फाइनेंशियल रूल्स यानी GFR कहते हैं, उनके अंतर्गत निर्धारित सीमा से ऊपर की खरीद विज्ञापित खुली निविदा के माध्यम से ही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और मामला कितना है

ए0टी0 द्वारा.....जारी

17.11.2026/1135/AT/AG/-01

श्री जय राम ठाकुर जारी .....

मामला 142 करोड़ रुपये का है और जिस अधिकारी के माध्यम से यह सारा इंतजाम हुआ, उसे आपने सेवानिवृत्ति के बाद दूसरी जगह भी नवाज दिया। आखिरकार आपकी क्या व्यवस्था है? आपने उसी अधिकारी को हिमाचल प्रदेश में नए प्रशासनिक जिले बनाने के लिए गठित आयोग का सदस्य भी बना दिया है।

मैं सीधे-सीधे सभी विषयों को सामने रखना चाहता हूं। यह भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है। इसमें करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। यह जांच का विषय है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए तथा हम इसकी जांच करवाएंगे। इस विषय को लेकर मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। फिलहाल मैं इस विषय को यहीं छोड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आगे बात करूं तो आर0डी0एस0एस0 (RDSS) योजना का विषय है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऊर्जा राज्य होने के बावजूद यहां बिजली के कट लग रहे हैं, बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है और कम वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। ट्रांसफार्मर कई-कई महीनों तक बंद रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आर0डी0एस0एस0 योजना के अंतर्गत सरकार ने स्वयं माना है कि प्रदेश में बिजली की हानियों को कम करने के लिए लगभग 4,115 करोड़ रुपये की यह योजना लागू की गई थी, जिसकी प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि 5,845 नए वितरण ट्रांसफार्मरों में से केवल 926 ट्रांसफार्मर ही लगाए गए हैं। यानी मात्र 16 प्रतिशत कार्य हुआ है। इनमें से केवल 184 ट्रांसफार्मर ही लोड पर चालू हैं जो कि लगभग 3 प्रतिशत हैं। शेष 742 ट्रांसफार्मर लगाए जाने के बावजूद बेकार खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे विषय को लेकर यह जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण हैं कि जिस कंपनी को निर्धारित समयावधि में यह कार्य पूरा करना था वह एक वर्ष में भी इसे पूरा नहीं कर पाई? इसके बावजूद कार्य पूरा करने की समय-सीमा 5 मार्च,

17.11.2026/1135/AT/AG/-02

2026 से बढ़ाकर 5 मार्च, 2027 कर दी गई और कंपनी को एक वर्ष का अतिरिक्त समय दे दिया गया।

जो कंपनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने और उसका टेंडर रद्द करने के बजाय उसे एक वर्ष का अतिरिक्त समय कैसे दे दिया गया? अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आखिर वह कौन-सा अधिकारी है, जिसने एक वर्ष का यह एक्सटेंशन दिया? जबकि नियमानुसार यदि कोई कंपनी निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं कर पाती और अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहती है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए तथा उसका कार्य रद्द किया जाना चाहिए। टेंडर में भी इस संबंध में प्रावधान था कि उसका टेंडर रद्द किया जा सकता था लेकिन इसके बावजूद उसे एक वर्ष का एक्सटेंशन दे दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपस में मिल कर के काम करना है। इसमें बड़े नेता और बड़े अधिकारी शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के ये गंभीर आरोप हैं। इस मामले में सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आ रही है। इन सभी तथ्यों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है की नहीं है।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम देखते थे कि इस माननीय सदन में एक विषय को लेकर बहुत शोर मचाया जाता था। बार-बार 'पेखुबेला, 'पेखुबेला' का जिक्र किया जाता था। आजकल वह शोर कुछ बंद हो गया है और 'पेखुबेला' का जिक्र भी कम हो गया है। मैंने पिछले सदन में भी इस विषय को उठाया था कि यदि पूरे देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का कोई जीता-जागता उदाहरण देखना है तो 'पेखुबेला' उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस विषय को लेकर हमाने कान खा लिये कि 'पेखू बेला, पेकू बेला' हमने लगा दिया। इसके पीछे जो राज था, इतना जोर से इतना वॉसिफेरस हो कर बोलना

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी.....

17.11.2026/1140/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
नियम-67 के अंतर्गत चर्चा ... जारी
श्री जय राम ठाकुर.... जारी

मुझे इसके पीछे का राज समझ रहा था कि इतना जोश और इतने आवेश में होकर बोलने की वजह क्या है। मैं समझ रहा था कि यह ऊर्जा कहां से आ रही है। यह ऊर्जा किसी और वजह से आ रही थी क्योंकि जिस कंपनी को काम दिया गया था, उसका अंदाजा लगाइए। पेखूबेला के 32 मेगावॉट के सोलर प्रोजैक्ट पर सरकार ने 220 करोड़ रुपये खर्च किए। इस प्रोजैक्ट के टेंडर की सारी शर्तें बदल दी गईं क्योंकि मित्र हैं तो मित्रों की मदद तो करनी ही पड़ेगी और करते भी हैं लेकिन ये खास मित्र थे इसलिए इनके लिए अधिक मदद करनी पड़ी। इस प्रोजैक्ट की कॉस्ट लगभग डेढ़ गुना से भी अधिक हो गई।

अध्यक्ष महोदय, हमने दूसरे राज्यों में 35 मेगावॉट के सोलर प्रोजैक्ट देखे हैं जिन पर 140 करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं हुए। यहां तो प्रोजैक्ट 35 मेगावॉट का भी नहीं है बल्कि कुल 32 मेगावॉट का है और इस पर 220 करोड़ रुपये खर्च किए गए। आखिरकार इस विषय का जिक्र करते-करते शायद प्रकृति को भी लगा कि न्याय होना चाहिए और अंततः आपदा आई जिसमें पेखूबेला का वह प्रोजैक्ट बहकर चला गया तथा उसका नामोनिशान तक नहीं रहा। अब उसे थोड़ा-बहुत शुरू किया जा रहा है और उसे रिस्टोर करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसमें क्या वजह रही? अंततः बात फिर वहीं आकर रुकती है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है और इस प्रकार सभी चीजों में खुला संरक्षण मिलना इसकी सबसे बड़ी वजह है।

अध्यक्ष महोदय, आगे मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बचाने की बात कही गई और इसके लिए कहा गया कि यहां डीजल की बसें बंद होनी चाहिए। हमने कहा कि यदि आप इस दिशा में काम करना चाहते हैं तो कीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल और

इलेक्ट्रिक बसें लेने का फैसला हमारी सरकार ने भी लिया था। लेकिन यह विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है। मुझे मालूम नहीं कि इनकी बात सुनी गई या नहीं। यदि उनकी बात सुनी होगी तो मानी नहीं गई होगी, ऐसा लगता है। आपने हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 424 करोड़ रुपये खर्च किए। आपने 297 बसें खरीदीं और प्रति बस लगभग 1.45 करोड़ रुपये खर्च किए। जब हमारे समय में थोड़ी बसें खरीदी गई थीं तब

17.11.2026/1140/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

आपने विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाया था कि हमने चाइना की बसें खरीद लीं। उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि बसें दूसरी जगह से उपलब्ध नहीं थीं। हमारी सरकार ने सिर्फ कुछेक बसें खरीदी थीं। आपने बसें खरीदने के लिए हैदराबाद की एक कंपनी को चुना। यह हैदराबाद की कंपनी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। पहले भी हिमाचल प्रदेश में हैदराबाद की कंपनियों का एक दौर रहा है। उस समय हैदराबाद की कंपनियों ने हमारे हाई लेवल सैक्टर में प्रवेश करके पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। अब तेलंगाना और हैदराबाद की कंपनियां फिर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। आपने 297 बसें खरीदीं और उन पर 424 करोड़ रुपये खर्च किए। यह हैदराबाद की कंपनी है और इसका नाम 'इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटिड' है। इस कंपनी में टेक्नोलॉजी का मेजर पोर्शन चाइना का है। आप बसें खरीदें, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वे बसें चलें तो सही। इसमें टेंडर की शर्त यह थी कि इन बसों को 80 रूटों पर चलाकर ट्रायल करना था और यह ट्रायल 100 प्रतिशत सफल होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री/सरकार से पूछना चाहता हूं क्योंकि मुख्य मंत्री जी के पास यह महकमा है कि बिना ट्रायल के बसें ...(व्यवधान)

एन0एस0 द्वारा .... जारी

17-11-2026/1145/NS-DC/1

श्री जय राम ठाकुर------जारी

खरीद ली गईं और उन्हें लाकर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद जब इन बसों को रूटों पर भेजने की शुरुआत हुई तो क्या हुआ? 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर चलने के

बाद ही ये बसें हांफना शुरू हो गईं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बसें ट्रायल के लिए भेजी गई थीं लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाईं और आधे रास्ते में ही खड़ी हो गईं। यह सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज, प्लीज, ...(व्यवधान) Let me speak. आप बाद में जबाव देंगे। You have ample of opportunities. आपको जवाब देने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। ...(व्यवधान) आपको पूरा अवसर मिलेगा। नहीं,नहीं ऐसा नहीं है।

उप-मुख्य मंत्री : आपने स्पैसिफिक बात की है। आप हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या बसें पहले नहीं आई थीं? ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। हमें न तो पहले अपनी बात रखने दी जाती है और न ही बीच में बोलने का अवसर मिलता है। ...(व्यवधान)

उप- मुख्य मंत्री : आप vague आरोप लगा रहे हैं।

श्री जय राम ठाकुर : यह कोई बेबुनियाद आरोप नहीं है बल्कि मेरा गंभीर आरोप है कि बसें चली नहीं हैं और बिना ट्रायल के ही बसें खरीद ली गई हैं। ...(व्यवधान)

Speaker: Let the Hon'ble Deputy Chief Minister clarify. He is just clarifying the situation. ...(Interruption). उप-मुख्य मंत्री महोदय आप क्या बोलना चाहते हैं?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 297 बसें खरीदने की बात की है। सबसे पहले मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि अभी तक कंपनी को एक भी फूटी कौड़ी का भुगतान नहीं किया गया है। पिछले तीन महीने से इन गाड़ियों का ट्रायल रन चल रहा है। ये गाड़ियां हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर चल रही हैं लेकिन अभी तक कंपनी को एक भी पैसा नहीं दिया गया है। ये कह रहे हैं कि बसें खरीद ली गईं और उनका भुगतान भी कर दिया गया। पिछले तीन महीने से पूरे प्रदेश में इन गाड़ियों का ट्रायल चल रहा है। इनकी शर्त 180 किलोमीटर की थी जबकि सभी गाड़ियों का औसत लगभग 193 किलोमीटर है।

17-11-2026/1145/NS-DC/2

दूसरी बात ये कह रहे हैं कि चीन की गाड़ियां खरीदी गई हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस समय दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और कौन बना रहा है? ...(व्यवधान) आपके समय में भी जो गाड़ियां आई थीं उनकी बैटरी चीन की थी। उससे पहले बाली जी के समय में जो गाड़ियां आई थीं उनमें भी चीन के सेल्स थे और अब भी वही बैटरियां आ रही हैं। यह कंपनी अब तक 4,000 गाड़ियां बना चुकी है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के लिए जो सबसे पहली गाड़ी चलाई गई थी वह भी इसी कंपनी की थी। इसलिए बैटरियां हों या ये गाड़ियां चीन से ही आ रही हैं। ये बैटरी रन व्हीकल्स हैं और इसमें कोई विवाद नहीं है। गाड़ियां वहीं से आनी हैं। पिछले तीन महीने से इनका ट्रायल भी चल रहा है। 180 किलोमीटर की निर्धारित क्षमता के मुकाबले इनका औसत 193 किलोमीटर है। आप केवल 80 रूटों की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष : ये दो गाड़ियों का रेफरेंस दे रहे हैं कि शिमला से चली लेकिन मंडी नहीं पहुंच पाईं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इनके क्षेत्र में पहले डीजल की गाड़ियां नहीं चल रही थीं। ...(व्यवधान) ये गाड़ियां उन्हीं रूटों पर जाएंगी जहां चार्जर उपलब्ध हैं। जहां चार्जर नहीं लगे हैं वहां ये गाड़ियां नहीं जा सकतीं क्योंकि इन्हें चार्ज करना आवश्यक है। दूसरी बात, जब हम कह रहे हैं कि 193 किलोमीटर चल रही हैं। ...(व्यवधान) इसे नेता प्रतिपक्ष स्वयं देख लें कि 180 किलोमीटर के मुकाबले में 193 किलोमीटर गाड़ियां चल रही हैं। शिमला से मनाली 245 किलोमीटर तक गाड़ी सिंगल चार्ज पर चल रही है। तीन गाड़ियां शिमला से मनाली जा रही हैं। इनकी निर्धारित क्षमता 180 किलोमीटर है जबकि शिमला से मनाली की दूरी 245 किलोमीटर है। तीनों गाड़ियां रोज जा रही हैं और रोज वापस आ रही हैं। इसलिए यदि आप यह कहते हैं कि गाड़ी ठीक नहीं थी तो आप जिस रूट पर जाना चाहते हैं, उस रूट पर मैं आपके साथ गाड़ी भेजता हूं और आप स्वयं उस गाड़ी में बैठकर जाइए। अध्यक्ष महोदय, अभी तक कंपनी को एक भी पैसा नहीं दिया गया है। यह पहली बात है। दूसरी बात, कंपनी पर 37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 37 करोड़ रुपये का जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि गाड़ियां निर्धारित समय पर नहीं आईं। कंपनी पर 37 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है। अभी तक भुगतान भी नहीं किया

17-11-2026/1145/NS-DC/3

गया है और जुर्माना भी प्रस्तावित है। इसके बावजूद माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इसमें अनियमितता हुई है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान)। Please be seated as Hon'ble Leader of Opposition is on legs.

श्री जय राम ठाकुर : मेरा विषय बहुत सीधा है। आपने 297 बसें खरीदने का फैसला किया। लेकिन खरीदने से पहले ट्रायल क्यों नहीं किया गया? खरीदने के बाद आप ट्रायल कर रहे हैं। आपने कहा कि पिछले तीन महीने से ट्रायल चल रहा है

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

17.11.2026/1150/RKS/HK-1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

टेंडर की शर्तों में यह निर्धारित किया गया था कि ये बसें 80 रूटों पर चलेंगी। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि ट्रायल के दौरान ये बसें फेल हो गई हैं। इन बसों को एक बार चार्ज करने के बाद 180 किलोमीटर चलना चाहिए था लेकिन ये बसें 180 किलोमीटर नहीं चल पाई और केवल 140 से 150 किलोमीटर तक ही चल पाई हैं। इसके अतिरिक्त टेंडर में यह कंडिशन भी थी कि 180 किलोमीटर चलने के बाद भी बैटरी में 20 प्रतिशत रिजर्व चार्ज होना चाहिए जबकि बसों की बैटरी में केवल 15 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 10 प्रतिशत ही चार्ज शेष रह रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को बहुत तकनीकी और गहराई से समझता हूं। ...(व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।...(व्यवधान) उप-मुख्य मंत्री जी इस विषय पर नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको इस पूरे फैसले से वंचित रखा गया है। जिस कमेटी में आपको होना चाहिए था उस कमेटी में भी

आपको शामिल नहीं किया गया। हैरानी की बात यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्ज की बैठक में फाइल प्रस्तुत हुई थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्ज ने बिना ट्रायल के बसों की खरीद पर रोक लगा दी थी लेकिन इसके बावजूद भी बसें खरीद ली गईं। मैं समझ सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि हिमाचल प्रदेश का लगभग 60 से 70 प्रतिशत क्षेत्र दुर्गम एवं पहाड़ी है। ऐसे क्षेत्रों में बसें व्यावहारिक रूप से चल सकें इसके लिए उनकी स्पेसिफिकेशन भी उसी अनुरूप निर्धारित होनी चाहिए थी। बाद में यह बताया गया कि इन बसों में ग्राउंड क्लीयरेंस की समस्या सामने आई है लेकिन तब तक बसें खरीदकर खड़ी कर दी गई थीं। बसें खरीदने के बाद आपने अपने विधान सभा क्षेत्र में उनका डिपो भी बड़े स्तर पर खोल दिया। ...(व्यवधान) आप सिराज से मत खोलिए, आप हरोली में ही खोलिए। ...(व्यवधान) ये बसें केवल उन्हीं क्षेत्रों में चल पाएंगी जहां सड़कें सीधी, फोरलेन या अच्छी स्थिति में हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है कि इन बसों को आसानी से चलाया जा सके। स्थिति यह है कि जिन सड़कों पर पहले बसें चलती थीं वहां अब खच्चर भी नहीं चल पा रहे हैं। माननीय

17.11.2026/1150/RKS/HK-2

उप-मुख्य मंत्री जी प्रदेश में सड़कों की यह वास्तविक स्थिति है। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानना चाहते हैं कि इसमें जो एनुअल मेंटिनेंस का क्लॉज था उसकी शर्तों के अनुरूप आप सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेंगे या नहीं? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें इस प्रकार की बहुत-सी बातें सामने आई थीं जिनके कारण गंभीर परेशानी उत्पन्न हुई है। अब मैं आगे एक और महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक्साइज पॉलिसी को लेकर इन्होंने सदन में बहुत शोर मचाया था कि हिमाचल प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी लागू करने से प्रदेश की आय में इतनी वृद्धि हुई है कि अब कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। मैं मानता हूं कि प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस संकट से बाहर निकालने के लिए प्रदेश सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं इस बात से भी सहमत हूं लेकिन आपको यह भी मानकर चलना पड़ेगा कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर आपने शुरुआती दौर में बहुत शोर मचाया था कि हमने यह कर दिया और हमने वह कर दिया लेकिन आज आपकी एक्साइज पॉलिसी पूरी तरह से फ्लॉप हो

गई है। आप अंदाजा लगाइए कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए मुख्य मंत्री जी कहते थे कि वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और वर्ष 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। अब आप देखिए कि एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से इन्होंने कितनी बढ़ोतरी करने के दावे किए थे लेकिन

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.11.2026/1155/बी.एस./एच.के.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

प्रदेश के आबकारी क्षेत्र का पूरी तरह से सत्यानाश हो गया है। मैं आपके ध्यान में कुछ आंकड़े लाना चाहता हूं। हमारे समय में वर्ष 2018-19 में एक्साइज में 14.18 प्रतिशत की ग्रोथ थी। वर्ष 2019-20 में इसमें गिरावट आई और ग्रोथ 10.82 प्रतिशत रह गई। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि उस समय पूरी दुनिया कोविड के दौर से गुजर रही थी और इसका असर एक्साइज की आमदनी पर भी पड़ा था। वर्ष 2020-21 में कोविड ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। लाखों-करोड़ों लोगों की मौत हुई। उस समय हमें एक्साइज की पूरी पॉलिसी रोकनी पड़ी। हमारी ग्रोथ बहुत अधिक माइनस में चली गई। इस बात को पूरा देश स्वीकार करता है कि पूरी दुनिया के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी इसका असर पड़ा था लेकिन उसके बाद हमने स्थिति को रिकवर करने का प्रयास किया। वर्ष 2021-22 में एक्साइज की ग्रोथ बढ़कर 23.24 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसके बाद वर्ष 2022-23 में हमारी ग्रोथ थोड़ी स्थिर हुई और उसमें मामूली गिरावट आई। इसके बावजूद ग्रोथ लगभग 13 प्रतिशत रही लेकिन वर्ष 2023-24 में आपने इतना शोर मचाया नए सिरे से एक्साइज के लिए व्यवस्था की और नई पॉलिसी बनाई। इसके बाद आप 21 प्रतिशत तक पहुंचे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में आप एक्साइज की ग्रोथ में कहां पहुंच गए? आप 5 प्रतिशत पर पहुंच गए और 5 प्रतिशत से भी नीचे चले गए। वर्ष 2025-26 में भी आपकी यही स्थिति रही। इस बारे में सरकार क्या कहना चाहती है? आज आप कुल्लू में सारे ठेके देने की स्थिति में नहीं है और आज कोई भी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद आप हैदराबाद की तरफ बढ़े और हैदराबाद से होते हुए तेलंगाना पहुंचे। तेलंगाना इसलिए पहुंचे

क्योंकि वहां शायद इनकी कांग्रेस की सरकार है। अब हम यही जानना चाहते हैं कि आप वहां क्यों गए? वहां से लोगों को लेकर आए। तेलंगाना की कंपनी को कुल्लू से लेकर पांगी तक के सारे एक्साइज के टेंडर दे दिए गए। टेंडर क्या दिए गए बल्कि पूरा काम ही उनको सौंप दिया गया। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आज उनके विरुद्ध 100 करोड़ रुपये से अधिक की रिकवरी बकाया है। लेकिन क्या सरकार उस रिकवरी को वसूल कर रही है? आपने प्रदेश को डुबो दिया है। एक्साइज एक ऐसा माध्यम था जिसके जरिए प्रदेश की इकोनॉमी आगे बढ़ती थी और सरकार की आमदनी में वृद्धि होती थी। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार बताए कि तेलंगाना की कंपनी

17.11.2026/1155/बी.एस./एच.के.-2

को यहां क्यों बुलाया गया? उसे काम क्यों सौंपा गया? और काम देने के बाद वह प्रदेश को लूटकर कैसे चली गई? ये वर्तमान सरकार के ऊपर गंभीर आरोप हैं।

अगर मैं इस विषय पर आगे बढ़कर अपनी बात रखूं तो इस संबंध में हमारे अन्य साथी भी सदन में चर्चा कर रहे थे। आज इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए हम सदन के बाहर भी अपनी बात रख रहे थे और मीडिया के सामने भी हिमाचल ऑन सेल का मुद्दा उठा रहे थे। हिमाचल ऑन सेल कैसे है? ये बातें यूं ही नहीं कही जा रही हैं। हिमाचल ऑन सेल की स्थिति इसलिए कही जा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हमने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी जब जमीनों को लेकर इतने गलत डॉक्यूमैंट प्रोक्योर करके जमींने खरीदी और उसके बाद उसे बेचा जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कांगड़ा, धर्मशाला के अंदर 200 कनाल यानी 100 बीघा से अधिक जमीन के मामले में कृषक प्रमाण-पत्र और एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। इसके बावजूद उस जमीन की रजिस्ट्रेशन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कर दी गई। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि क्या हिमाचल ऑन सेल है या नहीं? पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान को जमीन इसलिए उपलब्ध करवाई गई थी क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय में जमीन की आवश्यकता होती है। ताकि वहां बच्चे रिसर्च कर सकें और स्कॉलर रिसर्च कर सकें। साथ-ही-साथ वहां पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अलग-अलग एक्सपेरिमेंट भी कर सकें। इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय को जमीन उपलब्ध करवाई गई थी। लेकिन अब उसी जमीन में से 3,000 कनाल यानी 1,500 बीघा जमीन आप टूरिज्म के लिए किसी व्यक्ति या प्राइवेट सैक्टर के व्यक्ति को

इन्वेस्टमैंट करने के लिए देने को आमादा हैं। आप बताइए कि क्या यह हिमाचल ऑन सेल नहीं है? क्या कृषि विश्वविद्यालय की 3,000 कनाल जमीन किसी निजी व्यक्ति को देने के लिए आप आमादा नहीं हैं? यह मामला अभी न्यायालय में लंबित है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

17.11.2026/1200/DT/yK-1

श्री जय राम ठाकुर जारी....

और आपकी मंशा अभी तक भी इस बात को लेकर वही है। यहां पर रछयालू के मामले का विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। कांगड़ा के पटवार सर्कल के अंतर्गत लगभग 100 कनाल जमीन का बेनामी सौदा हुआ है। किसकी जमीन किसके नाम पर हो गई है यह भी मालूम नहीं पड़ रहा है। बनूरी में 100 कनाल जमीन हस्तांतरित कर दी गई है। इसी प्रकार बद्दी में बी0बी0एन0डी0ए0 के लैंड यूज़ के सी0ई0ओ0 के कहने पर सैकड़ों बीघा जमीन का लैंड यूज़ चेंज करके उसे बेच दिया गया। जहां इंडस्ट्री लगनी थी वहां अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं और ये बिल्डिंग धनवान लोगों द्वारा बनाई जा रही हैं। हम हिमाचल प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क लेकर आए थे। पूरे देश में तीन मेडिकल डिवाइस पार्क स्वीकृत हुए थे जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला था। लेकिन जैसे ही सुखू जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि हम इस जमीन को नहीं बेचेंगे तथा मेडिकल डिवाइस पार्क नहीं लेंगे। इसके बाद मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृत 30 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी गई। अब उस जमीन के प्लॉट काटे जा रहे हैं और उन्हें बेचा जा रहा है। सवाल यह है कि ये प्लॉट किसको बेचे जा रहे हैं जिसका आधा-आधा हिसाब हो रहा है? इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। लोग हमारे साथियों से संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने प्लॉट लेना है तो आइए हम आपको प्लॉट दिलवा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय इस प्रकार की स्थिति हमने आज से पहले कभी भी हिमाचल प्रदेश में नहीं देखी थी। यहां खुली लूट मची हुई है और इस लूट का कारण राजनीतिक संरक्षण है। प्रदेश के नेताओं का संरक्षण नीचे के अधिकारियों को प्राप्त है तथा नीचे के दलालों को भी संरक्षण दिया जा रहा है। शब्द उचित नहीं है लेकिन मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूं।

This should be part of the record. हमने ऐसी स्थिति हमने हिमाचल प्रदेश में आज तक कभी नहीं देखी। हम भी पांच वर्ष तक सत्ता में रहे लेकिन उस समय इतने गंभीर आरोप कभी सुनने को नहीं मिले कि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। ये गतिविधियां केवल हो नहीं रही हैं बल्कि व्यावहारिक रूप से जमीनें बेच भी दी गई हैं।

17.11.2026/1200/DT/yK-2

अध्यक्ष जी, तभी तो प्रश्न खड़े होते हैं। तभी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की कि तीन अटैची दिल्ली जाते हैं और दो अटैची शिमला जाते हैं। हम तो इस बात को नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस का ही एक नेता ऐसा कह रहा है। यदि वह ऐसा कह रहा है तो हमारी विवशता है कि हम भी उनकी बात का जिक्र करें। इतना गंभीर आरोप निश्चित रूप से चिंतन का विषय है। प्रदेश सरकार कह रही है कि हम हिम चंडीगढ़ बनाएंगे। हिम चंडीगढ़ बनाइए हमें इस बात को लेकर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हिम चंडीगढ़ के पीछे भी हमें आशंका है कि वहां जमीन के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनमें भी बहुत बड़ा गोलमाल होने की संभावना है। अब अध्यक्ष महोदय हम बात कर रहे है हिमाचल ओन सेल की उसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही हमें जानकारी मिली कि फैसला हो गया है और मंत्रिमंडल में इस संबंध में निर्णय ले लिया गया है। लेकिन यह फैसला कहां हुआ है? मंत्रिमंडल में फैसला होता है या मित्र मंडलों के बीच में फैसला होता है यह मालूम ही नहीं पड़ता कि फैसला कहां हुआ औ क्या हुआ है। फैसला यह हुआ कि पीटर हाफ को भी पीपीपी मोड पर कर देंगे और उसको भी निपटा देंगे। बात यहां तक पहुंच गई है कि आप पीटर हॉफ को पीपीपी मोड पर देने की बात कर रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा संस्थान है और एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्राइम प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी के नाम से हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है और शिमला की पहचान भी इसी से होती है। यदि आपको लगता है कि इसमें बदलाव करना है और इसको ठीक करना है या नए सिरे से इसका निर्माण करना है तो सरकार ऐसा करे लेकिन इसे पीपीपी मोड पर देने की बात करना उचित नहीं है।

दिल्ली में जब रेणुका जी बांध को लेकर हमारा एम0ओ0यू0 हुआ था तो उस समय हमने दिल्ली के मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से बात की थी कि हमें दिल्ली में जमीन उपलब्ध करवाई जाए क्योंकि वहां हमें जमीन की आवश्यकता है। हमने उसके एवज में

बहुत कम रेट पर वहां जमीन ली थी। वहां हिमाचल निकेतन बनाने का काम वर्तमान सरकार ने किया। इसके लिए हमने बजट प्रावधान भी कर दिया था और नक्शा भी अप्रूव कर दिया था। लेकिन अब लगभग 100 करोड़ रुपये की वह प्रॉपर्टी जो शायद 100 करोड़ रुपये से भी अधिक की हो गई होगी जब बनकर तैयार हुई तो उसको भी बेचने का फैसला कर दिया गया। अब उसे भी पीपीपी मोड पर देने की बात की जा रही है। आप क्या-क्या बेचेंगे? क्योंकि हम इस तरह की चर्चाएं भी सुन रहे हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

17.11.2026/1205/वाई.के.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर..... जारी

100 करोड़ से भी ज्यादा की शायद होगी। जब वह बनकर तैयार हुई तो उसको भी बेचने का फैसला कर दिया। उसको भी हम दे देंगे। पी0पी0पी0 मोड पर दे देंगे। आप क्या-क्या बेचेंगे?

अध्यक्ष महोदय, हालात तो ऐसे हैं और बातें तो ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि यह धर्मशाला का हमारा विधान सभा भवन, जो 365 दिन में से सिर्फ पांच-छह दिन ही इस्तेमाल होता है, उस पर भी सरकार विचार कर रही है कि इसे रखना है या बेच देना है। अध्यक्ष महोदय, ये सारे विषय हम सबको चिंता में डालते हैं कि क्या-क्या बेचोगे? तभी हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे विपक्ष की ओर से यह स्पष्ट कहना है कि 'Himachal on Sale'.

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, विधान सभा को सरकार नहीं बेच सकती। The decision will be taken by the Vidhan Sabha.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंशा की बात कर रहा हूं कि सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सुक्खू महाराज जी (माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू) ने कहीं-

न-कहीं इस बात का जिक्र किया है। आप तक बात पहुंची है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को वाइंडअप कर रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे साथियों को भी बोलना है। मेरे पास भी बहुत कुछ कहने के लिए है और मैं बहुत कुछ बोल भी सकता हूं। आखिर में मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करना चाहता हूं। High-end health services will be provided. यह बात मुख्य मंत्री जी ने बार-बार कही है। वे कहते हैं कि मैं आई0जी0एम0सी0 गया और वहां जाकर देखा कि इमरजेंसी में एक-एक बेड पर तीन-तीन पेशंट लेटे हुए हैं। हमने कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति आई होगी तो हमसे कमी रह गई होगी और आप इसे दुरुस्त कीजिए।

17.11.2026/1205/वाई.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थिती तो ऐसी है कि वहां बेड पर तो मरीज लेटे ही हुए हैं, लेकिन लोग जमीन पर भी लेटे हुए हैं। सरकार ने अपने कार्यकाल में क्या किया है? चार साल थोड़े नहीं होते, बहुत वक्त बीत गया। इन चार सालों में बहुत कुछ किया जा सकता था। आज आप आई0जी0एम0सी0 ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में जाकर देख लीजिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कितना गिर गया है। हिमकेयर योजना के माध्यम से हम जीवन बचाने के लिए सुविधा देते थे। लेकिन उस योजना को बंद करके उसका गला घोंट दिया गया। हिमकेयर योजना को बंद करने का मतलब यह है कि आप किसी की जिंदगी की सांस रोक रहे हैं। जो गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता, जिस गरीब आदमी ने दर्द के कारण अपनी जगह-जमीन बेच दी है, अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर पैसे जुटाए और अपनी पीड़ा को कम करने के लिए तथा अपना इलाज करवाने को विवश होना पड़ा। उस आदमी से आप यह सुविधा छीन कर उसकी सांस रोकने जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? राजनीति कीजिए लेकिन इतने निम्न स्तर पर जाकर राजनीति करना ठीक नहीं है। किसी आदमी की जिंदगी से कीमती कोई और चीज नहीं है। आप उसी हिमकेयर योजना को, जिसकी वजह से लोगों को जिंदगी मिलती थी, खत्म करने में लगे हुए हैं। यह हमारा गंभीर आरोप

है। मुख्य मंत्री जी अनेक स्थानों पर भाषण देते हैं। विधान सभा के अंदर भी भाषण देते हुए कहते हैं कि यह हो गया, वह हो गया। अरे, आप जांच कीजिए। आपको जांच करने से कौन रोक रहा है? क्या चार साल का कार्यकाल थोड़ा होता है? यदि आप जांच करते तो अभी तक जांच करने के बाद कार्रवाई भी हो जाती। लेकिन जांच करने वाले अधिकारी हमें कह रहे हैं कि कुछ मिलने की संभावना नहीं है, कुछ गलत हुआ ही नहीं है क्योंकि पैसा किसी व्यक्ति को नहीं मिलता बल्कि इलाज के लिए सुविधा मिलती है और उस मरीज को मिलती है जो अस्पताल में होता है। आपने उसको भी बंद कर दिया। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। अभी आपने रोबोटिक सर्जरी का इंतजाम कर दिया और 6-6 रोबोट खरीद लिए।

17.11.2026/1205/वाई.के.-एन.जी./3

हिमाचल प्रदेश छोटा-सा प्रदेश है, लेकिन वे सारे रोबोट न्यूनतम उपयोग के साथ चल रहे हैं और केवल दो जगहों पर ही उनका इस्तेमाल हो रहा है। कहीं पर अपेंडिस सर्जरी में काम हो रहा है तो कहीं पर पथरी के ऑपरेशन हो रहे हैं। उससे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भी थोड़ा-बहुत काम हो रहा है। इसके अलावा अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी जो रोबोट हैं, जोकि 28-28 करोड़ रुपये में खरीदे गए हैं, उनको खरीदने के बाद उसके ऊपर पर्दा या तिरपाल डालकर ढककर रखे गए हैं, क्योंकि उनको चलाने के लिए जो विशेषज्ञता चाहिए, वह आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उसके बाद ऑपरेशन के लिए जो उपकरण और बाकी सारी चीजें चाहिए होती हैं, वे भी आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

ए0टी0 द्वारा.....जारी

17.11.2026/1210/AT/AG/-01

श्री जय राम ठाकुर जारी....

क्योंकि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। रोबोटिक सर्जरी की प्रक्रिया शुरू करने का उद्देश्य यह बताया गया कि बड़ी मशीन खरीदी जाएगी। बड़ी मशीन खरीदी जाएगी तो उसमें कुछ बड़ा लाभ भी मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं, जिन्होंने यह सौदा किया है? अध्यक्ष महोदय, इस मामले में करोड़ों रुपये के घपला यह भी एक जांच का विषय है।

हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए दो स्थानों पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा होना समझ में आता है लेकिन आपने इसे छह स्थानों पर शुरू करने का निर्णय लिया। आपने केवल मशीन खरीदने में जल्दबाजी दिखाई। इस जल्दबाजी के पीछे कारण यह था कि कहीं यह सौदा बीच में ही न रुक जाए।

इन सभी बातों को लेकर, अध्यक्ष महोदय, बहुत पीड़ा होती है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से बर्बाद और तबाह हो चुका है। जिस प्रकार की परिस्थितियों से आज हिमाचल गुजर रहा है उससे प्रदेश कई दशक पीछे चला गया है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नेताओं, सरकार और अधिकारियों पर लगे हैं। 35 से अधिक अधिकारी सेवा विस्तार पर हैं। आपको लगता है कि उनकी सेवाएं लेना आवश्यक है क्योंकि उनके बिना काम नहीं चल सकता और वे व्यवस्था तथा पूरे सिस्टम से भली-भांति परिचित हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी व्यवस्था कैसे चल सकती है?

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इस विधान सभा की कार्यवाही का हिस्सा रहा हूं। कुछ अधिकारियों के खिलाफ उस समय जब वर्तमान मुख्य मंत्री विपक्ष में हुआ करते थे, उन्होंने इतनी गंभीर टिप्पणियां की थीं That is part of the record.आज वही सरकार चला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, विचित्र स्थिति यह है कि सरकार का कार्यकाल केवल एक वर्ष शेष है जबकि अधिकारियों को दो-दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि सरकार का कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है और हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। चुनावी वर्ष में प्रवेश करने के कारण अब नेताओं और सरकार पर चुनाव का दबाव और अधिक बढ़ेगा क्योंकि पंचायत चुनावों में ही इन्होंने चुनाव की एक झलक देख ली है। ऐसी स्थिति में मुझे आशंका है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार और तेज गति से तथा बड़े स्तर पर होगा। हमारी इस आशंका को ध्यान में रखते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश को बिकने नहीं देंगे। देवभूमि हिमाचल प्रदेश यहां के लोगों की है और इसके लिए विपक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ाई लड़ेगा। इसी के साथ, नियम 66 के अंतर्गत इस माननीय सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखते हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अभी मेरे पास भारतीय जनता पार्टी से तीन माननीय सदस्यों के नाम आए हैं। Already they are the movers of this Motion. माननीय बिक्रम सिंह जी, श्री सुधीर शर्मा जी और डॉ हंस राज जी। आपकी ओर से अभी कोई नाम नहीं आया है। You (Industries Minister) want to intervene.माननीय हर्षवर्धन चौहान जी।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय जय राम जी ने बहुत लंबा भाषण दिया और उसमें बहुत सारी बातें कहीं। कुछ बातें ऐसी हैं, जिनका जवाब संबंधित विभागों के मंत्री और मुख्य मंत्री जी देंगे। आपने मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में बात की, जो उद्योग विभाग से संबंधित है। अब ये हिमाचल प्रदेश को बेचने की बात कर रहे थे। मैं मेडिकल डिवाइस पार्क के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये हम पर आरोप लगा रहे हैं जबकि इन्होंने स्वयं हिमाचल प्रदेश की जमीन बेचने का काम किया है। मेडिकल डिवाइस पार्क की जमीन आपने एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचने का निर्णय लिया था। एक रुपये प्रति वर्ग मीटर...(व्यवधान)

Speaker: Please, please. ...(Interruption) Let the Hon'ble Minister explain. Please, please. ...(Interruption) Thakur Sahib (Jai Ram Thakur), please. Let

17.11.2026/1210/AT/AG/-03

the Hon'ble Minister explain. ...(Interruption) Please Bikram Singh ji. ...(Interruption) Please take your seats.

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेडिकल डिवाइस पार्क 350 करोड़ रुपये की परियोजना थी। इसमें 100 करोड़ रुपये भारत सरकार को देने थे और 250 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश सरकार को लगाने थे। आपने एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन बेच दी। आपने तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का प्रावधान किया, जबकि Cost of electricity छह से साढ़े छह रुपये प्रति यूनिट है और जो इन्होंने मेडिकल डिवाइस प्रोजेक्ट लगाया या बनाया था उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश को हर साल 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान होना था

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी.....

17.11.2026/1215/टी0सी0वी0/एच0के0-1
उद्योग मंत्री..... जारी

मगर सरकार और मुख्य मंत्री ने केंद्र सरकार से प्राप्त 35 करोड़ रुपये की धनराशि वापस कर दी और अब हम मेडिकल डिवाइस पार्क अपने पैसे से बना रहे हैं। ...(व्यवधान) हमने अभी तक कोई लैंड नहीं बेची है। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए हमने यह पॉलिसी बनाई है कि जिसको भी लैंड देंगे, उससे पहले चरण में 40 प्रतिशत राशि ली जाएगी, छह महीने में 30 प्रतिशत और अगले छह महीने में शेष 30 प्रतिशत राशि ली जाएगी। इस प्रकार लैंड की निर्धारित कीमत का 100 प्रतिशत पैसा लिया जाएगा। हमने उस जमीन का रेट 3,000 से 4,000 रुपये प्रति मीटर तय किया है और उसी जमीन से प्राप्त होने वाली राशि से प्रोजैक्ट को आगे बढ़ाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा है कि लैंड देने के क्या पैरामीटर बनाए गए हैं। हमने इसके लिए पैरामीटर निर्धारित किए हैं कि कौन सबसे अधिक इन्वेस्टमैंट करेगा, कितनी इन्वेस्टमैंट होगी, जिसकी इन्वेस्टमैंट 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी, उसको लैंड दी

जाएगी। इसमें कौन कितनी इम्प्लॉयमैंट देगा और रेवेन्यू के रूप में प्रदेश को कितना लाभ प्राप्त होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर लैंड का आबंटन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि हम जमीन बेच रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक मेडिकल डिवाइस पार्क की एक इंच जमीन भी न तो बेची गई है और न ही किसी को अलॉट की गई है। नॉर्म्स और रूल्स के अनुसार तथा हिमाचल प्रदेश के हित में जो उचित होगा, उसी के मुताबिक मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए लैंड का अलॉटमैंट किया जाएगा।

17.11.2026/1215/टी0सी0वी0/एच0के0-2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी को तो विधान सभा की सारी प्रथाएं पता हैं। आप मुख्य मंत्री रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के नाते भी सदन में अपनी बात रखते रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष के पास बोलने के लिए कोई सब्स्टांस या मटीरियल नहीं था। जिस प्रकार अचानक इन पर बज्र का प्रहार हुआ है, उससे इनकी तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ...(व्यवधान) मैं नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष राजनीतिक विरोध करते हुए न जाने किस दुनिया में पहुंच गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जितने भी आरोप लगाए हैं, उनके पास न कोई सब्स्टांस है, न पुख्ता इन्फॉर्मेशन, न कोई नोटिफिकेशन और न ही उन्होंने सदन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में माहौल बन रहा है, उससे ये घबरा गए हैं। ये सत्ता परिवर्तन की बात करते थे, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट की बात चल पड़ी है। अभी आपको पांच वर्ष और यहीं (विपक्ष में) बैठना है। प्रदेश में जिस प्रकार मिशन रिपीट की धारणा व्याप्त हुई है और हमने जिस ढंग से कानूनी लड़ाइयां जीती हैं, उसके बाद अब ये तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे समय के ट्रेंड ऑफिसर आपको मिल गए हैं। आपने उन ऑफिसरों को क्या ट्रेनिंग दी थी, जरा पूरे सदन को भी बता दीजिए। आपने अभी कहा कि वे अधिकारी मेरे समय में भी थे और वे ट्रेंड अधिकारी हैं। आपने उन अधिकारियों को किस प्रकार ट्रेंड किया था और उनसे क्या काम करवाते थे, इसका सारा खुलासा यहां कर देना चाहिए था।

दूसरा, सारा हिमाचल जानता है कि न तो हम विधान सभा का सौदा कर रहे हैं और न ही हम पीटर हॉफ बेच रहे हैं। ये सारी धारणाएं झूठ का एक महल बनाने की इनकी कोशिश हैं। असल में इनके खिलाफ हिमाचल फॉर सेल का मूव बना था। इन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में हिमाचल को बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। जब हमने यहां कहा था कि इन्होंने हिमाचल बेच दिया, सारा हिमाचल बेच दिया, उसी के कारण आप हिमाचल की सत्ता से बाहर हुए। आज भी आपको उसी बात का दर्द और तकलीफ है। आप कह रहे हैं कि पीटर हॉफ को बेचने का कौन-सा प्रपोजल है? बताइए, आपके पास कौन-सा डॉक्यूमैंट है?...(व्यवधान) बंद करना और रिपेयर करना अलग बात है। आप यह बताइए

17.11.2026/1215/टी0सी0वी0/एच0के0-3

कि आपके पास कौन-सा डॉक्यूमैंट है जिससे आप कहते हैं कि पीटर हॉफ बेच दिया? आपके पास कौन-सा डॉक्यूमैंट है जिससे आप कहते हैं कि विधान सभा का सौदा कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमैंट है? श्री जय राम ठाकुर जी आप तो मुख्य मंत्री रहे हैं। यह सारा प्रदेश जानता है

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी

17-11-2026/1220/NS-DC/1

उप-मुख्य मंत्री------जारी

कि जितना हैल्थ सैक्टर में कांग्रेस पार्टी ने निवेश किया है, जितनी मशीनरी को अपग्रेड किया गया है और जितने डॉक्टर्स की भर्ती की गई है, उतना आप नहीं कर पाए। आप ये सब नहीं कर पाए। हम आपके सामने एयरपोर्ट बना रहे हैं। इस पर लगभग 3500 करोड़ रुपये लग चुके हैं और यह बनकर रहेगा। आपके कार्यकाल में मंडी का एयरपोर्ट नहीं बन पाया। ...(व्यवधान) माननीय बिक्रम सिंह जी, अब आपके नेता विकास विरोधी हो गए हैं। यह साफ नज़र आ रहा है कि ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऑफिसर्स पर इतना प्रेशर माउंट किया जाए कि इस वर्ष ये कोई फैसला न कर सके और कोई काम न करे। इनके भाषण से यह बात बिल्कुल साफ है। ...(व्यवधान) नहीं-नहीं, ये कहते हैं कि दिल्ली से प्रेशर है। ये बताएं कि दिल्ली से किसका प्रेशर है? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमैंट है या

कोई प्रमाण है? इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं और जो स्कूल खोले जा रहे हैं उस पर भी कोई ऑथेंटिक बात रखनी चाहिए थी। इनके पास कोई तथ्य नहीं था और न ही कोई सब्सटांस था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हम इस विधान सभा का बहुत सम्मान करते हैं। इस हाउस में आने के लिए सभी लोगों को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और हम इस सदन को बहुत गरिमापूर्ण तरीके से लेते हैं। इसको बेचने या इस पर सरकार ने कोई अन्य कार्य करवाने का फैसला नहीं किया है। पीटरहॉफ को बेचने का भी कोई फैसला नहीं किया है। इन्होंने सिराज में अपना होटल जरूर बेच दिया था जोकि इनका अपना चुनाव क्षेत्र है। मनाली में इन्होंने सौदा कर दिया था और मण्डी में भी सौदा कर दिया था। आपके कार्यकाल में सभी होटल बेचने की पूरी बुकलेट सामने आ गई थी जिसे हमने हाउस में रखा था। आप हिमाचल के लिए कम-से-कम कोई नया नारा तो इजाद करो। हमने 'हिमाचल फॉर सेल' की बात की थी और आप उसी को लेकर आ गए। आप कुछ मेहनत करो। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज इनको बोलने दीजिए।

17-11-2026/1220/NS-DC/2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के तौर पर ये पूरी तरह फेल हो गए हैं और फ्लॉप हो गए हैं। हमारी सरकार मिशन रिपीट की तरफ बढ़ रही है। हम मिशन रिपीट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए इनके द्वारा लगाए जा रहे आरोपों में कोई दम नहीं है। एक कहावत है कि 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया।' वह भी मरी हुई। हमारे नेता प्रतिपक्ष 45 मिनट तक बोले। मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नाते कुछ मेहनत करें। ऐसे काम नहीं चलेगा। यह सरकार रिपीट हो रही है।

Speaker: Since the reference of the Vidhan Sabha has come and I have clarified it before also. The Government has no authority to take any decision so far the Vidhan Sabha is concerned.

Secondly, this Vidhan Sabha premises is to be utilized in a much better way because we are sitting here for six - seven days. We want to utilize this

whole premises for training programs and various other activities for and of Lok Sabha and rest of the State Legislative Assembles also.

We are likely to construct a Convention Centre here. We are planning to make the residences of the Hon'ble MLAs nearby in the shape of a hotel. When the Hon'ble MLAs are here they will be utilizing them as accommodation and when there is no such kind of activity then that will be put to the use by some agency. Thank you very much. Please don't put reference of Vidhan Sabha again and again. मेरे पास तीन नाम आए हैं। माननीय बिक्रम सिंह जी, अभी प्रायोरिटी चेंज कर दी है। इसमें डॉ0 हंस राज पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर श्री सुधीर शर्मा और तीसरे नंबर पर आपको कर दिया है। ...(व्यवधान) अब माननीय बिक्रम सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बिक्रम सिंह : क्या यह प्रायोरिटी भाइयों ने चेंज की है?

17-11-2026/1220/NS-DC/3

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप ही की तरफ से है। ये सभी डवलपमैंट्स जो हुई हैं उस पर ही हुआ है।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के ऊपर जो प्रस्ताव आया है, उस पर बोलने के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

इससे पहले कि नियम-67 पर भ्रष्टाचार के संबंध में पूरी बातें की जाएं,

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

17.11.2026/1225/RKS/HK-1

श्री बिक्रम सिंह...जारी

मेरे बड़े भाई श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने उद्योग के विषय से अपनी बात शुरू की थी। मेरा मानना है कि चर्चा की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि आज उद्योग विभाग की हालत क्या हो गई है और आपके विभाग के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। ...(व्यवधान) श्री हरदीप सिंह बावा जी कृपया बीच में न बोलें। यहां उद्योग के विषय में बात हो रही थी कि जमीन बहुत सस्ती कीमत पर बेच दी गई। जमीन गलत तरीके से और बहुत सस्ते दामों पर बेची गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 4 वर्षों से क्या कर रहे हैं? इन 4 वर्षों के दौरान आप इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? इसका कारण यह है कि आप आज भी उसी औद्योगिक नीति पर चल रहे हैं जो हमने बनाई थी। आप कोई नई औद्योगिक नीति लेकर नहीं आए और न ही उस नीति में किसी प्रकार का बदलाव किया। आप उसी पॉलिसी पर चले हुए हैं लेकिन सवाल केवल इतना है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यापारी या निवेशक निवेश नहीं करना चाहता। आखिर कोई निवेशक यहां निवेश करने क्यों आए? एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइल पहुंचाने में आम जनमानस को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह सभी जानते हैं। हमें उद्योगपति बताते हैं कि इस सरकार में क्या हालात हैं। भाई मुकेश अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि आपके पास क्या प्रूफ हैं और आप प्रूफ रखिए। हम प्रूफ भी प्रस्तुत करेंगे। आप चिंता न करें, हम पूरे प्रमाणों के साथ आ रहे हैं लेकिन आपको अपनी गलतियों में सुधार लाना चाहिए। आप जो गलतियां कर रहे हैं उनके बारे में आपको सुधार करने के बजाय उन्हें छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे इंदौरा को छोड़कर 100 करोड़ रुपये के निवेश वाली एक भी इंडस्ट्री बता दीजिए। आपके बद्दी-बरोटीवाला में ए-ग्रेड की इंडस्ट्री है। वहां स्पेशल पैकेज के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली इंडस्ट्री आनी चाहिए थी लेकिन एक भी नहीं आई। बी-ग्रेड में 300 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली इंडस्ट्री आनी चाहिए थी लेकिन वहां भी एक भी इंडस्ट्री नहीं आई। पिछले 4 वर्षों के दौरान आपके पास निवेश करने के लिए एक भी नई इंडस्ट्री नहीं आई और आप अपनी पीठ थपथपाते जा रहे हैं। आज खनन विभाग में फाइलों की स्थिति यह है कि एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए 10 स्थानों से गुजरना पड़ता है और इसके लिए 5 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। मैं यह बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। यदि आपको उदाहरण चाहिए तो मैं इसका उदाहरण

भी दे सकता हूं। आप इन व्यवस्थाओं में सुधार कीजिए। इन्हीं कारणों से उद्योग यहां नहीं आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति अंडा तक नहीं बेच सकता? एक अंडे पर 1 रुपये की रिश्वत चलती है। आपके औद्योगिक क्षेत्र के ये हालात हैं। हिमाचल प्रदेश का यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र इतना बदनाम हो चुका है कि अब कोई भी यहां आना नहीं चाहता। आप औद्योगिक क्षेत्र में एक छोटी-सी कैंटीन तक नहीं खोल सकते। इसके लिए भी वहां कंसेंट लेनी पड़ती है। आप धारा-118 की बात कर रहे हैं। आज118 से संबंधित फाइलें भी लंबित पड़ी हैं। अब फाइल कैसे आगे बढ़ेगी और किस प्रक्रिया से आगे बढ़ेगी? मुझे इस बात का दुःख होता है कि मैं कई अधिकारियों के बारे में सुनता हूं कि वे भी इस प्रकार के लेन-देन में शामिल हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इसलिए उद्योग विभाग की हालत बहुत खराब हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि प्रदेश में उद्योग आने चाहिए और निवेश होना चाहिए। यदि प्रदेश में निवेश होगा तो हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। आज हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियां मिलना संभव नहीं है। आपने जो गारंटियां दी थीं वे भी पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए यदि प्रदेश के किसी नौजवान ने अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसके लिए एकमात्र साधन और तरीका उद्योग ही है इसलिए उद्योगों को फलने-फूलने दीजिए और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। उद्योगों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ मत कीजिए। इसी विषय से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है। अभी आपने मेडिकल डिवाइस पार्कों और बल्क ड्रग पार्क के बारे में बात की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बल्क ड्रग पार्क की कुल लागत 1,923 करोड़ रुपये है और इसके लिए केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपये की सहायता मिल रही है? केंद्र सरकार से इन्हें जो पैसा मिला है उसके बावजूद स्थिति इतनी खराब है कि वह पैसा भी आज तक खर्च नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में इसकी मंजूरी दी थी और इसकी अंतिम मंजूरी दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 को प्राप्त हुई थी।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.11.2026/1230/बी.एस./एच.के.-1

श्री बिक्रम सिंह जारी...

और 13 अक्टूबर, 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद दिनांक 25 सितंबर, 2025 को इस परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिली। इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वह भी पूरी हो चुकी है। पहले इस परियोजना को 31 मार्च, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था। अब 17 नवंबर, 2026 तक भी लगभग साढ़े तीन महीने का अतिरिक्त समय बीत चुका है। इसके बावजूद अब सरकार की ओर से 31 मार्च, 2027 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।

इस परियोजना के लिए पहली किस्त के रूप में केन्द्र सरकार की ओर से 225 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं उसमें से अभी तक 116 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश की ओर से भी 35.53 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। मेरा सीधा सवाल है कि यह इतनी महत्वपूर्ण परियोजना है और इसके निर्माण में इतनी देरी क्यों हो रही है? अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में अधिकारियों को भी इस बात के लिए फटकार लगाई गई कि इतनी महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण में देरी क्यों हो रही है? देरी का कारण यह है कि करोड़ों रुपये के जो टेंडर लगे हुए हैं उन्हें खोलने में देरी की जा रही है और उनके संबंध में नेगोशिएशन की जा रही है। स्थिति यह है कि जो मुख्य मंत्री चाहते हैं वह मंत्री जी नहीं चाहते और जो मंत्री जी चाहते हैं वह मुख्य मंत्री नहीं चाहते। इससे पहले भी सदन में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। आपको मालूम है कि पहले भी यहां आरोप लगते रहे हैं। वे अधिकारी आजकल वहां पर प्रमुख हैं उनकी मुख्य मंत्री जी के साथ सेटिंग है। अब मंत्री जी अकेले पड़ गए हैं और टेंडर वहीं रुके हुए हैं। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि बल्क ड्रग पार्क में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमैंट प्लांट विद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्थापित किया जाना था। इसके लिए 273 करोड़ रुपये का टैंडर हुआ है। मैं उद्योग मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि जब 273 करोड़ रुपये के इस टेंडर की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो इसमें देरी क्यों हो रही है?

यदि किसी कंपनी के कागजात ठीक नहीं हैं या किसी कंपनी ने गलत जानकारी दी है तो क्या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है? यदि एल0-वन कंपनी के संबंध में कोई शिकायत है तो उस शिकायत के लंबित रहते हुए आगे की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? मेरा सीधा आरोप है कि यह बल्क ड्रग पार्क केवल और केवल सरकार की नाकामी के कारण देरी का शिकार हो रहा है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पूरे मामले में अब केवल स्वार्थ की राजनीति चल रही है कि किसका पलड़ा भारी रहता है और किसके साथ किसकी सेटिंग ठीक बैठती है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करवाई जानी चाहिए और इसकी निष्पक्ष रूप से छानबीन होनी चाहिए और यह जो 273 करोड़ रुपये का जो प्रोजेक्ट हाइपर फिल्ट्रेशन लिमिटेड को प्रथम स्थान पर किया है और जिस कंपनी को आप लोगों ने टेंडर में एल-वन घोषित किया है उसके सभी कागजात की पूरी जांच करवा लीजिए। यदि आवश्यक हो तो संबंधित दस्तावेज मेरे पास भी उपलब्ध हैं। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? यदि ऐसा हो रहा है तो दूसरे पात्र व्यक्ति को अवसर क्यों नहीं मिल रहा है? दूसरे व्यक्ति को अवसर देने में यदि आपकी कोई शर्त या प्रक्रिया आड़े आ रही है तो मुझे बताइए। मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन इस मामले में देरी मत कीजिए। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हजारों लोगों और बच्चों को रोजगार मिलना है।

उद्योग मंत्री : माननीय सदस्य, वह व्यक्ति आपका दोस्त है।

श्री बिक्रम सिंह : वह मेरा दोस्त नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे मैं और आदरणीय राकेश कालिया जी अच्छे मित्र हैं। यदि आप कालिया जी के साथ अन्याय करेंगे तो वे कहीं जाकर अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसी प्रकार जिन लोगों के साथ अन्याय होता है वे भी अपनी बात रखने के लिए दूसरे लोगों को ढूंढते हैं। मेरा निवेदन है कि इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी लेकर जांच की जाए। मेरा मंत्री जी से भी निवेदन है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ छोटी-छोटी बातों के कारण मजाक न किया जाए। सौदा ठीक कर लीजिए लेकिन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कीजिए। इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मैं

कहीं और से शुरू करना चाहता था लेकिन उद्योग मंत्री जी खड़े हो गए इसलिए मुझे अपनी बात यहां से शुरू करनी पड़ी। **श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....**

17.11.2026/1235/DT/yK-1

श्री बिक्रम सिंह जारी....

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। आप इंडस्ट्री को ठीक रखिए और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। यदि हम गलत हैं तो हमें दंड दीजिए और यदि हम ठीक हैं तो हमें शाबाशी दीजिए। आज तक आपको उस पॉलिसी को चेंज करने की हिम्मत नहीं आई क्योंकि उसमें आपको किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आ रही है। आज वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है जिसके बारे में यहां खड़े होकर आप बातें कर रहे हैं और उसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। यदि कोई गलती है तो हमें बताइए और यदि हमने कोई कसूर किया है तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते। आप केवल बोल सकते हैं और एक-दूसरे की पीठ थपथपा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी ने भी कहा है कि जल शक्ति विभाग, पी0डब्ल्यू0डी0 और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो टेंडर होते हैं, वहां टेंडरों में पारदर्शिता की कमी है। पहले भी यहां इस विषय पर बातें हुई हैं और यह मामला उठाया गया लेकिन इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। सबसे अधिक दुःख की बात यह है कि यह पहली सरकार है जिसके कार्यकाल में ठेकेदारों को अपने पैसे निकालने, ट्रेजरी से अपने बिल क्लियर करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इसके बाद ही उनका बिल क्लियर होता है। यह बात सदन में कई बार उठाई गई है। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन्हें आप जो मर्जी समझाइए यह आपकी बात नहीं समझेंगे। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी यह पहली सरकार है जिसके कार्यकाल में ट्रेजरी से बिल क्लियर करवाने के लिए बड़े अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं। इस बारे में पहले भी यहां बातें हुई हैं लेकिन आप में से किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है और अभी भी वही हालात बने हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एम0एल0ए0 प्रायोरिटज, एम0पी0 लैड और वी0के0 वी0एन0वाई0 में भी पैसे देकर काम

करवाना पड़ेगा क्योंकि हमारे बिल नहीं निकल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय हमें कहना पड़ता है कि हमारे बिल नहीं निकल रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है। ठेकेदारों को बुलाया जाता है और उनसे पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद बिल क्लियर किया जाता है। यह मेरा सरकार के ऊपर आरोप है। यदि

17.11.2026/1235/DT/yK-2

आप चाहेंगे और जैसे आप कहते हैं कि कागज या सबूत दिखाओ तो मैं वह भी बता दूंगा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री अनिरूद्ध सिंह जी यहां बैठे नहीं हैं। अभी पंचायती राज विभाग में डस्टबिन खरीदे गए हैं। ये डस्टबिन पंजाब की एक पार्टी से खरीदे गए हैं। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। मेरा यह भी आरोप है कि इस खरीद में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। इसलिए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाई जानी चाहिए। आम व्यक्ति में भी यह टॉक ऑफ द टाउन है कि इस खरीद में हेराफेरी हुई है। ये डस्टबिन पठानकोट की पार्टी से खरीदे गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले की भी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय परिवहन आपका विभाग है। मैं समझता हूं कि आप भी अंदर से परेशान होंगे लेकिन आप अपनी परेशानी कभी चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते हैं जिससे आपका पता नहीं चलता है परंतु यह सच्चाई है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि हमीरपुर में बनने वाले बस अड्डे का 42 करोड़ रुपये का टेंडर लगाया गया था और 42 करोड़ रुपये का टेंडर लगाने के बाद 37 करोड़ रुपये में इसे अवार्ड किया गया? क्या आपको पता है कि 37 करोड़ रुपये में अवार्ड किए गए इस बस अड्डे की कीमत बढ़ते-बढ़ते 200 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई है? जिस व्यक्ति को 37 करोड़ रुपये का टेंडर अवार्ड किया गया था उसकी कीमत 200 करोड़ रुपये हो गई है। इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिशन नहीं हुआ, केवल उसी व्यक्ति को बार-बार एक्सटेंड करके पैसा दिया जा रहा है। आप बताइए कि क्या आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी जो बिना कलम चलाए पैसा आगे जारी कर रहे हैं?

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

17.11.2026/1240/वाई.के.-एन.जी./1

श्री बिक्रम सिंह ..... जारी

क्या उनके ऊपर एक्शन होगा? यह इतना बड़ा घोटाला व इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री किसी को बोलने ही नहीं देते। अभी हमीरपुर की बात आएगी तो मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि वह मेरा गृह जिला है। लेकिन यह सच्चाई है कि 42 करोड़ रुपये की चीज 37 करोड़ रुपये में बिकी और 200 करोड़ रुपये से ऊपर खर्च होने के बावजूद भी वह बिल्डिंग आज तक तैयार नहीं हुई। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस सरकार के लिए और क्या हो सकती है? अध्यक्ष महोदय, अभी यहां इलेक्ट्रिकल बसों की बात आ रही थी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए क्योंकि उप-मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमीरपुर बस अड्डे की बात करते हुए कहा कि आपका डिपार्टमेंट है। इनको यह मालूम नहीं है कि बस अड्डों को लेकर एक नई नीति बन चुकी है और अब सभी बस अड्डे जी0ए0डी0 के अधीन हैं। वे ट्रांसपोर्ट विभाग के अधीन नहीं हैं। इसलिए माननीय सदस्य अपने आपको अपडेट रखें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह, आप बोलिए।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो सबसे बड़ा मजाक है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि परिवहन मंत्री जी (माननीय उप-मुख्य मंत्री) को खड़े होकर बोलना पड़ रहा है कि जो बस अड्डा है, वह मेरे पास है ही नहीं और जी0ए0डी0 के पास है। हद है, यार! बहुत ही शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है?

17.11.2026/1240/वाई.के.-एन.जी./2

बस अड्डा तो बस मंत्री (माननीय परिवहन मंत्री) के पास ही होना चाहिए लेकिन इस सरकार में बस अड्डा तो जी0ए0डी0 के पास है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने जी0ए0डी0 को ये अधिकार दे दिए हैं कि 38 करोड़ रुपये की चीज को 200 करोड़ रुपये में बना दो। अगर जी0ए0डी0 के लोग भी गलत हैं...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : श्री बिक्रम सिंह जी, उप-मुख्य मंत्री जी से पूछिए कि जो यह हुआ है, क्या ठीक हुआ है?

श्री बिक्रम सिंह : श्री रणधीर शर्मा जी, इन्होंने इसका जवाब तो दिया ही नहीं है और ये इसका जवाब देंगे भी नहीं क्योंकि इनको सारा मामला पता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है और इसके बारे में सरकार को चिंतन करना चाहिए। आप लोग व्यवस्था परिवर्तन की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। क्या यह आपका व्यवस्था परिवर्तन है कि एक 37 करोड़ रुपये की चीज 200 करोड़ रुपये में बन रही है? क्या आप इसको व्यवस्था परिवर्तन बोलते हैं? इसके अलावा पहली बार पता लगा कि जो बस अड्डा है, वह जी0ए0डी0 के पास है। बस अड्डा तो परिवहन मंत्री के पास होना चाहिए लेकिन पता लगा कि बस अड्डा उनके पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर इलेक्ट्रिकल बसों की बात हुई। जब मैं परिवहन मंत्री था तब बसें खरीदी गईं और यह समान्य बात है कि उसकी परचेजिंग कमेटी का हेड मैं ही था। लेकिन यह पहली सरकार है जिसमें परिवहन मंत्री कमेटी में हेड की बात तो छोड़िए, वह सदस्य भी नहीं है। यह भी पहली बार हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? किसी मंत्री को कमेटी से बाहर क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो खरीद-फरोख्त होनी है, उसमें अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से हेराफेरी हो सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय

उप-मुख्य मंत्री इस पर स्पष्टिकरण दें और मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? क्या आपको दर्द नहीं हुआ?

17.11.2026/1240/वाई.के.-एन.जी./3

क्या आपने इसका विरोध नहीं किया? यह इतनी बड़ी गलती है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर खरीद हो रही है और उस विभाग का मंत्री ही उस खरीद से बाहर है। यहां पर जमीनों की खरीद की भी बड़ी लंबी-चौड़ी बातें हुई हैं। बहुत-सी चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे वह कृषि विश्वविद्यालय हो या एयरपोर्ट हो, वहां पर जो भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। उन आरोपों के बारे में पता होना चाहिए कि जो लोग बोल रहे हैं, वे ऐसा क्यों बोल रहे हैं और कितनी ज्यादा वायलेशन हो रही है। अगर गलत एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनाकर रजिस्ट्री हो रही है, तो उसके ऊपर रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। वहां पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी हो रही है। 200 कनाल जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हो चुकी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्य मंत्री से निवेदन है कि इसकी जांच कीजिए और जो कुछ बोला जा रहा है, उस पर नियंत्रण करवाइए।

अध्यक्ष महोदय, कौन-सा पोर्शन ऐसा है जिसके ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि हर सेक्टर में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहां पर वन माफिया के बारे में लगातार चर्चा होती है। यदि कोई आम आदमी ऐसा काम करे, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, किसी ने एक बार चोरी या गलती कर दी। लेकिन इस सरकार में तो बार-बार रिपीट होता रहा है। धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र की बातें बार-बार आती रही हैं। मैं उसकी लंबी कहानी न पढ़ते हुए केवल यही कहना चाहता हूं कि वहां पर इतना बड़ा स्कैंडल और भ्रष्टाचार हो गया कि वहां से 100 ट्रक निकले और 50 से ज्यादा ट्रकों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पानी में बहा दिया गया या डंप कर दिया गया। क्या इस सरकार ने किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया? क्या इस सरकार ने उन लोगों के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की,

जिन्होंने गलती की थी? लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। इसलिए आप हमें जो कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार पर जो चर्चा मांग रहे हैं, वह तर्कसंगत नहीं है। आप इन बातों का जवाब दीजिए। ये गलतियां क्यों हुई हैं?

ए0टी0 द्वारा.....जारी

17.11.2026/1245/AT/YK/-01

श्री बिक्रम सिंह जारी.....

यदि ये गलतियां हुई हैं तो आप लोगों ने इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है? आए दिन ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। यह भी सुनने में आता है कि आज की तारीख में यदि किसी व्यक्ति को वन निगम (Forest Corporation) में कोई काम करवाना हो, तो उसका काम आसानी से नहीं होता। वहां भी यदि कोई काम करवाना हो, तो पहले पैसे देने पड़ते हैं उसके बाद ही आगे काम होता है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इन सभी मामलों की जांच होनी चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की गईं...(व्यवधान) लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति क्या है? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। हमने बार-बार आपके समक्ष यह मामला उठाया है कि आप जो एम0आर0आई0 मशीन लेकर आए हैं उसकी कीमत और बाजार में उपलब्ध सामान्य एम0आर0आई0 मशीन की कीमत में करोड़ों रुपये का अंतर है। इसके बाद हमने रोबोटिक मशीन का मामला भी उठाया है। उसमें भी करोड़ों रुपये का घालमेल हुआ है। ये सारी बातें कहां चली गईं, माननीय मंत्री महोदय?

माननीय मंत्री महोदय, मैं जिस विषय की बात कर रहा हूं उसका संबंध आपसे भी है। वही लोग यहां भी बैठे हैं, जो आपको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कृपया इस मामले में सावधानी बरतें। मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अस्पतालों में मशीनें तो हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं हैं, नर्सें नहीं हैं और गरीब व्यक्ति परेशान हो रहा है। आज बड़े-बड़े अस्पतालों में पैरासिटामोल जैसी सामान्य दवा तक उपलब्ध नहीं है। जब मरीज

डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास पहनने के लिए दस्ताने तक नहीं होते। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की यह वास्तविक स्थिति है जबकि हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो गया है और हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है।

आज श्री जय राम ठाकुर जी के कार्यकाल में शुरू की गई स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की स्थिति देखिए। हिमकेयर योजना को लगभग पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हिमकेयर के माध्यम से गरीब व्यक्ति को किसी न किसी रूप में लाभ मिलता था और

17.11.2026/1245/AT/YK/-02

उसका इलाज हो जाता था। आज हिमकेयर बंद कर दी गई है और सहारा योजना भी बंद कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना को भी लटका दिया गया है। आखिर इस सरकार ने ऐसा कौन-सा काम किया है, जिसके लिए इसकी पीठ थपथपाई जाए? यहां बैठकर मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं। आदरणीय अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे और आप भी वहीं रहेंगे। अभी आगे-आगे देखिए कि क्या होता है। इसलिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी बहुत खराब है। मैं चाहूंगा कि जिन-जिन मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं उन सभी की पूरी जांच होनी चाहिए।

आपने कह दिया कि आप कहां से बोल रहे हैं, पीटरहोफ बिग गया? आपने पालमपुर विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर जमीन का मामला उठाया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि लोग इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय गए थे जिसके बाद वहां की जमीन बची है। क्या यह गलत है? यदि ऐसा हुआ है तो क्या इसमें भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता?

एच0पी0टी0डी0सी0 के मामले में भी देख लीजिए। चौदह होटलों को बेचने की बात की जा रही थी। हमने इसका विरोध किया, लेकिन हमारे विरोध के बावजूद आठ होटल बेच दिए गए।

आपने मेडिकल डिवाइस पार्क की बात की है। केंद्र सरकार के साथ जिस मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर बातचीत और समझौता हुआ था उसमें आपने कहा कि हम इन शर्तों को नहीं मानेंगे। मैं चाहूंगा कि जब आप अपना भाषण दें, तो इस बात का भी स्पष्ट जवाब दें कि उस मेडिकल डिवाइस पार्क को किस प्रकार विकसित किया है।

क्या मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण और संचालन के दौरान खनन नियमों का ध्यान रखा गया? जब वहां जमीन को समतल किया गया, तो क्या उसकी रॉयल्टी वसूल की गई? जिस समय वहां खनन का कार्य हुआ उस समय क्या खनन से संबंधित सभी नियमों और कानूनों का पालन किया गया? अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां मनमाने तरीके से काम किया गया। अपने चहेतों की जेबें भरने का काम हुआ। इसके अतिरिक्त वहां कुछ नहीं हुआ।

17.11.2026/1245/AT/YK/-03

आज की तारीख में वहां मेडिकल डिवाइस पार्क के नाम पर कुछ भी नहीं है और न ही भविष्य में वहां ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। क्योंकि आप लोगों का वास्तविक उद्देश्य तो केवल जमीन को समतल करना और उसके माध्यम से कुछ लोगों की जेबें भरना था। इसके अतिरिक्त आपका कोई उद्देश्य नहीं था।

आप हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 118 में संशोधन की बात बार-बार करते हैं। इस मामले में भी भ्रष्टाचार की बू आती है। जिन नियमों और प्रावधानों में आप विस्तार करने की बात कर रहे हैं उनमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है। इसलिए धारा 118 जैसी है, वैसी ही रहनी चाहिए। इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हिमाचलियत धारा 118 को बचाकर ही सुरक्षित रह सकती है। इसलिए मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि प्रदेशभर में सक्रिय 118 माफिया पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। **अंत में, अध्यक्ष महोदय, एक और नया मामला चेस्टर हिल (Chester Hill) का उठाना आवश्यक है। यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी पर भी प्रश्नचिह्न लगे हैं। मैं पूर्व मुख्य सचिव की बात कर रहा हूं। वर्तमान मुख्य सचिव तो बड़े शरीफ और अच्छे व्यक्ति हैं।**

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी.....

17.11.2026/1250/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
श्री बिक्रम सिंह..... जारी

यह पहली बार हुआ है कि इस प्रकार के एक एपिसोड की चर्चा गली-गली में हो रही है और इतने बड़े-बड़े अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान लगे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या उस मामले में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? भ्रष्टाचार के कारण ही वहां ये सारी घटनाएं हुई हैं। एस0डी0एम0 कुछ कह रहे हैं और अधिकारी कुछ और कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, **मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाई जानी चाहिए।** इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के बारे में हमने जो चर्चा की है और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं तथा जो बातें सदन में रखी हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले। यदि सरकार इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेगी तो आने वाला समय सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा।अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

17.11.2026/1250/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री राम कुमार जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विक्रम सिंह जी ने बल्क ड्रग पार्क के बारे में जो बात कही है, वह ठीक है कि बल्क ड्रग पार्क के निर्माण में देरी जरूर हुई है। इसका कारण एनवायरनमैंटल क्लियरेंसेस हैं, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया है, सितंबर, 2025 में एनवायरनमैंटल क्लियरेंसिज प्राप्त हुई थीं। हमने जो योजना बनाई थी, उसमें गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमैंट ने बदलाव कर दिया। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क के चारों तरफ 35 मीटर का ग्रीन कवर बनाए रखने और उसे न छेड़ने के निर्देश दिए हैं। इस कारण हमें सारी चीजें दोबारा रिअडजस्ट करनी पड़ीं और इसी वजह

से देरी हुई है। जैसा आपने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में अभी तक लगभग 275 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की गई थी और उसमें हमने उन्हें पूरी डिटेल दी है।

अध्यक्ष महोदय, **जहां तक टेंडर की बात है, लैंड लेवलिंग के टेंडर के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हमने लगभग 2,000 बीघा लैंड डवलप कर दी है । जल शक्ति विभाग द्वारा 95 प्रतिशत काम पूरा कर दिया गया है तथा लिफ्ट के माध्यम से पीने का पानी बल्क ड्रग पार्क तक पहुंचा दिया गया है। बिजली की व्यवस्था के लिए 233 के0वी0 की लाइन बिछाई जा रही है जिसके लिए हमने टी0सी0एल0 को 80 प्रतिशत पैसा दे दिया है। इसके अतिरिक्त 33 के0वी0 के जो सब-स्टेशन में बनने हैं, उनके लिए भी हमने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा दे दिया है और उनका 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। अगले 15 दिन के अंदर बल्क ड्रग पार्क में बिजली आ जाएगी। जहां तक टेंडर की बात है, हमने पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडर किए हैं। पहली बार हमने टेंडर की प्रक्रिया में कुछ नई शर्तें रखी हैं। उदाहरण के लिए जेड0एल0डी0 प्लांट के संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमैंट ने निर्देश दिए थे कि आप जेड0एल0डी0 प्लांट लगाएंगे, क्योंकि हम लैंडलॉक हैं और हमारे पास डिस्पोजल के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने जेड0एल0डी0 प्लांट लगाने को कहा और हमने वह प्लांट व बॉयलर भी लगाए हैं। ए0पी0आई0 यूनिट में स्टीम की आवश्यकता होती है और उसके लिए बॉयलर लगाए गए हैं। बॉयलर का यह प्रोजैक्ट लगभग 250 करोड़ रुपये का है। हमने पहली बार यह व्यवस्था की है, पहले जो कंपनी या व्यक्ति टेंडर प्राप्त करता था, वह काम करके चला जाता था। हमने इस बार टेंडर में यह शर्त रखी है कि जो व्यक्ति यह प्लांट लगाएगा, वही इसे 25**

17.11.2026/1250/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

साल तक चलाएगा। इसके अतिरिक्त पहली बार हमने यह भी शर्त रखी है, क्योंकि आपने बिडिंग के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो इंसेंटिव्स कमिट किए हैं, जिसके आधार पर हमें यह बल्क ड्रग पार्क मिला है उसके तहत हमने बिडिंग में कहा था कि हम स्टीम सस्ती देंगे, लैंड सस्ती देंगे और बिजली सस्ती देंगे। यह बात ठीक है कि यदि

हम ये सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता न जताते और बिडिंग न करते तो हमें यह प्रोजैक्ट मिलना ही नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, अब हमने यह शर्त रखी है कि जो अपेक्स होगा और जो सब्सिडी का खर्च होगा, उसे कौन-सी कंपनी मैक्सिमम बीयर करेगी। हमने कहा है कि जो व्यक्ति प्लांट लगाएगा और उसे चलाएगा, उसे कम-से-कम 50 प्रतिशत खर्च बीयर करना पड़ेगा। अब जो टेंडर आया है, उसमें संबंधित बीडर ने वर्ष 2032 तक 95 प्रतिशत कॉस्ट बीयर करने की पेशकश की है।

अध्यक्ष महोदय, **टेंडर अभी रुका हुआ है, यह बात ठीक है। संबंधित व्यक्ति इसे 25 साल तक चलाएगा क्योंकि यह कॉन्सेप्ट पहली बार इंडिया और हिमाचल में आया है। ...(व्यवधान) अब मैं बॉयलर के संबंध में बताना चाहता हूं।** ...(व्यवधान)

श्री बिक्रम सिंह : लेकिन इसमें देरी क्यों हो रही है?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी हाई पावर कमेटी की मीटिंग में ही सारी चीजों का फैसला होता है। अभी हाई पावर कमेटी की मीटिंग नहीं रखी गई है। सैशन के बाद हम यह मीटिंग रखेंगे और टेंडर में जो भी एल0वन होगा, उसे टेंडर अवॉर्ड कर देंगे। इसमें कोई अनियमितता या सौदेबाजी जैसी बात नहीं है। जो बिड्डर एल0वन होगा, उसी को टेंडर दिया जाएगा। इस बिडिंग में कम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि संबंधित कंपनी को 25 साल तक प्लांट चलाना पड़ेगा।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी

17-11-2026/1255/NS-AG/1

उद्योग मंत्री------जारी

यदि हमें उद्योग विभाग के माध्यम से इसे चलाना पड़ता, बॉयलर्स और SZLD को चलाना पड़ता तो यह हमारे वश की बात नहीं है। इसके लिए हमें इतने इम्प्लॉयज एंगेज करने पड़ते जो मुश्किल था। इसलिए हमने तय किया कि जो इसे लगाएगा वही इसे चलाएगा।

अध्यक्ष महोदय, हमने बल्क ड्रग पार्क में लगभग 275 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। हम दो महीने के अंदर लैंड अलॉट भी कर देंगे और गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने जो हमें डैडलाइन दी है उस समयसीमा में इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी मॉनिटरिंग की है क्योंकि बल्क ड्रग पार्क, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भी अलॉट हुआ है। मॉनिटरिंग में हम इन तीनों स्टेट्स से in terms of development, in terms of work आगे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम within timeline इनको पूरा करेंगे। आपको तो इसका एक्सपीरियंस है। You had been the Industries Minister for five years. आपकी जो राय और सलाह है या आपको ऐसा लगता है कि हमारे विभाग में कोई त्रुटियां या कमियां हैं तो हम उन्हें दूर करेंगे। हम पारदर्शिता से काम करेंगे। मैं आपको as an Industries Minister कह सकता हूं कि किसी भी प्रेशर में आकर कोई काम नहीं करूंगा। फेयरनैस और पारदर्शिता के आधार पर ही सभी कार्य किए जाएंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष : नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय बिक्रम ठाकुर जी ने चेस्टर हिल प्रोजैक्ट के बारे में थोड़ा इशारा किया है। यह एक ड्यूबियस प्रैक्टिस थी जो आपकी सरकार के समय से भी चलती आ रही थी। कुछ रियल एस्टेट डवलपर्स लैंड टेनेंसी एक्ट की धारा-118 को बाईपास करने के लिए हिमाचल के लैंड ऑनर्स के साथ ज्वॉइंट डवलपमैंट एग्रीमैंट करके ऐसे प्रोजैक्ट लाते थे। **हमारी सरकार ने इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया है। अब हम इस तरह के किसी भी जे0डी0ए0 को अलौ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा सिस्टम को मैनिपुलेट करके इसका लाभ उठाया जा रहा था। इस संबंध में जो वायलेशन हुई हैं उनकी इंक्वायरी हो रही है** और भविष्य में इस तरह के जे0डी0ए0 को सरकार ने बंद कर दिया है।

17-11-2026/1255/NS-AG/2

अध्यक्ष : अब तीन मिनट शेष हैं। आगे की कार्यवाही भोजनोपरांत होगी।

The House is adjourned for Lunch Break. The House will be resumed at 2 o'clock, and Shri Ram Kumar will be the first speaker.

17.11.2026/1410/RKS/HK-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02.10 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-67 के अंतर्गत प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का समय दिया, आपका धन्यवाद। आज मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब श्री जय राम ठाकुर जी बोलने के लिए खड़े हुए तो वे 5 मिनट तक खड़े रहे लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। इससे स्पष्ट है कि आज की तारीख में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के लोग टोटली मुद्दाविहीन हो गए हैं। पिछले कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि भाजपा सरकार के घोटालों के संबंध में श्वेत पत्र तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। आज समाचार पत्रों में भी इस संबंध में खबर प्रकाशित हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी कारण विपक्ष को मजबूरी में यह स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ा है। मैं इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करता हूं। विपक्ष ने 'हिमाचल ऑन सेल' का जो नारा दिया है वह कार्य इनके सत्ता में रहते हुए हुआ था। यह नारा कांग्रेस पार्टी का है। इसी नारे के तहत आप लोग विपक्ष में गए और हम यहां सत्ता पक्ष में बैठे हैं। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इतने गंभीर आरोपों के समर्थन में इनके पास कौन-से प्रमाण हैं? कौन-सा प्रमाण है कि किस सरकारी संपत्ति को किसे और कब तथा किस नियम के उल्लंघन के तहत बेचा गया? इस मामले में संबंधित अधिकारी और मंत्री का नाम भी उजागर किया जाए। बिना तथ्यों के इस प्रकार के आरोप लगाना कि हिमाचल ऑन सेल हो गया या वहां ऐसा हो गया और वैसा हो गया, पूरी तरह निराधार है। केवल पक्ष को कोसने और सदन में चर्चा करने के उद्देश्य से नियम-67 के अंतर्गत यह चर्चा लाई गई है। मैं 3-4 मुद्दों के माध्यम से एक-एक करके उन घोटालों का उल्लेख करना चाहता हूं जो इनके कार्यकाल में हुए और जो प्रमाणित हैं। सबसे बड़ा घोटाला पुलिस भर्ती के पेपर लीक होने का था। इसमें प्रदेश के नौजवानों की मेहनत और उनकी जवानी के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं भर्ती पेपर लीक मामले के संबंध में बात करना चाहूंगा। 27 मार्च, 2022 को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रदेश के हजारों नौजवानों ने दिन-रात मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी की थी। किसी

ने खेतों में काम करते हुए पढ़ाई की तो किसी के पिता ने मजदूरी करके अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाया। किसी परिवार ने अपने बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए अपनी छोटी-छोटी बचत तक लगा रखी थी। लेकिन

17.11.2026/1410/RKS/HK-2

दुर्भाग्यवश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। इस संबंध में 5 मई, 2022 को जिला कांगड़ा में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई थी जो इसका प्रमाण है। इसके अगले ही दिन तत्कालीन भाजपा सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? यह उस समय हुए घोटाले का एक स्पष्ट प्रमाण था। इस मामले की जांच के दौरान एक संगठित नेटवर्क सामने आया। इसमें विभिन्न राज्यों के एजेंटों, अभ्यर्थियों और अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारियां हुईं। बाद में यह मामला सी0बी0आई0 तक पहुंचा। सी0बी0आई0 ने वर्ष 2024 में 88 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए। इतना बड़ा घोटाला उस समय आपकी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। इस मामले में मुकदमे दर्ज हुए और कार्रवाई भी की गई। आप कहते हैं कि कार्रवाई करो।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.11.2026/1415/बी.एस./डी.सी.-1

श्री राम कुमार जारी...

उस कार्रवाई को मुख्य मंत्री जी ने करके दिखाया है। उसी का परिणाम आज आपके सामने है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर से संबंधित पेपर लीक प्रकरण सामने आया। इस मामले में सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता और पूरी व्यवस्था पर सवाल उठे थे। दिसंबर, 2022 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आई0टी0) की भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर बेचे जाने का मामला सामने आया। दिनांक 23 दिसंबर, 2022 को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए आयोग की गोपनीय शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। क्या यह कार्रवाई नहीं है? विपक्ष के साथी कहते हैं कि यदि सरकार के पास प्रमाण हैं तो

कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बड़ी-बड़ी कार्रवाइयां मुख्य मंत्री जी ने की हैं जिससे विपक्ष का असली चेहरा बेनकाब हुआ है।

इसके बाद अब ये जमीन के मामले को उठा रहे थे। पूर्व मुख्य मंत्री जी हिमाचल ऑन सेल की बात कर रहे थे और उन्होंने चंडीगढ़ की जमीन का भी उल्लेख किया था। इस विषय पर मैं बाद में आऊंगा। मैं पहले भी कई बार प्रश्नों के माध्यम से यह मामला इस माननीय सदन में उठा चुका हूं। पिछली सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश की लगभग 5,000 बीघा जमीन मात्र एक रुपये और 250 रुपये की दर से बेची गई। आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के संसाधनों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ने में भी पिछली सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उस समय सरकार को यह जानकारी थी कि आर0डी0जी0 बंद होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश के वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग करने की बजाय उन्हें कौड़ियों के भाव नीलाम कर दिया गया। इन निर्णयों से प्रदेश के संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया गया और प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हुई और पूर्व सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसका जीता-जागता उदाहरण बी0बी0एन0 की करोड़ों रुपये की जमीन है जिसे कुछ घरानों को मात्र एक रुपये और 250 रुपये में दे दिया गया। केवल जमीन ही नहीं दी गई बल्कि उसकी रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी गई। बाकायदा अधिसूचना जारी करके यह प्रावधान किया गया कि उस जमीन पर कोई

स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। यह भी उस समय की सरकार द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा घोटाला था। इसके अतिरिक्त चेंज ऑफ लैंड यूज (सी0एल0यू0) की फीस का शेयर हमारे बी0बी0एन0 क्षेत्र को प्राप्त होता है उसे भी माफ कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश का कोई निवासी बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में अपने घर या मकान का निर्माण करने अथवा दुकान खोलने या उद्योग लगाने के लिए सी0एल0यू0 करवाता है तो उसे निर्धारित फीस जमा करवानी पड़ती है इसके विपरीत पिछली सरकार ने कुछ घरानों को करोड़ों रुपये की जमीन देने के साथ-साथ सी0एल0यू0 की फीस से भी छूट दे दी। इस प्रकार

प्रदेश की करोड़ों रुपये की संपत्ति लुटाई गई। यह बहुत बड़ा घोटाला था जो पिछली सरकार के समय हुआ। मैं वर्तमान उद्योग मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन लोगों को जमीन का आवंटन किया गया है और जिन्होंने अभी तक उन जमीनों पर कार्य शुरू नहीं किया है उनके संबंध में तुरंत अधिसूचना जारी की जाए। जिन लोगों ने आवंटन के दो वर्ष बाद भी कार्य शुरू नहीं किया है उनके आवंटन की समीक्षा की जाए। आवंटन पत्र में पहले से ही इस संबंध में शर्तें निर्धारित होती हैं। इसके साथ-साथ भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले का भी उल्लेख करना चाहूंगा। प्रावधान में यह मेंशन है कि यदि कोई कंपनी 2 वर्ष के भीतर कार्य शुरू नहीं करती है तो उसका अलॉटमैंट रद्द किया जा सकता है। इस संबंध में मैं पहले भी मांग कर चुका हूं। मैं मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जिन कंपनियों को जमीन अलॉट की गई है लेकिन उन्होंने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है उनका अलॉटमैंट रद्द किया जाए ताकि आने वाले समय में उन जमीनों को ऑक्शन रेट पर बेचा जा सके और प्रदेश की आय में बढ़ोतरी हो। इसकी थोड़ी-सी विस्तृत जानकारी भी मैं देना चाहूंगा। मौजा कृपालपुर में लगभग हजारों बीघा जमीन पिछली बीजेपी सरकार ने लोगों को कौड़ियों के भाव दी। इसी प्रकार मौजा पलासड़ा में भी हजारों बीघा जमीन दी गई। महादेव में एक ऐसी फैक्टरी स्थापित की गई जिसको जमीन अलॉट की गई थी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में आदरणीय बाबा जी भी इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। उस क्षेत्र में स्थापित फैक्टरी द्वारा हजारों-लाखों लीटर पानी का दोहन किया जा रहा है। इसके कारण हमारी सिंचाई की स्कीमें बंद हो गई हैं और उस क्षेत्र में पीने के पानी की स्कीमें भी बंद हो गई हैं। बाबा जी ने शायद पिछली बार भी इस प्रश्न को

17.11.2026/1415/बी.एस./डी.सी.-3

उठाया था। इस संबंध में आप अपने वक्तव्य में बताएंगे कि कुल कितनी जमीन इस प्रकार अलॉट की गई है।

इसी प्रकार लखनपुर-रिढ़ां का हमारा बहुत बड़ा जंगल है। वहां एक कमीशन कंपनी को 1,000 बीघा जमीन 1 रुपये में अलॉट की गई। मैं पूछना चाहता हूं कि हिमाचल ऑन सेल

आपके समय में था या हमारे समय में था? इन्होंने इस प्रकार के घोटाले किए हैं। इसके अतिरिक्त मैं मेडिकल डिवाइस के विषय में भी बात करना चाहूंगा। उसमें भी घपला होने की बू आ रही थी।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

17.11.2026/1420/DT/HK-1

श्री राम कुमार जारी....

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस कार्य को रोका और जो पैसा भारत सरकार से यहां आया था उसे वापस लौटा दिया गसर। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल के संसाधनों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे और इस संबंध में कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे प्रदेश के हितों को नुकसान पहुंचे। वह पांच हजार बीघा जमीन जिसका लेवलिंग का विषय अभी माननीय उद्योग मंत्री जी उठा रहे थे, वह सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपये की जमीन है। यदि उस जमीन को हम अलॉट करेंगे तो लगभग साढ़े पांच हजार रुपये प्रति मीटर के हिसाब से वह जमीन ऑक्शन में बिकेगी और वहां बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा। जबकि इन्होंने केंद्र के दबाव में वह जमीन फ्री में दे दी थी। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के वित्तीय संसाधनों का दोहन करके लगभग छह हजार करोड़ रुपये का प्रबंध किया है उसमें जो पिछले बहुत वर्षों से जो केसिज पेंडिंग थे, उनकी लड़ाई लड़ी गई और अच्छे वकील वहां खड़े किए गए। यदि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो न तो हमें कुशाऊ बांध का पैसा मिलता और न ही बी0बी0एम0बी0 का पैसा मिलता। क्योंकि इन्होंने तो वहां इस विषय को उठाना ही नहीं था। इनके केंद्रीय लीडर्ज ने इन्हें एक बार आंख दिखाई होती तो ये कुछ नहीं बोल पाते। जैसा कि आपने देखा कि कुशाऊ बांध के मामले में हमारे पार्टनर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी कुछ नहीं बोल पाए और उन्हें वहां से एक रुपया भी नहीं मिल रहा है। ये हिमकेयर की बात कर रहे थे। किसने कहा कि हिमकेयर योजना बंद है? हिमकेयर योजना चल रही है। हजारों लोग हमसे भी संपर्क करते हैं कि हिमकेयर में उनका यह इलाज नहीं हुआ और उसके लिए जो अतिरिक्त खर्चा है उसके लिए लोग हमारे पास आवेदन लेकर आते हैं। हिमकेयर चल रही है। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को गुमराह करना बंद करें। ये चाह रहे हैं कि प्रेस में इनकी खबर लगे कि हिमकेयर

नहीं चल रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमकेयर में जो घोटाले हुए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। कुछ छोटे-मोटे डॉक्टरों ने अपने बड़े-बड़े हॉस्पिटल खड़े कर लिए थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसे कार्यों को बंद करवाया और उन चोर दरवाजों को बंद किया। इसके लिए मैं अपने सरकार और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे कार्यों को बंद करके उचित कार्रवाई की।

17.11.2026/1420/DT/HK-2

माननीय पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि इस समय कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। मैं इस समय यहां लगी तीन-चार इंडस्ट्रीज का उदाहरण देना चाहूंगा। संधार कंपनी नालागढ़ एरिया में स्थापित हुई है जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट आई है और लगभग 500 लोगों को रोजगार मिला है। इसी प्रकार मैकलोड कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया है जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। एक स्टीलबर्ड कंपनी है। हिंदुस्तान लीवर कंपनी के बंद होने के बाद उस कंपनी को खरीदा है। स्टीलबर्ड कंपनी बद्दी में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसी प्रकार श्री राम फार्मा ने लगभग 100 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों में बी0बी0एन0 में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज इन्हें दिखाई दे रहा है कि सरकार रिपीट कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी एक के बाद एक नींव के पत्थर लगा रहे हैं और प्रदेश की जनता भी आज इस विषय पर चर्चा कर रही है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पहली बार रिपीट होने की ओर अग्रसर है। साढ़े तीन लाख लोगों के संबंध में ये हर रोज बात करते थे कि इन्हें पेंशन कब मिलेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साढ़े तीन लाख परिवारों को पेंशन देने की बात की है। जब हम गांव में जाते हैं तो लोग कहते थे कि हम बी0पी0एल0 से वंचित रह गए और बी0पी0एल0 में हमारा नाम नहीं आया। इस विषय पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी ने फैसला लिया कि उन परिवारों को अपना परिवार सुखी परिवार योजना के अंतर्गत 75 हजार रुपये से नीचे आय वाले लोगों को शामिल किया गया। मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 2,000 ऐसे गरीब परिवार थे जिन्हें इस योजना में शामिल किया गया था। इसलिए अब इन परिवारों को पूरा डर है कि इस योजना को दोबारा बंद किया जा रहा है। इस प्रकार की चर्चा लाकर सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ

किया जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि इनके पास उन घोटालों से संबंधित कोई प्रमाण हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं तो उन्हें सभा पटल पर रखें। बिना किसी प्रमाण के इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है और मैं नहीं समझता कि इनकी बात ठीक है।मैं इतना ही कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

17.11.2026/1420/DT/HK-3

अध्यक्ष : अब माननीय डॉ. हंस राज जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

डॉ. हंस राज : माननीय अध्यक्ष जी, नियम-67 के अंतर्गत हमने जो काम रोको प्रस्ताव दिया था उसे आपने स्वीकार किया। इसमें हमने कहा था कि हिमाचल ऑन सेल है तथा मौजूदा कांग्रेस सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस विषय पर सदन में अविलंब चर्चा करवाई जाए। आपने विपक्ष के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस दौरान बीच-बीच में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से भी टिप्पणियां की गईं। मैं समझता हूं कि यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

17.11.2026/1425/एच.के.-एन.जी./1
डॉ0 हंस राज..... जारी

कि जब वर्ष 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हुई और मौजूदा कांग्रेस सरकार बनी, तो उसने अपनी गारंटियों के चक्कर में या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में जो वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने के चक्कर में आज प्रदेश को ऐसे हालात में पहुंचा दिया है कि जब हम चार साल बाद प्रदेश को देखते हैं, तो सवाल यह उठता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे? आज प्रदेश के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो गया है। मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में रही, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम होना चाहिए था, उसमें चम्बा जैसे जिले को भी मुख्यधारा से जोड़ा गया। मैं जिस

विधान सभा क्षेत्र का नेतृत्व करता हूं, उसने भी पहली बार देखा कि डिवीजन नाम की भी कोई चीज होती है। वहां पर भी आई0टी0आई0 खुल सकती है, बस अड्डा बन सकता है, सब-जज कोर्ट हो सकता है और साथ ही मिनी सचिवालय जैसी व्यवस्थाएं भी चम्बा जैसे हमारे एस्पिरेशनल जिले के क्षेत्रों में हो सकती हैं। इस तरह का बदलाव हमें देखने को मिला। मैं देखता हूं कि जब मैं वर्ष 2012 में विधायक बना, तो मुझे विरासत में 16 सड़कें मिली थीं। जब मैं पिछली सरकार के समय पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में वर्ष 2022 के चुनाव में गया, तो हमें फील्ड में कहीं पर भी सिर झुकाने का मौका नहीं मिला। वह इसलिए क्योंकि हम 16 सड़कों को 270 सड़कों तक तब्दील कर गए थे और लगभग वे सभी बुनियादी सुविधाएं, जो एक विधान सभा क्षेत्र में होनी चाहिएं, उपलब्ध हो गई थीं। जिन कॉलेज, हॉस्पिटल, पी0एच0सी0 और स्कूलों के लिए हम वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के बीच लड़ाई लड़ा करते थे, वे वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2022 के बीच सब बेहतर हो गए थे। अब यहां पर समस्या यह आ गई है कि जब प्रदेश में हमारी सरकार सत्ता से बाहर हुई, तो प्रदेश पर 67 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था। यह कर्ज जितने भी मुख्य मंत्री रहे, उन सभी ने लिया, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए किया। उन्होंने चाहे कोई हॉस्पिटल खोला होगा, चाहे कोई विद्यालय खोला होगा या चाहे कोई कॉलेज खोलो होगा। क्षेत्रवाद को पीछे छोड़कर या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी मुख्य मंत्रियों ने अपने-अपने तरीके से काम किया होगा। इसीलिए उन सभी की सरकारें 67 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गई। लेकिन इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज की तारीख में

17.11.2026/1425/एच.के.-एन.जी./2

यह है कि, और यह मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि कैग की रिपोर्ट यह कहती है और साथ में जो फाइनेंस को समझने वाले लोग हैं, जो प्रदेश की आर्थिकी को समझते हैं, वे कहते हैं कि 57 हजार करोड़ रुपये का कर्ज तो चार सालों में ही ले लिया गया और उससे उस तरीके से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डवलप नहीं हुआ। जब डी-नोटिफिकेशन का दौर चला, तो उसमें जो आरी चली, उसमें हमारे जैसे विधान सभा क्षेत्र भी प्रभावित हुए। मैं यह समझता हूं कि दूसरे जिलों व दूसरे विधान सभा क्षेत्रों ने जिस रफ्तार से विकास करना शुरू किया था,

वैसी ही रफ्तार हमने भी पकड़नी शुरू की थी। लेकिन डी-नोटिफिकेशन की ऐसी तलवार चली कि सब रुक गया। अगर हमारे आर्थिक हालात सही नहीं थे और पूरे प्रदेश में संस्थान नहीं खुलते, तो बात जायज भी लगतीक की ठीक है, पूरे प्रदेश के हालात खराब हैं। आपने ओ0पी0एस0 देनी थी तो हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। लेकिन हमने यह जरूर कहा था कि ओ0पी0एस0 तो तब देंगे, जब लोग रिटायर होंगे और तब उन्हें इसका लाभ मिलेगा। लेकिन आपने यह जो 57-58 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बैठता। मैं देख रहा था कि अभी कुछ लड़के हमसे मिले। वे बेरोजगार युवा हैं और प्रदेश में रोजगार के लिए विभिन्न आवेदन करते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले पटवारियों के पदों के लिए आवेदन हुआ, तो उसमें खबर छपी कि करीब 8 करोड़ रुपये आवेदन शुल्क के रूप में व्यवसाय हुआ या इतना आवेदन शुल्क ले लिया गया। तो यह किस तरह से, किस दिशा में प्रदेश जा रहा है? मैं कैग की रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में सरकार ने 3,102.8 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च कर दिए गए, जिसकी मंजूरी भी नहीं थी और 427 करोड़ रुपये तो ऐसे थे

ए0टी0 द्वारा.....जारी

17.11.2026/1430/AT/YK/-01

डॉ हंस राज जारी.....

जिनकी पहले से कोई मंजूरी ही नहीं थी। इसलिए जब मैं CAG की रिपोर्ट को देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वर्तमान सरकार ने जो 57-58 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, वह किसलिए लिया होगा? उसका औचित्य तो फिर यही बताया जाता है कि तीन अटैचियां दिल्ली और दो यहां हैं। क्या यही इस कर्ज को लेने का औचित्य है?

दूसरी बात, अभी मुझसे पहले माननीय सदस्य इस विषय पर बोल रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सेस के नाम पर उद्योगों पर अनावश्यक सेस लगाया है और अब होटल व्यवसायियों पर भी सेस लगा दिया है। हम लोग आजकल यहां धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। कई लोगों ने बताया कि सरकार ने ऐसा सेस लगा दिया है, जिसकी उतनी आवश्यकता ही नहीं थी। पहले पांच-पांच वर्षों के लिए एक्सटेंशन मिलती थी लेकिन आपने

यहां के होटल व्यवसायियों पर भी भारी-भरकम सेस लगा दिया है। एक तरफ बाली साहब पर्यटन के विकास के लिए बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हम पर्यटन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं।

मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी की व्यथा को भी अच्छी तरह समझ सकता हूं। वर्तमान में यह विभाग उनके पास है। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वे इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं और प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री भी हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमीरपुर के बस अडे में इन्होंने बयान दिया कि इसमें उनका कोई लेना-देना नहीं है और इसके लिए जी0एस0डी0 तथा अन्य कारण जिम्मेदार हैं। तो फिर ऐसे विभाग में कौन व्यक्ति है जो 200 करोड़ रुपये तक का घोटाला कर रहा है? 37 करोड़ रुपये के बस अडा है इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है?

दूसरी बात, जो बसें खरीदी गई थीं उनके लिए जो कमेटी गठित की गई थी, उलके मंत्री यह हैं। लेकिन उस कमेटी में ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया गया, जो बाद में

17.11.2026/1430/AT/YK/-02

दिल्ली के लिए सांसद बन गए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण और क्या हो सकता है? अभी कहा जा रहा था कि यदि आपके पास तथ्य हैं तो तथ्य प्रस्तुत कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि ये दो-तीन तथ्य ही पर्याप्त हैं जो भ्रष्टाचार की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपको वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने के लिए चुराह से चंबा की ओर ले चलता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी चार साल बाद चंबा के दौरे पर आए। इस दौरान एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मैं मुख्य मंत्री जी की परेशानी भी समझ सकता हूं। हमारे सरकारी रेस्ट हाउस पिछले चार वर्षों में ऐसी स्थिति में पहुंचा दिए गए हैं कि वहां गैस का सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं होता। इसके बाद उन्होंने इसका भी समाधान निकाल लिया कि ठीक है, रेस्ट हाउस में नहीं रुकना है तो गांव में चले जाते हैं। गांव के नाम पर भी जैसे आप चुराह में गए, चंबा में पता नहीं आप कहां रुके। लेकिन चुराह में आप जिस स्थान पर गए वहां बैरागढ़ का सबसे अच्छा और बेहतरीन होटल है जो मेरे घर के बिल्कुल साथ ही स्थित है। मैंने तो उनको

अपने घर आने का निमंत्रण भी दिया था। मेरे घर में चार-पांच अच्छे कमरे हैं और उनके साथ ही वॉशरूम भी हैं।

अब व्यवस्था का तरीका भी देखिए। वनी वनाई रोटियां मंगवाकर वहां भेजी दी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि पता नहीं आजकल पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री महोदय की इतनी अधिक चल रही है। बंजाराडू से बैरागढ़ की दूरी लगभग 27-28 किलोमीटर है। इस मार्ग पर ई0एन0सी0 साहब भी दौड़ हैं। इसलिए वहां तो टायरिंग हो जाती थी लेकिन मुख्य मंत्री जी को धूल भरे रास्ते पर ही दौड़ा दिया गया।

मुख्य-मंत्री जी वहां पहुंचे और शाम को उन्होंने उलाहमा भी दिया कि क्या लकड़ी जलाई आप लोंगों ने? वहां तो धुआं ही चला हुआ था। मैंने कहा कि यह बैरागढ़ का क्षेत्र है यहां तो धुआं ही मिलेगा। यहां कांग्रेस को वोट नहीं मिलते जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूं।

आप देखिए, मुख्य मंत्री जी वहां आए। हमने उनका स्वागत करवाया और उनका स्वागत भी हुआ। वहां उनके नेताओं ने बड़े-बड़े भाषण दिए और बहुत-सी बातें कहीं। लेकिन जिन संस्थानों को पूर्व सरकार और हमारे पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने स्वीकृति दी थी जैसे हमारा मसरूंड का कॉलेज, कोटी में खोला गया विकास खंड कार्यालय और

17.11.2026/1430/AT/YK/-03

हमारी दो पी0एच0सी0, कोहल और बैरागढ़ हैं। बैरागढ़ की पी0एच0सी0 तो उसी स्थान पर थी जहां मुख्य मंत्री जी आग सेंक रहे थे। मैंने सोचा कि शायद आग सेंकते-सेंकते वे थोड़ा इलाज का काम भी करके आएंगे और हमारी अधिसूचना निरस्त की गई पी0एच0सी0 को भी दोबारा खोलकर चले जाएंगे।

लेकिन आजकल एक नया काम शुरू हो गया है। रोहित जी यहां उपस्थित नहीं हैं। सी0बी0एस0ई0 की व्यवस्था को देखिए। मुझे निदेशक और सचिवों पर बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं? जिस हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से हम सभी ने पढ़ाई की है और जो पहले से स्थापित व्यवस्था है आप उसी बोर्ड को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। इस कारण अभी तक लगभग 118 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

हमने कभी नहीं कहा कि आप सी0बी0एस0ई0 के स्कूल मत खोलिए। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है चुराह में हमारे 34 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें से केवल तीन स्कूलों के साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा भेदभाव तो शायद हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ एक सो बच्चे सी0बी0एस0ई0 के तहत पढ़ाई करेंगे और उसी क्षेत्र के अन्य बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर होंगे, जहां शिक्षक तक उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी तरफ, सी0बी0एस0ई0 के स्कूलों में जो शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं उन्हें 10 हजार, 12 हजार और 14 हजार रुपये

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...

17.11.2026/1435/टी0सी0वी0/एच0के0-1
नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी
डॉ0 हंस राज ..... जारी

वेतन दिया जाता है और कहा जाता है कि उन्हें 10 महीने की सैलरी मिलेगी। यह बेरोजगारों और पढ़े-लिखे बेरोजगारों के साथ कहां का न्याय है? यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से सरकार पर सीधा आरोप है कि सी0बी0एस0ई0 के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे समाप्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, यदि आपने टीचर ही बढ़ाने थे तो सी0बी0एस0ई0 क्यों किया? एन0सी0ई0आर0टी0 की किताबें एच0पी0 बोर्ड भी पढ़ाता है और सी0बी0एस0ई0 भी पढ़ाएगा। आपने पहले भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले हुए हैं और वहां भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रही है। फिर इसमें अंतर क्या है और आपने घोषणाएं क्या कीं? आपने कहा कि मैं यहां चुराह में चार स्कूल खोल देता हूं। हमारे यहां गुनू नाला जो लोअर चुराह में आता है, वहां तो एक भी स्कूल खोलने की बात नहीं हुई। हमने कहां कॉलेज खोले थे? कहां पी0एच0डी0ज़ खोली थीं? कहां प्राइमरी स्कूल खोले थे और कहां हायर स्कूल खोले थे? आपने पहले से खुले हुए स्कूल तो डिनोटिफाई कर दिए और अपने भ्रमण को जस्टिफाई करने के लिए सुबह बाइट दे दी कि चलो, तुम्हारा भी स्कूल मैं सी0बी0एस0ई0 कर देता हूं। मुझे बड़ा हैरानी होती है कि वहां बैठे हुए लोग तालियां भी बजा रहे थे और

नारे भी लगा रहे थे। देखिए, हमारी कितनी अज्ञानता है जबकि वहां मांग कुछ और होनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय, श्री रोहित ठाकुर जी इतने विद्वान और पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। जिस दिन ये शिक्षा मंत्री बने थे, मैं अंदर-ही-अंदर बहुत खुश हुआ था कि एक विद्वान व्यक्ति को इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। लेकिन मैं इतना हैरान हुआ कि आपके विभाग में चाहे खरीद का मामला हो या बिना आवश्यकता के पता नहीं कहां-कहां से इस प्रकार के टी0वी0 खरीदे गए, ये सभी जांच के विषय हैं। मेरा श्री जय राम ठाकुर जी से आग्रह है कि जितने भी टेंडर हुए हैं, सभी की जांच होनी चाहिए कि कहां-कहां किस विभाग में कैसे-कैसे टेंडर हुए हैं और इनके पीछे कौन-कौन दोषी हैं? ...(व्यवधान) हां, हम करेंगे

17.11.2026/1435/टी0सी0वी0/एच0के0-2

और इसमें जांच होगी। चाचा जी (कृषि मंत्री) तो सच्चे हैं, इनके विभाग में तो ये कुछ भी नहीं करते हैं। ...(व्यवधान) चलिए, कौन कहां बैठेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं बहुत परेशान हूं। मैं परेशान इसलिए हूं क्योंकि चम्बा में उप-मुख्य मंत्री जी भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आए थे। गुनू घराट की स्कीम जो हमने एक वर्ष पहले ही शुरू कर दी थी, देखिए, आपके कर्मचारी कितने खतरनाक हैं कि उन्होंने एक वर्ष पहले शुरू की गई स्कीम का आपसे उद्घाटन करवा दिया।

दूसरा, वे आपको लेसुई में ले गए जहां स्कूल की बहुत बड़ी और भव्य बिल्डिंग बनी हुई है। वहां हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना है। आप अगली बार देखना। वहां फिल्टर बैड वाली स्कीम हमने बनाई थी और उसे भी शुरू कर दिया था लेकिन उसका भी उद्घाटन करवा दिया। इसके अलावा सबसे बड़ा पाप इन्होंने क्या करवाया, जिस बिल्डिंग को हमने लगभग डेढ़-दो वर्ष पहले मुकम्मल करके वहां लगभग-लगभग चालू कर दिया था, उसका भी उद्घाटन करवा दिया। अभी मुख्य मंत्री साहब से भी पता नहीं क्या-क्या उद्घाटन करवाए गए हैं। इनके ही जल शक्ति विभाग की एक स्कीम हमारे गुल्हेई में अधूरी है और अभी भी अधूरी पड़ी है। उसका फिल्टर बैड काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका भी उद्घाटन करवा दिया गया। इसके बीच में हमारे चांजू नाला पर एक पुल आता है जिसे मैंने एक वर्ष पहले ही चालू करवा दिया था। उसमें श्री विक्रमादित्य सिंह जी (लोक

निर्माण मंत्री) का नाम तक नहीं लिखा गया बल्कि आपका और मुख्य मंत्री जी का नाम लिखा गया। इस प्रकार का इतना बड़ा झोल ये अपने ही लोगों के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ तो पता नहीं क्या-क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में मैं आपके ध्यान में एक और विषय लाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) चलिए, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, यह तो वक्त बताएगा। मेडिकल कॉलेज चम्बा में देखिए, एक मामूली पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए भी हमें रेफरल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले में आप स्वयं संज्ञान लें। इन्होंने हमारी सुध नहीं ली है। हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री साहब तो स्वास्थ्य मंत्री ही हैं। वे न तो वहां आते हैं और न ही कभी वहां गए हैं। ...(व्यवधान) नहीं-नहीं, मैं इसमें कोई फीलिंग की बात करके आलोचना नहीं कर रहा हूं बल्कि चम्बा

17.11.2026/1435/टी0सी0वी0/एच0के0-3

की व्यथा बता रहा हूं। हमें रेफरल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वहां से मरीजों को तुरंत टांडा रेफर कर दिया जाता है। टांडा में भी एक दिन मुझे थोड़ा जोर से फोन करना पड़ा क्योंकि वहां भी देखते हैं कि चम्बा से मरीज आया है तो उसे तुरंत पी0जी0आई0 रेफर कर देते हैं। हमारे साथ तो डबल इनजस्टिस हो रहा है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार पर सीधा आरोप है कि यदि स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से देखें तो मिंजर मेले में मुख्य मंत्री जी आए थे तो उन्होंने 10 दिन के लिए

एन0एस0 द्वारा ... जारी

17-11-2026/1440/NS-AG/1

डॉ0 हंस राज------जारी

कुछेक फर्नीचर शिफ्ट कर दिया और कहा कि अब अस्पताल शुरू हो गया। उस समय 233 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। बाद में कहा गया कि 263 करोड़ रुपये या इससे कुछ अधिक राशि और दे दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि जनाब, वह पैसा कहां गया? चम्बा के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। मेरा सीधा आरोप यह भी है कि कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी लगभग 16.60 करोड़ रुपये की राशि जो एन0एस0डी0एल0 को दी जानी थी वह आज तक नहीं दी गई। आप देखिए कि एलीमैंटरी एजुकेशन में क्या स्थिति बना रखी है? जे0बी0टी0 कर्मचारी आज भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। जे0बी0टी0 अध्यापकों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। आपने उनके लिए सेकंडरी के अंतर्गत कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जारी किया है। इसे निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि जे0बी0टी0 अध्यापकों को जिस तरह ह्यूमिलिएट किया जा रहा है वह उचित नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देवीकोठी है। वहां एक ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल बैठा हुआ है। उसने एक जे0बी0टी0 अध्यापक को ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। मैं आपको लिखित में दे दूंगा लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक अन्य प्रिंसिपल का उदाहरण दिया था जिसने पूरे हाउस को सरेआम गाली निकाली थी। उसके विरुद्ध भी इसलिए कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि बीजेपी का विधायक चिल्ला रहा है। भगवान करे कि वह जल्दी रिटायर न हो और एक वर्ष तक वहीं टिके रहें ताकि हम उनको बता सकें। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में पूरे जे0बी0टी0 अध्यापक अपनी आवाज उठा रहे हैं। इनकी संख्या लगभग 22 से 27,000 है। मैं उन जे0बी0टी0 अध्यापकों से भी कहना चाहूंगा कि जब आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार थी और डी0ए0 की एक किस्त नहीं मिलती थी तो कर्मचारी काफी मुखर हो जाते थे। लेकिन आजकल वे भी सुस्त पड़े हुए हैं। यह समझने वाली बात है। मेरा आरोप है कि मौजूदा सरकार जे0बी0टी0 अध्यापकों के साथ अन्याय कर रही है, भले ही मंत्री साहब स्वयं ऐसा नहीं कर रहे हों। इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेरा सरकार पर आरोप है कि

स्वास्थ्य से जुड़ी हमारी अलग-अलग योजनाएं थीं जिनमें आयुष्मान भारत, हिमकेयर और सहारा योजना शामिल हैं। सहारा योजना के संबंध में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैं अपनी चकलू पंचायत के पलेई गांव में गया था।

17-11-2026/1440/NS-AG/2

वहां एक व्यक्ति पिछले 41 वर्षों से बिस्तर पर हैं। मैं उनका नाम भी यहां बता सकता हूं लेकिन उनकी व्यक्तिगत गोपनीयता के कारण नाम नहीं लेना चाहता हूं। वे लगभग 41 वर्षों से बिस्तर पर हैं। जब से सहारा योजना शुरू हुई थी तब से उन्हें 3000 रुपये मिलते थे। जनाब, वे रो पड़े। वे इस तरह रोए कि मैं स्वयं भी वहां रो पड़ा। यदि उन्हें 3000 रुपये मिल रहे होते तो वे अपना डायलिसिस आदि करवा पाते। वे स्वयं करवट तक नहीं बदल सकते। ऐसी योजना बंद करके आप उनकी क्या हाय लेना चाहते हैं? आप सोचिए कि उनका क्या हाल होगा? यह देवी-देवताओं का प्रदेश है। यहां देवता विराजमान होते हैं। यहां चालदा महाराज, महासू जैसे अनेक देवी-देवताओं की मान्यता है। मैं नहीं चाहता कि किसी को बद्दुआ दूं लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि सहारा और हिमकेयर जैसी योजनाओं को बहाल करें।

हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमैंट में बहुत से लोग नर्सरियों में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। इनमें फायर वर्कर्स और नर्सरी में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इन लोगों को पिछले डेढ़ वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा है। वे भी गरीब लोग हैं और वे अपने बच्चों और परिवार का पालन-पोषण करना चाहते हैं। आपने उनके साथ अन्याय किया है। मैंने हर बार एस0पी0ओ0 की बात की है। जिस प्रकार किश्तवाड़ में दो एस0पी0ओ0 शहीद हुए थे। उसी प्रकार हमारा क्षेत्र भी बॉर्डर एरिया है। उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है कि उनकी पोस्टिंग को लेकर मैंने पहले एस0पी0 साहब से भी बात की थी। मैंने उनसे पूछा था कि आप किन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई तथाकथित नेता वहां कहता है कि ये एस0पी0ओ0 हंस राज की वर्करी या बीजेपी की वर्करी कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि एक कर्मचारी क्या वर्करी करेगा? वह तो अपनी ड्यूटी से बंधा हुआ होता है। लेकिन उन लोगों को इतना परेशान किया गया कि किसी को 25 किलोमीटर, किसी को 30 किलोमीटर और किसी को 22 किलोमीटर दूर

पोस्टिंग दी गई। मैं चाहूंगा कि डी0जी0पी0 साहब इस मामले का संज्ञान लें और उन्हें उन्हीं चयनित स्थानों पर तैनात किया जाए जहां वे पहले काम करते थे।

मैं सरकार पर अंतिम आरोप लगाना चाहता हूं और यह सबसे बड़ा आरोप है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की खूबसूरती विधायकों की वजह से है। विधायक इस संस्था की सबसे बड़ी इकाई और यह विधायकों का इंस्टीट्यूट है। माननीय मुख्य मंत्री

17-11-2026/1440/NS-AG/3

जी भी यहीं बैठकर अपनी बात रखते थे। वे इसी प्रकार कहते थे। मुझे याद है कि मैं यहां उपाध्यक्ष की हैसियत से उन्हें कई बार समय देता था। वे कहते थे कि इस संस्था को हमें सुदृढ़ करना है। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि में कटौती करने का मतलब क्या है? विधायक क्षेत्रीय विकास

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

17.11.2026/1445/RKS/एजी-1

डॉ0 हंस राज जारी

विधायक निधि के लिए भी फोन करना पड़ रहा है कि सैक्रेटरी साहब मैंने सैंक्शन्ज भेजी हैं कृपया उसे मेरे क्षेत्र के लिए भिजवा दें। यह किसी विधायक के साथ इतना बड़ा अन्याय पहली बार हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा मानना है कि यह अन्याय केवल एक विधायक के साथ नहीं बल्कि सदन में बैठे सभी 68 विधायकों के साथ है। हम निर्वाचित विधायक और जनप्रतिनिधि हैं। यदि हम अपने क्षेत्र में किसी सड़क, आपातकालीन स्थिति में छोटे रास्ते, पनियारे या किसी विद्यालय का कमरा गिर जाने जैसी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए दो लाख या चार लाख रुपये भी उपलब्ध नहीं करवा सकते तो फिर हमारे यहां बने रहने का क्या औचित्य है? मुझे तो लगता है कि या तो हम सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर सरकार के विरुद्ध खुलकर विरोध करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई भी किसी की बात नहीं सुनेगा। जनादेश और चुनाव जीतने का भी अपना एक महत्व होता है। यदि सरकार भ्रष्टाचार के आधार पर चल

रही है तो मैं यह सीधा आरोप लगा रहा हूं। यदि किसी की ओर उंगली उठ रही है तो यह आरोप उस पर नहीं है। मैं उप-मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पहले मैं और आप यहां इकट्ठे बैठते थे। उस समय आपके भीतर बड़ा जोश था। आप प्रदेश के हितों की कितनी मजबूती से बात करते थे। आज भी आप अपनी अंतरात्मा को झकझोरिए और आगे आइए। आपकी मौजूदगी में आपके ही विधायकों के साथ इतना अन्याय हो रहा है उसके लिए हमें न्याय दिलाइए। मेरा आपसे यही निवेदन है। नियम-67 केवल अपनी बात कहने के लिए नहीं है बल्कि इसके माध्यम से सदन की भावनाओं को भी समझना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि सभी विधायकों की भावनाओं और विपक्ष के विचारों को समझते हुए इस विषय को सदन में उठाने का अवसर दिया। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा। उप-मुख्य मंत्री महोदय बी0बी0एम0बी0 और किशाऊ बांध परियोजना की बात कर रहे थे। किशाऊ परियोजना के संबंध में हमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहिए। इसका श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठाया और स्पष्ट रूप से कहा कि किस राज्य को क्या मिलेगा उसके बाद समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। छाती तो मैं भी थपथपा सकता हूं लेकिन यह उनके प्रयासों का परिणाम है।

17.11.2026/1445/RKS/एजी-2

जहां तक बी0बी0एम0बी0 का संबंध है, इसका कार्य आदरणीय धूमल साहब, श्री वीरभद्र सिंह जी, श्री जय राम ठाकुर जी और श्री शांता कुमार जी के कार्यकाल से आगे बढ़ता रहा है। Government is always in continuity. Cases are always in continuity. वे किसी के टाइम में भी आ सकते हैं। आप हमारे कार्यकाल में हुए कार्यों में फट्टा लगाकर कहते हैं कि ये सब कार्य हमने ही किए हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है। श्री सुन्दर ठाकुर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं हडिम्बा माता की कसम खाकर कहता हूं कि आप मेरे परम मित्र हैं लेकिन जिस प्रकार इस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आज भी आप इसके विरोध में आवाज नहीं उठाते हैं तो मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे आपका एक वक्तव्य पढ़कर बहुत खुशी हुई थी कि आपकी अंतरात्मा जागी है। आपको किसी चीज की

आवश्यकता नहीं है। आप तो होटल व्यवसाय से जुड़े हैं लेकिन एक व्यक्ति की इतनी फजीहत होते मैंने पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं देखी। इतनी फजीहत होने के बाद तो मैं यहां कभी नहीं आता। इससे बड़ा अन्याय और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि एक ईमानदार और सही व्यक्ति को मंत्री तक नहीं बनने दिया जा रहा है? यदि हम अपने व्यक्ति के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? यह केवल किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है बल्कि यह एक संस्था की बात है। मैं प्रदेश के हितों की बात कर रहा हूं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात कर रहा हूं, जिनके लिए हम सभी चिंतित हैं। अंत में, मैं एक पुरानी घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। एक बार श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे और मैं पहली बार विधायक चुनकर आया था। मैंने एक बार उनसे कहा कि लोग कहते हैं कि आप 6 बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं और आप राजा साहब हैं। इस पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह है क्या? मैंने कहा कि सर, आपने स्वयं कहा है कि आपने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है और प्रदेश के कोने-कोने में गए हैं। यहां तक कि आप पांगी के सुराल जैसे दूरदराज के क्षेत्र में भी गए हैं जो प्रदेश का अंतिम छोर है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों नहीं मानते? उस समय श्रीमती आशा कुमारी जी भी सदन में बैठी हुई थीं। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं मानते। मैंने कहा कि मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैंने कहा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पी0डब्ल्यू0डी0 का डिवीजन चंबा से चलता है, जल शक्ति विभाग का डिवीजन सलूणी में है और चुराह के नाम से

डी0एफ0ओ0 कार्यालय भी सलूणी में चलता है। ऐसी स्थिति में मैं आपकी बात कैसे मान सकता हूं? इस पर श्रीमती आशा कुमारी जी नाराज हो गईं और उन्होंने कहा कि आप सलूणी के बारे में इस तरह बोल रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैडम, मैं आपके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तो राजा साहब से केवल यह आग्रह कर रहा हूं कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। अगले बजट सत्र में उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए आपके क्षेत्र के लिए क्या करना है? हमने पी0डब्ल्यू0डी0 का डिवीजन वहीं स्थापित करवाया। सब-डिवीजन भी वहीं लिया और तहसील भी वहीं स्थापित करवाई।

राजा सबके लिए होता है। मुख्य मंत्री आधा भगवान होता है। मुख्य मंत्री किसी व्यक्ति का जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। भगवान स्वयं तो हर जगह प्रकट नहीं होंगे लेकिन मुख्य मंत्री के लिए सारे इलाके एक समान होते हैं। उप-मुख्य मंत्री महोदय ने हरोली में तीन कॉलेज खोले हैं। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.11.2026/1450/बी.एस./डी.सी.-1

डॉ0 हंस राज जारी...

उप-मुख्य मंत्री साहब ने हरोली में भी कॉलेज खोला। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे चम्बा और चुराह की सुध कौन लेगा? मेरा यही निवेदन है। अंत में मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि नियम-67 के अंतर्गत हम यह चर्चा किसी बात के लिए नहीं लाए हैं। आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है। यह कुशाऊ बांध हो या बी0बी0एम0बी0 का मामला हो ये सभी पूरे हिमाचल की लड़ाई है। यह हम सबकी लड़ाई है और बहुत कठिन लड़ाई है लेकिन जब अटैचियों की बात होगी और जब जमीनों की बेवजह बेनामी रजिस्ट्रियां किसी के नाम कर दी जाएंगी तथा उद्योगों का पलायन किसी और जगह हो जाएगा तो हिमाचल का युवा और हिमाचल की माताएं-बहनें एवं बुजुर्ग इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

17.11.2026/1450/बी.एस./डी.सी.-2

अध्यक्ष : I would request the Hon'ble Members to confine to the corruption charges rather than pointing out the policy matters and administrative matters. अब माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी नियम-67 के अंतर्गत विपक्ष की तरफ से लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और यह सबको झकझोरने वाला मुद्दा है। राजनीति में पारदर्शिता और ईमानदारी होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस मंशा के साथ यह प्रस्ताव लेकर आई है उससे अपने आप में शंका पैदा होती है। आप सभी उस समय के साक्षी हैं जब पिछले सत्र में भी इसी सदन में विपक्ष की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ यही मुद्दा उठाया गया था। आपको याद होगा कि उस समय भी हमारी सरकार ने इस विषय पर बहस करवाने के लिए सहमति दी थी और बहस आरंभ करवाई थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब इस विषय पर बहस आरंभ हुई तो विपक्ष ने उस समय वाकआउट कर दिया था। यदि आप भ्रष्टाचार के ऊपर प्रस्ताव लेकर आए हैं और भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर हैं तो आपको इस चर्चा में भाग लेना चाहिए। मुझे पता है कि जब इस मामले की परतें खुलने लगेंगी तो आप लोग अब भी वाकआउट करेंगे।आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। जिस तरीके से इनका व्यवहार प्रदेश की जनता देख रही है उससे यह स्पष्ट है कि कभी गोबर की टोकरी सिर पर रखकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी मुर्गे हाथ में पकड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी इस तरह के बेतुके बयान देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रदेश की जनता इनकी वास्तविकता समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि आज ये जो चर्चा लेकर आए हैं उसके पीछे इनकी मंशा क्या है?

प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार नियमों की धज्जियां उड़ाने और उनके द्वारा किए गए काले कारनामों पर एक श्वेत पत्र लाने वाली है। जब श्वेत पत्र की सुगबुगाहट आई तो विपक्ष पहले ही भ्रष्टाचार के विषय पर इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आ गया। फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं। यह अच्छी बात है। हमारी ईमानदारी से काम करने वाली सरकार हैं और बेदाग सरकार हैं। हम इस प्रकार की चर्चा से भागने वाले नहीं हैं। मैं उप मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने इस चर्चा को स्वीकार किया और आज माननीय सदन में इस विषय पर चर्चा होने जा रही है।

17.11.2026/1450/बी.एस./डी.सी.-3

अध्यक्ष महोदय, आज यदि इस विषय पर चर्चा हो रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल आज के विषय पर चर्चा करके चले जाएं। आप हिट एंड रन नहीं कर सकते कि

आप आएं और हमारे ऊपर पत्थर मारकर आरोप लगाएं और फिर चले जाएं। आज यदि चर्चा होगी तो आपके कार्यकाल की भी चर्चा होगी। आपके कार्यकाल में क्या-क्या हुआ है उसकी भी चर्चा होगी। मैं अपनी बात आरंभ करना चाहता हूं। हम यह सब कहना नहीं चाहते थे लेकिन विपक्ष की तरफ से भ्रष्टाचार के विषय पर आज यह प्रस्ताव लाया गया है इसलिए हम भी अपनी बात रखने के लिए मजबूर और बाध्य हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस पेपर लीक घोटाला कब हुआ था? यह पुलिस पेपर लीक घोटाला किस समय हुआ था? उस समय कौन-सी सरकार थी और इसके पीछे कौन दोषी थे? जून, 2022 में पुलिस भर्ती के लिए 1.30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। वे बच्चे मेहनत कर रहे थे और परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

17.11.2026/1455/DT/HK-1

श्री सुरेश कुमार जारी...

वे अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करना चाहते थे लेकिन ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेपर लीक करके उन एक लाख तीस हजार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तथा उनके माता-पिता के सपनों को चूर-चूर कर दिया। आज आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सी0बी0आई0 में मामला गया और 88 लोग गिरफ्तार हुए जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। यह घोटाला किसने किया था? आज इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है। सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड हमीरपुर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन गया था कि उस बोर्ड में पेपर बेचे जाते थे। जब वर्ष 2022 में हमारी सरकार बनने से पहले पेपर बेचे गए तो पांच-पांच लाख रुपये में पेपर बेचे गए। इस मामले में जो चेन बनी उसमें बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए। इनमें इनकी पार्टी के लोगों के नाम भी शामिल थे तथा दूसरे राज्यों के लोगों के नाम भी इससे जुड़े थे। हमारी सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को तुरंत भंग किया तथा वहां भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया। आज भी 11 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। यही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती है और यही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की इच्छाशक्ति होती है। आज आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे

हैं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा किसकी सरकार के कार्यकाल में बना था? आज इस बात का भी जवाब दीजिए। इस विषय को भी चर्चा के दौरान सदन में उठाया जाना चाहिए। तीसरा बड़ा घोटाला वर्ष 2020 में हुआ। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था तब लोगों की जान पर बन आई थी। लोग घरों के अंदर छिप गए थे तथा बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत थी। लोगों को दवाओं की जरूरत थी तथा सरकार के संरक्षण की आवश्यकता थी। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की चिंता नहीं की और न ही इनकी सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य तथा कोरोना की चिंता की। उस समय भी इनकी सरकार पी0पी0ई0 किट घोटाले में लगी हुई थी। उस समय इनकी सरकार के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया। डॉ0 राजीव बिंदल जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का अर्थ यह होता है कि इन्होंने घोटाले की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है लेकिन नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन देने से कोई व्यक्ति दोषमुक्त नहीं हो जाता है। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी।

17.11.2026/1455/DT/HK-2

इस मामले में एक डायरेक्टर स्तर का ऑफिसर गिरफ्तार हुआ तो उसके पीछे कौन-सी चेन थी तथा सरकार में और कौन-कौन लोग बैठे थे इसकी भी जांच होनी चाहिए थी। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं था? क्या इस भ्रष्टाचार के संबंध में भी आप कुछ कहेंगे? क्या इस भ्रष्टाचार की चर्चा भी इस माननीय सदन में करेंगे? उस भ्रष्टाचार की जो चर्चा है वह भी आज होनी चाहिए और जो दोषी हैं, चाहे उन्होंने दोष कभी भी किया हो और किसी भी समय में किया हो उनकी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो श्वेत पत्र आ रहा है उसमें ये सारी चीजें आने वाली हैं। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल फॉर ऑन सेल कौन कह रहा है? हिमाचल ऑन सेल। यह बात मुकेश अग्निहोत्री जी ने ठीक कही है। अरे, आप नारा तो अपना बना लेते। यह नारा तो हमारी सरकार ने आपको दिया था जब आप हिमाचल प्रदेश को बेच रहे थे। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश कैसे बिकता है यह मैं बताना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश तब बिकता है जब पांच हजार बीघा जमीन एक रुपये के ऊपर कस्टमाइज्ड पैक के नाम पर दे दी जाती है। तब हिमाचल प्रदेश बिकता है और हिमाचल ऑन सेल होता है। हिमाचल प्रदेश में जब जमीनों के सौदे रातों-रात होते हैं तब हिमाचल

प्रदेश ऑन सेल होता है। आज ऊना जिले के अंदर एक छोटी-सी तहसील है जहां उस बल्क ड्रग पार्क की बात की जा रही है और जिसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। अब परतें खुलेंगी। एक ही दिन में 27 रजिस्ट्रियां हुईं और वे पांच लोगों के नाम से दुलैहड़ नामक स्थान पर हुईं। उस छोटी-सी सब-तहसील में वे रजिस्ट्रियां हुई। वे पांच लोग कौन हैं?

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

17.11.2026/1500/एच.के.-एन.जी./1

श्री सुरेश कुमार..... जारी

जो एक ही दिन में 27 रजिस्ट्रियां करवाते हैं? धर्मशाला के अंदर 75 रजिस्ट्रियों का मामला भी सामने आया है। जब ये तमाम चीजें सामने आएंगी, तब भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा होगी और सही मायने में उसकी गंभीरता भी सामने आएगी। हमारी सरकार इस गंभीरता को लेकर आएगी। हम उन तमाम चीजों को सामने लाएंगे, जो जमीन के घोटालों से जुड़ी हुई हैं। जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को सच में बेचा है, हम उन सभी को सामने लाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के लोग हिमकेयर योजना की बात कर रहे हैं। आज हिमकेयर योजना की चिंता बहुत से लोग यहां पर कर रहे हैं, लेकिन हिमकेयर योजना के पीछे की सच्चाई भी जान लीजिए। हिमकेयर योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में जितना बड़ा घोटाला हुआ है, उससे हिमाचल प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के पैसे को लूटने का प्रयास किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार हिमकेयर योजना के तहत लगभग 950 करोड़ रुपये की देनदारी इस सरकार के ऊपर छोड़कर गई है। पिछली सरकार के समय क्या हुआ, अगर मैं एक जिले की बात भी करूं, तो मण्डी जिला में करोड़ों रुपये अपने लोगों को

लाभ पहुंचाने के लिए लुटाए गए। उसमें ऐसे-ऐसे अस्पताल इम्पैनल कर दिए गए, जिनके पास ऑपरेशन करने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं थे, लेकिन उनको भी ऑपरेशन करने की मंजूरी दे दी गई। जिनके पास बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी, उन्होंने भी करोड़ों रुपये के इलाज के बिल बनाए। पिछली सरकार ने ऐसे-ऐसे मेडिकल स्टोर इम्पैनल कर दिए कि मरीज का उपचार आई0जी0एम0सी0 में हो रहा है, लेकिन दवाई लेने के लिए उसे चक्कर जाना पड़ रहा है क्योंकि वह दवाई उसी मेडिकल स्टोर पर मिलती है, जिसे आपने रजिस्टर किया हुआ है।

17.11.2026/1500/एच.के.-एन.जी./2

(श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

सभापति महोदय, अगर अकेले मण्डी जिले की बात करें, तो वहां 35 ऐसे संस्थान इम्पैनल किए गए, जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं थीं। जिनके पास ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी, जिनके पास क्लिनिक नहीं था, जिनके पास लैब नहीं थी, लेकिन उनके भी करोड़ों रुपये के बिल हिमकेयर में आए हैं। आप देखेंगे कि इसमें विचित्र बात क्या है। पूर्व सरकार के समय मण्डी के मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं थीं। उस मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन नहीं हो रहा था और वहां पर एम0आर0आई0 की सुविधा भी नहीं थी। लेकिन बाहर जो इम्पैनल में शामिल मेडिकल स्टोर वाला बैठा है, वहां पर लोग उन टेस्ट्स को करवा रहे हैं। इस प्रकार से वहां पर लोगों को लूटने का काम हो रहा था। जितना पैसा इन्होंने अपने लोगों पर लुटाया, उतना पैसा अगर मण्डी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में लगाया होता, तो आज उस कॉलेज की जो दशा बनी हुई है, वह पहले ही सुधर गई होती। आज उस मेडिकल कॉलेज में हमारी सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा आप पी0एस0यू0 की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खरीद यहां से कर ली, वहां से कर ली। अगर पी0एस0यू0 से खरीद की गई है, तो पी0एस0यू0 तो सी0वी0सी0 के निर्देशों के मुताबिक काम करता है। अगर कोई बात है, तो उस सी0वी0सी0 को चिट्ठी

दीजिए। वह तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। उसके दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही टेंडर लगे हैं या किसी को काम मिला है। अगर आपको कोई शंका है, तो एक एप्लीकेशन लिखिए, जाँच हो जाएगी। लेकिन हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया है। कोई भी ठेका और टेंडर हो, उसमें कोई बंदरबांट नहीं हुई है, जो आपकी सरकार के अंदर होती थी। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की बहस चली है, अभी मैं माननीय सदस्य, डॉ0 हंस राज को सुन रहा था। बात तो चली थी नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने की, लेकिन ये कभी स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, कभी हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे हैं, तो कभी मुख्य मंत्री जी के दौरे की बात कर रहे हैं।

17.11.2026/1500/एच.के.-एन.जी./3

असल में इनके पास भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने के लिए कोई मुद्दा/विषय नहीं है। इसलिए इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। आने वाले समय में हम बताएंगे कि भ्रष्टाचार के ऊपर किस तरीके से जांच होती है, भ्रष्टाचार क्या होता है और भ्रष्टाचार को किस तरीके से निकाला जाता है। वह चीज हमारा जो श्वेत पत्र आने वाला है, उसमें सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। एक-एक चीज को हम उसमें रखेंगे।

सभापति महोदय, किशाऊ बांध का विषय हो या बी0बी0एम0बी0 का मुद्दा हो, इन सभी विषयों पर भी चर्चा होगी। आज ये लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर भी हम नियम-130 के तहत चर्चा लाएंगे और उसमें जो बीच की बातें हैं, वे सारी बातें हम सामने रखेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य, श्री सुधीर शर्मा चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुधीर शर्मा.....ए0टी0 द्वारा.....जारी

17.11.2026/1505/AT/HK/-01

श्री सुधीर शर्मा : सभापति महोदय, नियम 67 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री विक्रम ठाकुर जी और मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है "अकंट भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के शासन में बिकता हिमाचल" चहिमाचल ऑन सेलछ।

आपने मुझे इस विषय पर चर्चा करने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, यह कोई पक्ष अथवा विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि यह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक, किसान, नौजवान, बागवान तथा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। आज प्रश्न यह है कि हिमाचल की बहुमूल्य संपत्तियां चाहे वे सरकारी संपत्तियां हों, ऐतिहासिक धरोहरें हों, मंदिरों की जमीनें हों, सरकारी भूमि हो अथवा प्राकृतिक संसाधन हों क्या वे सुरक्षित हाथों में हैं या नहीं?

जिस हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए हमसे पहले हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, त्याग किया और बलिदान दिया क्या आज हम उनके अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आज प्रदेश में 'बिकता हिमाचल' और 'हिमाचल ऑन सेल' की चर्चा हो रही है। यह उन सरकारी फैसलों को लेकर उठे सवालों का प्रतीक है जिनमें सरकारी जमीन, पर्यटन निगम की संपत्तियों, ऐतिहासिक भवनों और संस्थानों की भूमि के भविष्य को लेकर बहस हो रही है।

सभापति महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी निवेश के खिलाफ नहीं हैं। हम विकास के विरुद्ध नहीं हैं और न ही निजी क्षेत्र की भागीदारी के विरोधी हैं। लेकिन विकास की आड़ में और विकास का नाम लेकर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है हम उसके विरोधी हैं। आज जिस तरह से 'हिमाचल ऑन सेल' का विषय सामने आया है वहां से कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह हमारा नारा था तो इस को बदल देते हैं हिमाचल 'ओपन फॉर ग्रैबिंग' कर दिया गया है। जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं और जिस तरह से सरकार ने अब एस0आई0टी0 का गठन किया है मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार कांगड़ा जिला में एयरपोर्ट और उसके आसपास की जमीनों की जांच के लिए

17.11.2026/1505/AT/HK/-02

एस0आई0टी0 गठित की गई है उसी प्रकार शिमला, सोलन और ऊना जिलों में भी एस0आई0टी0 का गठन करके जांच करवाई जाए।

हम भी चाहते हैं कि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आए। भ्रष्टाचार किसने किया, कब किया, उस समय सत्ता में कौन लोग बैठे थे और किनके संरक्षण में यह सब हुआ यह प्रदेश की जनता को पता चलना चाहिए। यह केवल सदन से बाहर जाकर अखबारों अथवा सार्वजनिक कार्यक्रमों में बोलने का विषय नहीं है। सरकार है तो सरकार को तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी होगी।

सरकार ने कहा था कि हम श्वेत पत्र ला रहे हैं। उसे शीघ्र लाइए। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि उस श्वेत पत्र में होगा।

सभापति महोदय, जिस तरह से एच0पी0टी0डी0सी0 की 18 संपत्तियों को लीज पर देने का निर्णय लिया गया और बोर्ड ने इसका विरोध किया उसके बावजूद इन संपत्तियों को लीज पर देने का फैसला किया गया। तो क्या इन 18 संपत्तियों का किसी स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन करवाया गया था? इनकी वास्तविक कीमत क्या है? प्रत्येक संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य कितना है? और अब जब इन्हें लीज पर दिया जाएगा तो सरकार को प्रत्येक वर्ष इनसे कितना राजस्व प्राप्त होगा? ये सभी सोचने के विषय हैं। जब सरकार के भीतर ही इस निर्णय को लेकर विरोधाभास था और पर्यटन विकास निगम तथा उसके बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि हम इससे सहमत नहीं हैं तो फिर यह निर्णय कब हुआ, कहां हुआ और किसने लिया? इसके अतिरिक्त जो वहां कर्मचारि काम कर रहे थे उनका क्या किया?

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...

17.11.2026/1510/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री सुधीर शर्मा..... जारी

जब इस तरह से फैसले होंगे और संबंधित विभागों के अधिकारी यह कहेंगे कि यह मामला अब उनके विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है तथा इसमें उनसे पूछा ही नहीं गया तो यह जिम्मेवारी से भागने वाली बात है। ऐसे में प्रश्न यह है कि निर्णय कौन ले रहा है? निर्णय तो वर्तमान सरकार ही ले रही होगी। सरकार के अंदर कोई-न-कोई तो निर्णय ले रहा होगा। इसलिए जांच और चिंता का विषय यह है कि यह सब आखिर चल कैसे रहा है?

सभापति महोदय, प्रदेश में 'ईको टूरिज्म पॉलिसी' लाकर प्रदेश के बाहर के लोगों को कई ऐसे स्थानों पर भूमि दी गई है जो वन विभाग के अधीन थी। इसके कारण स्थानीय लोगों को जिनके वहां की जमीनों पर हक-हकूक हैं, उन स्थानों से बाहर कर दिया गया। लोगों ने वहां बाड़बंदी कर दी है और वन भूमि पर ऐसे पक्के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं जिनके निर्माण की अनुमति नहीं थी। अब प्रश्न यह है कि इसकी परमिशन कौन दे रहा है और उनको किसका संरक्षण प्राप्त है? स्थानीय लोग पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस वहां नहीं पहुंचती लेकिन जब वे लोग पुलिस को बुलाते हैं तो पूरी गाड़ी भरकर पुलिस की वहां पहुंच जाती है। इस तरह की बातें सामने आने पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है?

सभापति महोदय, धर्मशाला पर्यटन का केंद्र है। यहां त्रिउंड, धर्मकोट और नड्डी जैसे प्रमुख स्थान हैं। इन स्थानों पर कई-कई कनाल भूमि वन विभाग की दे दी गई है। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तभी यह चर्चा उठती है कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। इसी सरकार के कार्यकाल में चेस्टर हिल का मामला उठा। उस समय के संबंधित अधिकारियों के नाम सामने आए और अधिकारियों के बीच हुई चर्चा तथा बहस अखबारों में आने लगी। यह कितना बड़ा घोटाला था लेकिन उस पर पूरी तरह पर्दा डालने और मामले को छिपाने का प्रयास किया गया क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी हो रही थी। यह भ्रष्टाचार है और आपस में मिलीभगत है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल एक तरफ के लोग मिले हुए हैं। यदि इस तरह की गतिविधियां आपस में मिलकर की जाएंगी तो यह

प्रदेश के साथ अन्याय होगा और प्रदेश को बनाने की जो भावना थी उसके साथ भी अन्याय होगा।

सभापति महोदय, यहां बार-बार कांगड़ा में गठित एस0आई0टी0 का मामला उठता है। एयरपोर्ट के पास कई कनाल भूमि को लेकर बार-बार चर्चा होती है। एस0आई0टी0 अपनी रिपोर्ट कब तक देगी? उसमें कौन लोग शामिल हैं जिन्होंने उस भूमि को इस तरह खरीदा? वे कौन नॉन हिमाचली थे और उनकी रजिस्ट्रियां किसने कीं? उस समय किसकी सरकार थी? यह मामला इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। इसे किसने करवाया और किसके फोन आते थे? आज 200-200 कनाल और 100-100 कनाल भूमि की रजिस्ट्रियां हो रही हैं। रछियालू में 100 कनाल भूमि की रजिस्ट्री हो गई है और उसकी फाइल अब वन विभाग के पास घूम रही है कि वहां जाने का रास्ता नहीं है। प्रश्न यह है कि किसके कार्यालय से वहां फोन जा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने कौन व्यक्ति आया था और यह भूमि किसके नाम पर हुई है? क्या इसमें सरकार में बैठे हुए लोग शामिल हैं? जिस तरह से आप श्वेत पत्र लाएंगे उसी तरह चार्जशीट भी आ रही है। उसमें आपको एक-एक दस्तावेज मिलेगा।

सभापति महोदय, अभी यहां से कहा जा रहा था कि धर्मशाला में सैकड़ों कनाल भूमि के पीछे कौन है? आप सरकार में हैं, पता लगाइए और दोषियों को सजा दीजिए तथा उन्हें जेल में डालिए। कौन क्या है, इसकी जांच अब आप कर रहे हैं। हम तो आपको यह नहीं कह सकते कि कोई दूसरी एजेंसी जांच कर रही है या प्रदेश की एजेंसियां जांच कर रही हैं। जिनके कार्यकाल में ये मामले हुए हैं, उन दोषियों को सजा दीजिए और उन्हें कटघरे में खड़ा कीजिए, तभी तो सच्चाई सामने आएगी।

सभापति महोदय, केवल दोषारोपण कर देना और यह कह देना पर्याप्त नहीं है। एक और खूबी इस पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट की है कि कहीं से कोई खास खबर छपकर आती है तो उसे प्रिंट करवाकर यह प्रचारित किया जाता है कि इतनी कनाल भूमि फलां व्यक्ति की होगी। अरे भाई, यदि वह भूमि किसी की है या उसके नाम पर है तो उसे सार्वजनिक कीजिए।

17.11.2026/1510/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

सभापति महोदय, जिस तरह से यहां आरोप-प्रत्यारोप की बात हो रही है और इस मामले में एस0आई0टी0 का गठन किया गया है, उसमें भी आपने पीछे तीन-तीन एस0पी0 बदल दिए ताकि किसी न किसी तरह कुछ निकाल दिया जाए। 60-70 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज है। कौन किसके दबाव में और किस तरह काम कर रहा है, ये सारी बातें सार्वजनिक हैं।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

17-11-2026/1515/NS-YK/1

श्री सुधीर शर्मा------जारी

यह छोटा-सा प्रदेश है। जिनको कहा जाता है वे ही बताते हैं कि हमें ऐसा फोन आया था कि कैसे किसको इम्प्लीकेट करना है? जो पुरानी कार्रवाइयां हुई हैं, उस समय के जो अधिकारी रहे हैं अगर उनसे संबंधित रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो हमारे पास उपलब्ध है। क्या जांच चल रही है और कहां तक पहुंची है और आगे कहां तक जाएगी? कहने से कुछ नहीं होगा। इसकी जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। सरकार का चौथा वर्ष समाप्त होने जा रहा है और अब कुछ ही दिन शेष हैं। आपको यह सब जनता के सामने लाना पड़ेगा अन्यथा इसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ेंगे। यदि इस प्रदेश के किसी निर्दोष आम नागरिक को तंग करने या किसी मामले में किसी के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो यह जो रिवायत पड़ रही है और आगे चलकर यह रिवायत किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में चली गई जो इसको यूटिलाइज करने में आ गया जोकि इस प्रदेश का कल्चर नहीं है तो परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं। मुझे तो कई बार यह सोचकर भी डर लगता है। जब मेरे ध्यान में आता है कि यदि ऐसी विचारधारा और ऐसी सोच वाले लोग आने लगे तो प्रदेश का क्या होगा?

इसी प्रकार धारा-118 की बात है। हमारा जो Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 है और उसकी धारा-118 है। इसका अब यही अर्थ रह गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा-118 के अंतर्गत परमिशन लेने के लिए आता है तो उसे सीधे रास्ते से परमिशन मिलना मुश्किल है। फिर हम कहते हैं कि प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा। जब हम निवेश को आने ही नहीं देंगे तो निवेश कैसे आएगा? इस प्रक्रिया में कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं और किस प्रकार लोगों को तंग किया जा रहा है, यह आम चर्चा का विषय है तथा सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसी प्रकार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की भूमि का मामला है। उस भूमि के आवंटन के पक्ष में न स्थानीय जनता थी और न ही कृषि विश्वविद्यालय के लोग थे। कोई भी इसके पक्ष में नहीं था। आज यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। जिस संस्थान के लिए यह भूमि दी गई थी उसका नाम पूरे देश में है। जिस कार्य के लिए यह भूमि दी गई थी यदि उसे न करके यदि वहां भी कॉलोनियां बसाना शुरू कर देंगे या ऐसी गतिविधियां शुरू कर देंगे जिनसे एक और कंक्रीट का जंगल तैयार हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि फिर इस प्रदेश में पर्यटन किस चीज का रह जाएगा?

17-11-2026/1515/NS-YK/2

लोग यहां पहाड़, पेड़, बर्फ, पानी और स्वच्छ एवं खुला वातावरण देखने के लिए आते हैं। यदि पूरे प्रदेश में इसी प्रकार कंजेशन पैदा कर दिया जाएगा तो इसके पीछे कोई-न-कोई कारण अवश्य रहा होगा। चर्चाओं में यह भी सुनने को मिलता है कि किसी ने कह दिया कि इन्हें भूमि दे दीजिए। जब भूमि कहीं नहीं मिली तो कहा गया कि चलो, यही भूमि दे देते हैं। सरकार को इस प्रकार के निर्णय किसी के भी दबाव में नहीं लेने चाहिए थे। यदि ऐसे निर्णय लिए गए हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसी प्रकार पच्छाद के अंतर्गत महोल जनोट का मामला है जहां 134 बीघा भूमि हिमुडा ने ली थी। इसके आवंटन प्रक्रिया में बदलाव का फैसला लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी परमिशन कहां से ली गई है? जब वहां की सात पंचायतों की भूमि का मामला था तो क्या उन पंचायतों के साथ दोबारा चर्चा की गई है या नहीं? वहां क्या लाने का प्रयास किया जा रहा है? इतनी बड़ी भूमि के संबंध में जो डील चल रही है उसमें अब क्या करने का प्रयास किया जा रहा है?

इसी प्रकार शिमला बाईपास पर हिमुडा का एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना था। उसे बिना किसी टेंडर के एक प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया। वहां का जो सर्कल रेट और भूमि का मूल्य है उससे भी 75 प्रतिशत कम दाम पर यह भूमि दे दी गई। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? इसकी परमिशन कौन दे रहा है? आज मंदिरों की जमीनों और सरकारी जमीनों पर लोगों ने क्रशर लगा लिए हैं। मंदिरों की जमीनें लोग अपने नाम करवा रहे हैं। यदि सामुदायिक भवन मंदिर की भूमि पर बनाना हो तो उसकी परमिशन नहीं मिलती है। यह किसके संरक्षण में हो रहा है? यह सब वर्तमान सरकार के संरक्षण में ही हो रहा होगा। इस प्रदेश में कोई बाहर से तो राज नहीं कर रहा है। इसलिए इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। इसकी जवाबदेही सरकार की है। प्रदेश के अंदर जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

17.11.2026/1520/RKS/एजी-1

श्री सुधीर शर्मा... जारी

क्या उन सभी का मूल्यांकन किया गया है? इसी प्रकार प्रदेश के बाहर जो सरकारी भूमि है, क्या उसका भी मूल्यांकन किया गया है कि वह भूमि कितने अरबों रुपये की है? उस भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है? उस भूमि पर कौन-कौन लोग आकर बैठ गए हैं जिनके विरुद्ध सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है? यह आरोप वर्तमान सरकार के ऊपर है। इसी प्रकार मैं टांडा मेडिकल कॉलेज का उदाहरण देना चाहूंगा। आज टांडा मेडिकल कॉलेज में यदि किसी व्यक्ति को पैरासिटामोल या कोई अन्य दवाई लेनी हो तो वह भी उपलब्ध नहीं होती है। वहां कई प्रकार के घोटाले सामने आए हैं। वहां तैनात अधिकारियों को जो सरकारी आवास उपलब्ध करवाए गए हैं उनमें 3-3 लाख रुपये के एल0ई0डी0 लगाए गए हैं। यह वह पैसा था जो गरीब लोगों के इलाज पर खर्च होना चाहिए था लेकिन उस पैसे से अधिकारियों के सरकारी आवासों में एल0ई0डी0 खरीदकर लगाए

गए। वहां पर स्टेंट लगाने में भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। जिस व्यक्ति को एक स्टेंट लगाने की आवश्यकता होती है उसे 3-3 स्टेंट लगा दिए जाते हैं क्योंकि स्टेंट सप्लायर के साथ उनकी डिलिंग है। इस प्रकार टांडा मेडिकल कॉलेज में मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है और कई करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। रोबोटिक सर्जरी और अन्य मशीनों की खरीद पर जो पैसा खर्च किया गया है उससे बेहतर होता कि उस पैसे को हिमकेयर और आयुष्मान योजना की देनदारियों को चुकाने पर खर्च किया जाता। इससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलता और पहले उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल भी रहा था। अभी यहां कुछ सदस्य कह रहे थे कि हिमकेयर योजना चल रही है और लोग उनके पास आते हैं। यदि हिमकेयर योजना सुचारू रूप से चल रही है तो लोग विधायक के पास क्यों आते हैं? यदि किसी व्यक्ति का हिमकेयर कार्ड बना हुआ है तो वह सीधे अस्पताल जाएगा। वह विधायक या किसी अन्य जनप्रतिनिधि को क्यों ढूंढेगा? इसका मतलब है कि योजना के क्रियान्वयन में कहीं-न-कहीं गड़बड़ी है। यह भी कहा गया कि कुछ लोगों के निजी अस्पताल होने के कारण हिमकेयर योजना बंद की गई। यदि उन अस्पतालों में अनियमितताएं थीं तो उनके विरुद्ध अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वे अस्पताल किन लोगों के थे? मैंने इस संबंध में प्रश्न भी पूछा था और मुझे पूरी सूची उपलब्ध करवाई गई थी जिसमें संबंधित लोगों तथा अस्पतालों के नाम शामिल थे।

17.11.2026/1520/RKS/एजी-2

सरकार को उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस मामले में करोड़ों-अरबों रुपये का घोटाला सामने आने की आशंका है। जब जांच शुरू की गई तो बाद में पता चला कि संबंधित लोग अपने ही साथी-संगी निकले। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि यह भ्रष्टाचार है तो सरकार इसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार ने इस मामले में समझौता कर लिया है कि किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? इसी प्रकार अस्पतालों के अंदर दवाइयों की दुकानों का भी बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। लोगों को उचित दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं। दवाइयों की दुकानों का आबंटन भी पिक एंड चूज के आधार पर किया गया है। मरीजों को किसी अच्छी कंपनी की गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बजाय ऐसी दवाइयां दी जा रही हैं जिनका सेवन करने के बाद भी मरीज को

कोई फर्क महसूस नहीं होता। मरीज को यह तक समझ नहीं आता कि वह कौन-सी दवाई खा रहा है और उसका इलाज ठीक से क्यों नहीं हो रहा है? इसी कारण अधिकांश मरीजों का दबाव सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित दूसरे प्रदेशों के अस्पतालों पर रहता है। इसी प्रकार आबकारी एवं कराधान विभाग में एक फर्म या एक कॉर्पोरेशन जिसका संबंध तेलंगाना से था, वह प्रदेश में आई और उन्हें हिमाचल प्रदेश में 150 ठेके मिले। वे 60 करोड़ रुपये की देनदारी चुकाए बिना ही भाग गए। यह प्रदेश सरकार की कैसी एक्साइज पॉलिसी है कि जब ठेके दिए गए तो उसके बाद उनकी निगरानी के लिए होमगार्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को लगाया जाएगा? स्थिति यह रही कि ऑक्शन ही नहीं हो पाई। ऑक्शन में ठेकेदार इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि इस पॉलिसी में ऐसी गुंजाइश रखी गई थी जिससे इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। प्रदेश को जो आर्थिक चपत लगी है उसका जवाब कौन देगा? यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। विधायक निधि और सांसद निधि का विषय भी महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, आप भी विधायक हैं। यदि हमें 10,000 रुपये से अधिक खर्च करना हो तो ट्रेजरी से अनुमति लेनी पड़ती है जबकि ट्रेजरी बंद है। फिर विधायक निधि क्यों दी जा रही है? इसे बंद कर दीजिए। कई-कई महीनों तक विधायक निधि की राशि जारी नहीं हो रही है। ठेकेदारों की लेबर भी काम छोड़कर भाग गई और उनके करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं। हम केवल ठेकेदार को देखते हैं लेकिन उसके साथ जुड़े दूसरे लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को नहीं देखते। उसके साथ जो लेबर काम करती है उनके बच्चे भी होंगे और वे स्कूल जाते होंगे। क्या हम लोग इतने भी संवेदनशील नहीं रह गए हैं कि इस बात पर विचार करें कि उन

17.11.2026/1520/RKS/एजी-3

परिवारों की गृहस्थी कैसे चल रही होगी? यदि इसी प्रकार विधायक निधि देनी है तो इससे अच्छा है कि हमें यह पत्र लिखना ही बंद कर दीजिए कि आपको विधायक निधि आवंटित कर दी गई है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.11.2026/1525/बी.एस./-1

श्री सुधीर शर्मा जारी...

कम-से-कम हम उसके लिए कोई संस्तुति तो न भेजें। चाहे वह उपायुक्त कार्यालय को हो या प्लानिंग कार्यालय को। यहां केवल ट्रेजरी पर तालाबंदी का मामला नहीं है। इसके ऊपर आरोप यह लगा है कि वह बहुत बड़े भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एक नया तरीका इजाद हुआ है। यह तरीका राजनीतिक लोगों के दिमाग की उपज नहीं है बल्कि प्रशासनिक स्तर पर यह सलाह आई थी जिसे मान लिया गया। वही लोग आज इस व्यवस्था को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर चला रहे हैं। दूसरा विषय ए0डी0बी0 प्रोजेक्ट का है। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो श्री जय राम ठाकुर के समय में आया था। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बननी थीं। चाहे मण्डी का शिवधाम हो या धर्मशाला का कन्वेंशन सेंटर। उससे पहले भी कुछ चीजें बनाई गई थीं लेकिन आज वे सभी खंडहर की तरह खड़ी हैं। उन पर इतनी अधिक धनराशि खर्च की गई है। आज धर्मशाला का ट्यूलिप गार्डन हो या मैक्लोडगंज में भागसू होटल के पास बना करोड़ों रुपये का ऑडिटोरियम हो। इसी प्रकार हगंजर महादेव में भी एक बहुत बड़ा भवन बनाया गया है। ये सभी भवन खाली पड़े हैं और जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। इसका दोषी कौन है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है कि एक बनी-बनाई चीज को खंडहर में तब्दील होने दिया जाए और उसका यूटिलाइजेशन न किया जाए? सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि इन भवनों को किस एजेंसी को दिया जाए। क्या सरकार किसी का इंतजार कर रही है कि कोई आएगा और यदि वह उपयुक्त लगा तो उसे दे दिया जाएगा अन्यथा ये भवन ऐसे ही बंद पड़े रहेंगे? यह तो उस प्रोजेक्ट की मूल भावना के साथ ही अन्याय है।

मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में कहीं ए0डी0बी0 पैसा देना ही बंद न कर दे। ए0डी0बी0 यह सोचने लगे कि यदि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है तो यहां पैसा देने का औचित्य ही क्या है? यहां यह भी कहा गया कि प्रदेश के हित में बहुत सारे फैसले हुए हैं। कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए और कुछ मामलों में केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। जैसे कुशाऊबान का मामला है। इस संबंध में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें 5 प्रदेश शामिल थे।लेकिन सवाल यह है कि इन मामलों में योद्धा कौन है? केवल एक। बी0बी0एम0बी0 का एक फैसला आया। यह

मामला माननीय श्री शांता कुमार जी के समय से शुरू हुआ था। उसके बाद आदरणीय वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्य मंत्री रहे। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी रहे और

17.11.2026/1525/बी.एस./-2

श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री रहे। लेकिन उस समय इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। यह स्थिति कुछ वैसी ही लगती है जैसे महाभारत के युद्ध में संजय धृतराष्ट्र को बताते थे कि यह हो रहा है और वह योद्धा लड़ रहा है। कौन-सा योद्धा अच्छा है और कौन-सा योद्धा बेहतर है। लेकिन ऐसा लगता है कि अंत में संजय ने ही कह दिया कि मैं ही योद्धा हूं। आज जगह-जगह लगे फ्लेक्स देखकर भी ऐसा ही लगता है। इस प्रदेश में आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं।

आज जिस प्रकार से भू-माफिया प्रदेश के अंदर काम कर रहा है उसके ऊपर सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड है। एस0आई0टी0 का गठन केवल दिखावे के लिए किया गया है। जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं वे भी जानते हैं कि वास्तविकता क्या है और क्या नहीं है। कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां बेनामी खरीदी गई है? किसने खरीदी है? कैसे खरीदी गई है? किसके कार्यकाल में खरीदी गई है? और कहां से किसके फोन जा रहे हैं कि अभी कार्रवाई करो। जल्दी करो और रात को ही कर दो। ये सारी चीजें प्रदेश के अंदर चल रही हैं।

सभापति महोदय, ये सभी मामले पब्लिक डोमेन में हैं और लोगों के सामने हैं। ये भ्रष्टाचार के जीते-जागते उदाहरण हैं। इस प्रदेश का जागरूक और पढ़ा-लिखा नागरिक भी इन सभी मामलों को देख रहा है और हम भी इन्हें देख रहे हैं। इसलिए आज जिस तरह से यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया है उसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। चाहे वह उद्योग विभाग का मामला हो या अन्य विभागों का। जैसा कि अभी बताया गया कि उद्योग विभाग में भी धारा 118 की परमिशन से संबंधित मामले सामने आए हैं। आज स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती डरा-धमकाकर उसकी इंडस्ट्री 25 लाख रुपये में ले ली जाती है। इसके एक साल बाद दोबारा धारा 118 की परमिशन करवाकर उसी इंडस्ट्री को 12 करोड़ रुपये में आगे बेच दिया जाता है। यह तो बहुत अच्छा बिजनेस है। फिर इसे भ्रष्टाचार क्यों नहीं कहा जाएगा? लेकिन जब इस पूरे

मामले में सरकार का संरक्षण प्राप्त हो तो इसे भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। अंत में सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के जितने मामले आज इस सदन के अंदर और सदन के बाहर सामने आ रहे हैं उतने मामले इससे पहले किसी भी सरकार

17.11.2026/1525/बी.एस./-3

के कार्यकाल में सामने नहीं आए। इसलिए हम जो यह स्थगन प्रस्ताव इस सदन में लेकर आए हैं उसके पीछे यही मुख्य कारण है। आज बाहर भी लोग कह रहे थे कि इस विषय पर आप सदन में आकर अवश्य चर्चा करें ताकि प्रदेश को भी पता चल सके कि यहां क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। इसलिए ये सारी बातें मैं आपके द्वारा दिए गए समय में आज सदन के सामने रखना चाहता था। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापतिः मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

17.11.2026/1530/डीटी/डीसी-1

सभापति : मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्रीः सभापति महोदय, एक कहावत है कि 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे'। मैं इस चर्चा का पूरा रिप्लाई तो बाद में दूंगा लेकिन कुछ बातें मैं अभी सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। मैं दो-तीन प्वांइट पर अपनी बात रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मैं आपको प्यार से कह रहा हूं। आप इतना गुस्सा मत होइए। आपके पास जो फीडबैक होती है उसे आप हर सेशन में नियम- 67 के तहत लेकर आते हैं। आपने हिमाचल ऑन सेल का विषय उठाया है लेकिन यह हिमाचल ऑन अवेल होना चाहिए था। हमने किशाऊ बांध पर अवेल किया है। बी0बी0एम0बी0, वाइल्ड फ्लावर हॉल जे0एस0डब्ल्यू0 पर अवेल किया है। जहां राजनीतिक दृढ़ इच्छाशक्ति होती है वहां भ्रष्टाचार समाप्त होता है और वहां अवेलेबिलिटी होती है। जब श्री मुकेश जी विपक्ष के नेता थे उस समय इन्होंने हिमाचल ऑन सेल का नारा

दिया था। आज सुबह मेरी संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी से बात हुई। माननीय जगत सिंह नेगी जी से भी बात हुई और फिर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से भी बात हुई। यह कहा गया कि नियम-67 के तहत हिमाचल ऑन सेल का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं और यह प्रस्ताव लाया भी गया। अब माननीय विपक्ष के नेता जी को तनावमुक्त कैसे रखा जाए या तनावयुक्त कैसे रखा जाए उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा। जिसने यह विषय उठाया है उसे उन चीजों को भी सदन के समक्ष रखना चाहिए। मुझे लगता है कि कल जैसे ही हमने व्हाइट पेपर लाकर कमेटी गठित करने की घोषणा की उसकी नोटिफिकेशन आज हो गई है। मैं उसकी प्रति भी सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। इस कमेटी के चेयरमैन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। इस कमेटी में श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री जगत सिंह नेगी, श्री रोहित ठाकुर, श्री अनिरुद्ध सिंह, श्री विक्रमादित्त्य सिंह और राजेश धर्माणी जी इसके सदस्य हैं। इन सभी को हमने इस कमेटी में शामिल किया है।...(व्यवधान)

सभापतिः कृपया बीच में न बोलें।...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : मैं आपकी मांग पूरी करता हूं। मैं आपकी बात पर ध्यान देता हूं। आप मेरे साथी हैं इसलिए मैं क्यों आपकी बात पर ध्यान नहीं दूंगा? ...(व्यवधान) अब जब व्हाइट पेपर आएगा। ...(व्यवधान) ये श्री जय राम ठाकुर जी को हटाने के लिए लगे रहते हैं लेकिन हम तो इनके शुभचिंतक हैं। इसलिए ये इस प्रकार के प्रस्ताव हर बार

17.11.2026/1530/डीटी/डीसी-2

लाते हैं। ये काम रोको प्रस्ताव है फिर भी हम इन प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं। ...(व्यवधान) कोई भी आरोप लगाने से पहले आपके पास उसके कागज और तथ्य होने चाहिए। श्री जय राम ठाकुर जी कहते हैं कि हमने हिमकेयर योजना को बंद कर दिया है। आज मैं हेल्थ के दो-तीन प्वाइंट पर बात करुंगा। आज मैं केवल दो विषयों पर ही बात करूंगा। पहला प्वाइंट मेडिकल डिवाइस पार्क के सबंध में है। मैं इनकी स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें ये मेडिकल डिवाइस पार्क की बात कर रहे थे। अब हिमाचल ऑन सेल कौन है? जिसने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए मुफ्त जमीन देनी है, वह हिमाचल ऑन सेल है या वह हिमाचल ऑन सेल है जिसने केंद्र सरकार को कहा कि हिमाचल में मुफ्त में जमीन नहीं दी जाएगी और आप अपने 30 करोड़ रुपये वापिस ले लीजिए। हम इस पार्क को अपने

स्तर पर विकसित करेंगे। ...(व्यवधान) हम प्लॉट काट रहे हैं, हम जमीन मुफ्त में नहीं बेचेंगे।

श्री एन0जी0द्वारा जारी....

17.11.2026/1535/डी.सी.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री..... जारी

...(व्यवधान) काट रहे हैं न, मुफ्त में तो नहीं बेचेंगे।

सभापति महोदय, मेडिकल डिवाइस पार्क के 30 करोड़ रुपये की पहली किश्त दी गई और कितने एकड़ जमीन, जिसके लिए केन्द्र सरकार ने केवल 100 करोड़ रुपये का हिस्सा रखा। हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति देखिए। इस दृढ़ इच्छाशक्ति ने कहा कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा अपने पास रखे, क्योंकि हम अपने प्लॉट स्वयं काटेंगे और ओपन सेल करेंगे तथा पारदर्शी तरीके से सेल करेंगे। तो हिमाचल ऑन सेल कौन कर रहा है? ...(व्यवधान) हिमाचल ऑन सेल में हिस्सेदारी आप करते होंगे, हमारे समय में कोई नहीं कर सकता। जहां दृढ़ इच्छाशक्ति होती है, वहां लड़ाई जीती जाती है। यह दृढ़ निश्चय शक्ति का परिचय है। जहां दृढ़ इच्छाशक्ति खरीदी जाती है या कमजोर कर दी जाती है, वहां लड़ाइयां जीती नहीं जाती। इसलिए जनता उसे खुद योद्धा कहते हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। जिनको तकलीफ है, उन्होंने तो स्वयं हिमाचल ऑन सेल कर रखा था। उनके खिलाफ तो कई चीजें चल रही हैं।

दूसरा, आपने कहा है कि एम0आर0आई0 व रोबोटिक सर्जरी की मशीनें खरीदीं। इसके लिए या तो एम्स गलत है या पी0जी0आई0 गलत है, क्योंकि हमने उनसे सस्ती रोबोटिक मशीन खरीदी है। उसके बाद एम्स के डॉक्टर ने हमसे पूछा भी था कि इतनी सस्ती कैसे खरीदी? मैं बताना चाहता हूं कि उस समय के डायरेक्टर कौन थे। हमारे माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी बैठे हैं, इनके भाई से पूछ सकते हैं, शायद इनके

कजन हैं या गांव के रिलेशन में हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उसमें कुछ हुआ? दूसरा, एक एम0आर0आई0 मशीन खरीदी। मैंने एम0आर0आई0 मशीन आपके नेरचौक मेडिकल कॉलेज में लगाई। अभी 20 तारीख को टांडा मेडिकल कॉलेज में भी एम0आर0आई0 मशीन लगाने जा रहा हूं।

17.11.2026/1535/डी.सी.-एन.जी./2

आई0जी0एम0सी0 में भी एम0आर0आई0 मशीन लगाई। कौन-सी एम0आर0आई0 लगाई? जिस तरह से आईफोन होता है, उसी प्रकार इसकी भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। इसमें 1.5 टेस्ला होता है।...(व्यवधान) इसकी क्वालिटी होती है। जिस तरह फोन होता है, जैसे प्रो होता है, उसी तरह एम0आर0आई0 1.5 टेस्ला होती है। उससे ऊपर कौन-सी मशीन है? एम0आर0आई0 3 टेस्ला है, जोकि एम्स दिल्ली, पी0जी0आई0 और कुछ अन्य हॉस्पिटल्ज़ में लगी है। मैंने कहा कि श्री जय राम ठाकुर जी के यहां अगर एम0आर0आई0 मशीन नहीं है, तो मैं इनको भी देता हूं। क्योंकि मण्डी जिला में भी हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, इसलिए हमने उनको भी दी। आपको बताना चाहता हूं कि कहां से लाई? भारत सरकार की एक कंपनी है जिसने एम0आर0आई0 मशीन खरीदी। भारत सरकार की कंपनी माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में है। अगर कुछ घपला हुआ है तो श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछिए क्योंकि टेण्डर और रेट कॉन्ट्रैक्ट उनके विभाग का है।

तीसरी बात मैं हिमकेयर योजना की करना चाहूंगा। हिमकेयर योजना से श्री जय राम ठाकुर जी को कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने अच्छे के लिए किया होगा। इसमें जो लोग थे, उनसे परेशानी है। मैंने पिछली बार कहा था कि पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए हैं।...(व्यवधान) अभी एक और नया सच सामने आ रहा है।...(व्यवधान) बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल बने हैं, मैं यह कह रहा हूं।...(व्यवधान) आपको दिखा दूंगा। आपको एक और बात बता रहा हूं क्योंकि एक और नई चीज सामने आई है। इसमें पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए और महिलाओं के टेस्टिकल के ऑपरेशन हुए।...(व्यवधान) यह सच्चाई

है।...(व्यवधान) महिलाओं के टेस्टिकल के बिल बने हुए हैं।...(व्यवधान) इस माननीय सदन में मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा?

सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं।...(व्यवधान)

17.11.2026/1535/डी.सी.-एन.जी./3

Chairman: Please don't disturb. ...(Interruption).

मुख्य मंत्री : एक्शन किया है।...(व्यवधान) एक्शन किया है। माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह, मैं आपकी बात हमेशा मानता हूं। आपने बोला, एफ0आई0आर0 दर्ज करो, मैंने करवा दी। आपने बोला, एक्शन करो, हमने एक्शन कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या? अभी धीरे-धीरे इंक्वायरी चल रही है। ठीक है कि आप किसी मिनिस्टर की पोस्ट कम करना चाहते हो, तो आपकी अपनी राजनीति हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यह सच्चाई है। पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन और महिलाओं के टेस्टिकल के ऑपरेशन हुए हैं। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका प्रूफ मैं यहां रख दूंगा।...(व्यवधान)

Chairman: Please don't disturb. ...(Interruption). Let Hon'ble Chief Minister speak. ...(Interruption).

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, एक और चीज बताना चाहूंगा। बड़ी विचित्र बात है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जब विपक्ष के लोग प्रस्ताव लाते हैं तो भावनाओं में मत लाया करो। आप पूरी पार्टी हैं। श्री जय राम ठाकुर जी को आप तंग क्यों करते हो?

ए0टी0 द्वारा.....जारी

17.11.2026/1540/AT/HK/-01

मुख्य मंत्री जारी.....

जय राम जी को आप क्यों तंग करते हैं? उन्हें तंग मत किया कीजिए। आप उनसे पहला भाषण 44-45 मिनट का बुलवाते हैं और फिर मुझे कुछ बातों का जवाब देना पड़ता है। ये सब चीजें जो हो रही हैं, वे प्रदेश के हित में नहीं हैं, चाहे गलती किसी की भी हो। गलती तो हुई है। जब आप इस तरह के काम रोको प्रस्ताव लाएंगे तो आपको उसका जवाब भी सुनना चाहिए। एक बात और सुन लीजिए। ...(व्यवधान) ये तथ्य हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां जो भी बोल रहा हूं, तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं। अब मैं जय राम जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाना है। पिछली बार 15 विधायकों ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया था। इस बार आज के भाषण को लेकर भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आना है। मुकेश जी, आप इसका ध्यान रखिएगा और संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपने विधायकों को समझाना है।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, हिम चंडीगढ़ की बात आई है। हिम चंडीगढ़ के बारे में हमने सोचा और विचार किया। हमने 8,000 बीघा जमीन आवास विभाग के नाम की है, बोर्ड के नाम नहीं की है। मैंने कहा है कि इस जगह को अभी और खरीदना है। अभी कुछ और जमीन खरीदनी है और वहां के स्थानीय लोगों को किस प्रकार इसमें भागीदार बनाना है इस पर भी काम करना है। हमने अभी कोई जमीन बेची नहीं है और न ही हम बेचते हैं। पांच हजार बीघा जमीन बिना पंजीकरण के बेच दी गई थी। कस्टमाइज फैक्टरी के नाम से, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम प्रदेश के हित को सर्वोपरि रखते हैं। प्रदेश के हित के लिए हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी विधायक और हर कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप चार साल में ऐसा कोई एक कागज या दस्तावेज बता दीजिए, जिसमें हमारे विधायक या मंत्रिमंडल के सदस्य के संबंध में इस तरह की कोई बात हो। सभापति महोदय, एक और बात है। ...(व्यवधान) चार हजार बीघा जमीन नॉन-पूलिंग की है। ...(व्यवधान) नहीं-नहीं, उसमें ग्रीन एरिया भी है।

...(व्यवधान) सात हजार बीघा में ग्रीन एरिया भी शामिल है जो सरकार का ग्रीन एरिया है। ...(व्यवधान) एक और बात कहना चाहता हूं। इन्होंने इंडस्ट्रियल प्लॉट की बात की है और कहा है कि प्लॉट दे दिए गए। मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। हमने जो

17.11.2026/1540/AT/HK/-02

इंडस्ट्रियल प्लॉट दिए हैं वे किसी सस्ती कीमत पर नहीं दिए हैं। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नया बनाने की बात कही है। माननीय विक्रम ठाकुर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें प्रदेश के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी, जिससे प्रदेश को जी0एस0टी0 प्राप्त होगा। ...(व्यवधान) आपको जो जानकारी दी जाती है, विक्रम जी, वह सही जानकारी नहीं होती। ...(व्यवधान) यह हमारे ही समय में शुरू हुआ था।...(व्यवधान) विक्रम जी, हमारा ही समय चल रहा है और आने वाला समय भी हमारा ही है। आप चिंता मत कीजिए। समय हमारा है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी होगी, जिससे प्रदेश का हित सुरक्षित रहे। यह पॉलिसी जल्द ही लाई जा रही है। आगे-आगे देखिए, होता है क्या। एक और बात बताना चाहता हूं, सभापति महोदय। पहले इंडस्ट्रियल प्लॉट की कीमत 50 प्रतिशत तक कम कर दी जाती थी। मैंने कहा है कि प्लॉट पूरे निर्धारित रेट पर दिए जाने चाहिए। इसकी अधिसूचना हम आपको पूरा जवाब देते समय उपलब्ध करवा देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभापति महोदय इन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। मैंने सोचा कि यदि उन बातों को अभी उठाया, तो इनका माहौल थोड़ा और बिगड़ेगा। इसलिए उन बातों का जवाब मैं बाद में ही दूंगा, क्योंकि उस समय इन्होंने वॉकआउट करना है। धन्यवाद।

17.11.2026/1540/AT/HK/-03

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा भाग लेंगे।

श्री हरदीप सिंह बावा : धन्यवाद, सभापति महोदय। नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है, उसमें आपने मुझे भी भाग लेने का अवसर दिया है। यहां विपक्ष द्वारा जो बातें रखी गई हैं, उनमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैं वर्ष 2017 से 2022 तक भाजपा की सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। उस समय कोविड के दौरान प्रदेश, देश और पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई थी

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...

17.11.2026/1545/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री हरदीप सिंह बावा..... जारी

उस समय भी तत्कालीन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी से संबंधित पी0पी0ई0 किट घोटाला किसी से छिपा नहीं है। इस मामले में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला दर्ज हुआ तथा उस समय स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की गिरफ्तारी भी हुई। जब प्रदेश के लोग अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय स्वास्थ्य विभाग में इस प्रकार के आरोप सामने आना अपने आप में गंभीर विषय था।

सभापति महोदय, मैं इससे आगे बढ़ते हुए कस्टमाइज्ड पैकेज की बात करना चाहूंगा। इस विषय पर कई साथियों ने अपनी बात रखी है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां मुख्य रूप से कस्टमाइज्ड पैकेज का दुरुपयोग हुआ है। कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर सरकारी भूमि का आदान-प्रदान किया गया और मेरे विधान सभा क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन को कौड़ियों के भाव बेचा गया। जैसा कि माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी ने भी कहा है कि नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र की 5,000 से अधिक बीघा जमीन अलग-अलग लोगों को कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर एक रुपये प्रति मीटर की दर से दी गई। नालागढ़ और दून विधान सभा क्षेत्र इंडस्ट्रियल हब हैं। बद्दी-बरोटीवाला क्षेत्र दून विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है। वहां बड़े-बड़े उद्योग और फार्मा हब स्थापित हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जब-जब भाजपा की सरकार रही है, उस समय अकेले नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे उद्योग स्थापित किए गए हैं जिनमें एथनॉल प्लांट, शिवालिक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमैंट प्लांट और ए0पी0आई0 यूनिट किनविन को

लगभग 175 बीघा जमीन एक रुपये प्रति मीटर की दर से दी गई। भारत स्पिरिट के एथनॉल प्लांट को भी एक रुपये प्रति मीटर की दर से जमीन दी गई और ये सभी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं।

सभापति महोदय, मैं स्पीकर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले वे मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिवालिक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमैंट प्लांट के मुद्दे को लेकर पहुंचे। वहां चल रहे धरने में उन्होंने लोगों से मुलाकात की, मैनेजमैंट से बातचीत की तथा पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर उनकी बात भी सुनी। मैं यह कहना

17.11.2026/1545/टी0सी0वी0/एच0के0-2

चाहूंगा कि भाजपा ने विशेष तौर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिस प्रकार का माहौल बनाया है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, मैं समझता हूं कि ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। आज कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर एथनॉल प्लांट, ए0पी0आई0 यूनिट और शिवालिक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमैंट प्लांट सहित जितने भी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं, उन सभी को कौड़ियों के भाव जमीन देकर नालागढ़ में स्थापित करने का काम भाजपा की सरकारों ने किया है। मुख्य रूप से यह काम श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय में हुआ।

सभापति महोदय, पूरे देश में केवल एक ए0पी0आई0 यूनिट खुली और वह हिमाचल प्रदेश के मेरे विधान सभा क्षेत्र में खुली। पूरे हिमाचल प्रदेश में केवल एक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमैंट प्लांट बना और वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में बना। पूरे प्रदेश में कहीं भी इतने एथनॉल प्लांट नहीं लगे और मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 एथनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई नया एथनॉल प्लांट स्थापित नहीं किया जाएगा। आज चाहे एथनॉल प्लांट हो, चाहे भारत स्पिरिट हो, हाईजीना लाइफ साइंसिज हो या ए0पी0आई0 यूनिट हो, इन सभी को जिस प्रकार कौड़ियों के भाव जमीन दी गई है

एन0एस0 द्वारा .... जारी

17-11-2026/1550/NS-YK/1

श्री हरदीप सिंह बावा------जारी

वह अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तत्कालीन भाजपा सरकार ने लाखों-करोड़ों रुपये की जमीन इन उद्योगों को कौड़ियों के भाव आवंटित की। आज इसका परिणाम यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को दुर्गंध और पॉल्यूशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जहां तक पूर्व भाजपा सरकार के समय धर्मशाला में आयोजित इन्वेस्टर मीट का सवाल है तो उस मीट में केवल तम्बू लगाने पर ही 20 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। मैं भाजपा के अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि उस समय हिमाचल प्रदेश में वास्तव में कितना इन्वेस्टमैंट हुआ? यहां हमारी सरकार के समय हुए इन्वेस्टमैंट की बात की गई है तो मैं बताना चाहता हूं कि नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लेकर दिनांक 1 नवम्बर, 2026 तक लगभग 7340 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमैंट हुआ है। इस अवधि के दौरान वहां लगभग 16 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। इसी प्रकार दून विधान सभा क्षेत्र में लगभग 6741 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमैंट हुआ है तथा इन उद्योगों के माध्यम से लगभग 18950 लोगों को रोजगार दिया जाना निश्चित हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इन्वेस्टमैंट मीट की बात होती है तो पूर्व भाजपा सरकार के समय हुए खर्च का भी उल्लेख होना चाहिए।

मैं अब एक्साइज पॉलिसी की बात करना चाहता हूं। भाजपा सरकार के समय जितने भी लिकर वेंडर थे उनके ठेकों की हर बार 10 प्रतिशत इन्क्रीज के साथ चार-पांच वर्षों तक नीलामी होती रही। हमारी कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्य मंत्री जी द्वारा ऑक्शन करके ठेकों की नीलामी की गई।

आज मैं पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुई अवैध माइनिंग के संबंध में सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग छह पुलों का निर्माण हुआ। इन पुलों के निर्माण के लिए फिनिश ग्रुप्स के माध्यम बजरी की लगभग 2600 गाड़ियां आईं जिनमें से

2500 से अधिक गाड़ियों के डब्ल्यू0 फॉर्म जाली और नकली पाए गए। यह बजरी पूर्व विधायक के बेटे के क्रशर से आई थी। इस मामले में सरकार द्वारा इन्क्वायरी भी करवाई गई और अब एफ0आई0आर0 भी दर्ज हो चुकी है। पुलिस एफ0आई0आर0

17-11-2026/1550/NS-YK/2

दर्ज करने के बाद अब न्यायालय में चालान पेश करने जा रही है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार भाजपा के लोगों द्वारा किया गया। आज वेबसाइट भी नकली बना दी गई। एक तो फॉर्म जाली है और यहां नकली वेबसाइट के माध्यम से डब्ल्यू0 फॉर्म अर्जित किए गए जो माइनिंग डिपार्टमैंट की आधिकारिक साइट से जारी नहीं हुए थे। इसी प्रकार शिवालिक सॉलिड वेस्ट मेनेजमैंअ ट्रीटमैंट प्लांट वर्ष 2008-09 में स्थापित हुआ था। इस प्लांट में लगभग 2654 इंडस्ट्रीज

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

17.11.2026/1555/RKS/वाईके-1

श्री हरदीप सिंह बावा... जारी

का सॉलिड वेस्ट भेजा जा रहा है। इस तरह 601 प्रकार का हैज़र्डस वेस्ट इस प्लांट में आ रहा है। वर्ष 2019 में वहां एक बहुत बड़ी पब्लिक हियरिंग आयोजित की गई थी। इसमें स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। उस समय के उपायुक्त, एस0पी0, पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी और अन्य अधिकारी भी वहां पहुंचे थे। हालांकि इस पब्लिक हियरिंग में किसी के हस्ताक्षर नहीं लिए गए लेकिन लोगों की सहमति दर्शाकर इस प्रक्रिया को स्वीकृत कर दिया गया। इसके आधार पर तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस प्लांट को अगले 10 वर्षों के लिए एक्सटेंशन देने का काम किया। सभी एथनॉल प्लांट्स की परमिशन तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में दी गई। ए0पी0आई0 यूनिट की स्थापना भी भाजपा सरकार के समय में हुई और स्वयं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भाजपा ने हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश के स्तर पर भी भाजपा सरकार ने इसमें कोई कमी नहीं रखी। मैं यह भी बताना

चाहता हूं कि उस समय दून के तत्कालीन विधायक अपने ही अधिकारियों के बारे में क्या-क्या कहते रहे, यह भी चर्चा का विषय रहा है। उस समय वीडियो भी जारी होते रहे। एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम मालपानी था उसके संबंध में यह कहा गया कि मालपानी ने सारा माल चख लिया। इस प्रकार के आरोप स्वयं भाजपा सरकार के विधायक अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर लगाते रहे। आज ये नियम-67 के तहत इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज आपको एक अन्य उदाहरण देना चाहता हूं। पंचकूला से सूरजपुर, पिंजौर, बद्दी और नालागढ़ तक का मार्ग एन0एच0ए0आई0 के अधीन आता है। पिछले 4 वर्षों से इस मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी हाल ही में इस मार्ग के लिए दोबारा 367 करोड़ रुपये का टेंडर किया गया है। लगभग 40 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए 17 बार टेंडर रद्द हो चुका है। जिस ठेकेदार ने यह कार्य 36 प्रतिशत बिलो रेट पर लिया था, उसने आधा काम बीच में ही छोड़कर टेंडर सरैंडर कर दिया। अब 17 बार टेंडर रद्द होने के बाद दोबारा 360 करोड़ रुपये का टेंडर किया गया है। अभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नया ठेकेदार इस कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर पाएगा। हमें अभी भी ऐसी कोई आशा

17.11.2026/1555/RKS/वाईके-2

नहीं है। यह मामला भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित है। प्रदेश के लोग सड़कों की स्थिति को देखते हुए यह समझते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इसलिए यह जिम्मेवारी भी हमारी ही है। जबकि यह पूरा मार्ग केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आता है। इस मार्ग पर किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ होगा इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। मैं इन शब्दों के साथ जहां इस प्रस्ताव की निंदा एवं विरोध करता हूं वहीं मैं मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री से भी आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन उद्योगों ने भूमि लेने के बाद अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है और एक ईंट तक नहीं लगाई है ऐसे उद्योगों को 5-5 वर्ष हो चुके हैं। जिन लोगों को कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत प्लॉट आबंटित किए गए हैं, वे भारतीय जनता पार्टी और आर0एस0एस0 से संबंधित लोग हैं। यदि आप कहेंगे तो अगले सदन में मैं ऐसे लोगों की औपचारिक सूची भी आपके माध्यम से सदन में

प्रस्तुत कर सकता हूं। हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी वास्तविकता यह है कि हमारी सरकार ने अभी तक किसी भी व्यक्ति को एक भी प्लॉट आबंटित नहीं किया है। चाहे वह मेडिकल डिवाइस पार्क का मामला हो या कस्टमाइज्ड पैकेज की बात हो। मैं अधिक समय न लेते हुए माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के कार्यकाल में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर जो घोटाला हुआ है और जिन उद्योगों को भूमि आबंटित की गई है, उस भूमि का भी विषय गंभीर है। यह भूमि हमारी पंचायतों की शामलात भूमि थी। यह हमारी पंचायतों की चरागाह भूमि थी और हमारे बच्चों के खेल के मैदान भी इसी भूमि पर थे। आज वह सारी भूमि इन उद्योगों के द्वारा कवर कर ली गई है। मुझे ग्राम पंचायत खेड़ा और ग्राम पंचायत कृपालपुर में स्वयं हस्तक्षेप करके माननीय मंत्री जी से आग्रह करना पड़ा और बच्चों को खेल के मैदान के लिए भूमि छुड़वानी पड़ी।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.11.2026/1600/बी.एस./ए.जी.-1

श्री हरदीप सिंह बावा जारी...

आज वे बच्चे वहां खेल रहे हैं। लेकिन पशुओं के लिए चरागाह की जमीन नहीं बची है। मैं यह बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अंत में मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नालागढ़।

17.11.2026/1600/बी.एस./ए.जी.-2

सभापतिः माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी अब इस चर्चा में भाग लेंगे।

माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी, उपस्थित नहीं।

अब माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, आज इस माननीय सदन में नियम-67 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री बिक्रम ठाकुर जी द्वारा लाया गया है। आपने मुझे इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता पर वर्ष 2022 में 69 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था। आज वर्ष 2026 में यह कर्ज बढ़कर लगभग 110 करोड़ करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अनेक केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत धनराशि आती है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में 13 एक्सटर्नली एडिड प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध हो रही है। आज प्रदेश में जो विकास दिखाई दे रहा है केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और एक्सटर्नली एडिड प्रोजेक्ट के माध्यम से ही दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत प्रदेश सरकार द्वारा पिछले समय में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये का जो अतिरिक्त कर्ज लिया गया है उसके अनुरूप हिमाचल प्रदेश में कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कारण हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। माननीय विधायक श्री विक्रम ठाकुर जी द्वारा यह प्रस्ताव भी इसी विषय को लेकर लाया गया है।

सभापति महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि पैसा दिल्ली से आता है और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को उपलब्ध करवाया जाता है। इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश का विकास करना है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा ट्रेजरी बंद कर दी जाती है। बिना कमीशन दिए संबंधित लोगों को उनका पैसा नहीं मिलता। धनराशि केंद्र सरकार की होती है और विकास हिमाचल प्रदेश में होना होता है लेकिन ट्रेजरी हिमाचल प्रदेश सरकार बंद करती है। ट्रेजरी से कोई भी बिल तब तक पास नहीं होता जब तक कोई कॉन्ट्रैक्टर थैला लेकर सरकार के पास या संबंधित अधिकारी के पास नहीं जाता। यह

17.11.2026/1600/बी.एस./ए.जी-2

प्रक्रिया पिछले चार वर्षों से लगातार चल रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तो इन्होंने एम0एल0ए0 फंड और एम0एल0ए0 डिस्क्रिशनरी फंड भी बंद कर दिया है। ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि विधायकों की धनराशि भी तब तक ट्रेजरी से जारी नहीं होगी जब तक वे कोई-न-कोई योगदान न करें। आज की स्थिति यह है कि हम विधायक यदि किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करना चाहें तो तत्काल 25,000 रुपये उपलब्ध करवाते हैं तो वह भी ट्रेजरी से पास नहीं हो रहे हैं। आज के दिन ट्रेजरी परी तरह से कंट्रोल कर दी गई है और हिमाचल में तब तक कुछ भी नहीं हो रहा है जब तक कोई न कोई योगदान न कया जाए। डिस्क्रिशनरी से 30 हजार रुपये डिस्क्रिशनरी से दिए जाते हैं लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वे मामले ट्रेजरी से पास नहीं हो रहे हैं और लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। ट्रेजरी पर पूरी तरह नियंत्रण लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में तब तक कोई काम नहीं हो रहा है जब तक कोई-न-कोई कंट्रीब्यूशन न दिया जाए।

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने इस माननीय सदन में दो बार धारा 118 में बदलाव लाया है। यह बड़ी हैरानी की बात है। सभापति महोदय, मैं आज डॉ0 वाई0एस0 परमार जी और तत्कालीन सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के किसानों की जमीन को बचाया है।

सभापति : माननीय सदस्य अभी तो यह मामला सिलेक्ट कमेटी के पास है।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अगर धारा 118 की बात करें तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार इसी में हुआ है। सभापति महोदय, आज मुख्य मंत्री महोदय सदन में उपस्थित हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि वे इस बात को बड़े ध्यान से सुनें। धारा 118 के उल्लंघन से संबंधित जांच भी हो चुकी है और ऐसे 500 से अधिक मामले सामने आए हैं। लेकिन अभी तक उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अगर धारा 118 के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की गई होती तो किसकी हिम्मत थी कि कोई इस प्रकार का उल्लंघन करता? उपायुक्तों ने इन मामलों की इंक्वायरी की है और धारा 118 के उल्लंघन से संबंधित 500 से अधिक मामले हिमाचल प्रदेश सरकार के पास लंबित पड़े हैं। **श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....**

17.11.2026/1605/डीटी/एजी-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी....

हिमाचल प्रदेश सरकार के पास लंबित पड़े हैं जिनमें वॉयलेशन हुई है।

सभापति : माननीय सदस्य कृपया एक मिनट बैठ जाइए क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो 118 से संबंधित उल्लंघन के मामले बताए हैं यदि आप ये मामले मेरे ध्यान में लाएंगे तो हम इनकी अवश्य इन्क्वायरी करवाएंगे। आपने जो 500 मामले बताए हैं उनमें से एक-दो नाम मुझे बता दीजिए ताकि मैं पूरे मामले मंगवा लूं। **यदि उनमें इन्क्वायरी करवाने या आगे कोई एक्शन लेने की आवश्यकता होगी तो हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी।**

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय मुख्य मंत्री जी ये मामले सभी जिलों से संबंधित हैं और इनकी इन्क्वायरी उपायुक्त महोदय के स्तर पर पूरी हो चुकी है परंतु आगे कार्रवाई नहीं हुई है।

मुख्य मंत्री : मैंने आपको कहा है कि यदि इन्क्वायरी में किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन्स हैं या कोई अन्य बात है तो वह भी मुझे बता दीजिए। आप मेरे ध्यान में ये मामले ला रहे **हैं और निश्चित रूप से आपके ध्यान में भी कुछ बातें होंगी। आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस पर एक्शन भी लूं और इन्क्वायरी भी करवाऊं।**

श्री बलबीर सिंह वर्मा : मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूं कि यदि आपने 118 को सख्त नहीं किया तो हिमाचल प्रदेश में सभी किसान एवं बागवान भूमिहीन हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की जमीन पर देश के सभी लैंड माफिया की नजर है। 118 में ही ऐसा प्रावधान है जिससे हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों की जमीन सुरक्षित है। मेरी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से विनती है कि इस मामले में जो अधिकारी मिले हुए हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। ये जो 500 के करीब मामले हैं ये बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हुए हैं। इसलिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी

चाहिए और कानून में भी सख्ती लाई जानी चाहिए। अधिकारियों को केवल नोटिस दिया जाता है या उनकी प्रमोशन रोक दी जाती है। जब तक इस कानून में अधिकारियों और

17.11.2026/1605/डीटी/एजी-2

जमीन खरीदने वालों के विरुद्ध सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक इस प्रकार के घपले लगातार होते रहेंगे। सभापति महोदय, इसी फर्जीवाड़े में कांगड़ा एयरपोर्ट के साथ लगती जमीन का मामला भी शामिल है। वहां भी इसी फर्जीवाड़े का हवाला दिया गया है और किसी व्यक्ति ने फ्रॉड सर्टिफिकेट देकर 200 कनाल जमीन का फर्जीवाड़ा किया है। इस सरकार के कार्यकाल में सैक्शन 118 के अंतर्गत कुल 2356 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से सैक्शन 118 के अंतर्गत 1495 आवेदन आपने मंजूर किए हैं। इतने आवेदन अभी तक किसी भी सरकार ने मंजूर नहीं किए हैं। आपने केवल 12 आवेदन रिजेक्ट किए हैं जबकि 849 आवेदन अभी भी पेंडिंग हैं। मैं यह आंकड़े माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में पीटरहॉफ की सारी बुकिंग बंद कर दी गई है। क्या इसके लिए सरकार की कोई प्लानिंग चल रही है? क्या सरकार इसका संचालन किसी बाहरी व्यक्ति को देना चाहती है या फिर इसकी रीकंस्ट्रक्शन करना चाहती है? अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस विषय को सदन में स्पष्ट करें। पिटरहॉफ हिमाचल प्रदेश का सबसे अच्छा स्थान है। यदि पिटरहॉफ को बेचने या किसी को देने की कोई प्लानिंग है तो उसे भी सदन में स्पष्ट किया जाए। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के 14 होटल हैं जिनमें से आठ होटल बेच दिए गए हैं या लीज पर दिए हैं। मेरी आपसे विनती है कि यदि इन्हें देना ही है तो इसमें यह कंडीशन लगाई जाए कि ये होटल हिमाचल के लोगों को ही दिए जाएं। इससे हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और हिमाचल प्रदेश की प्रॉपर्टी का लाभ भी हिमाचल के लोगों को ही प्राप्त होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो निकेतन भवन बना हुआ है उसमें तकरीबन 100 कमरे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उसे भी लीज पर देने की कोई प्लानिंग चल रही है? क्या उसे भी बाहर के किसी व्यक्ति को देने की योजना बनाई जा रही है?

श्री एन0जी0द्वारा जारी....

17.11.2026/1610/डी.सी.-एन.जी./1

श्री बलबीर सिंह वर्मा..... जारी

अगर वह देना ही है तो किसी हिमाचली को दें। यह मैं कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री महोदय, शराब के ठेकों में जो आपने रिकवरी करनी है, जो हिमाचल प्रदेश के बाहर के ठेकेदार भाग गए हैं, उनसे जो करोड़ों रुपये लेने हैं, क्या आप उनको लेंगे?

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं। मैं 14 साल से इस सदन में हूं। इस दौरान दोनों पक्षों की अपनी-अपनी सरकार रही है। पिछली सरकार और आपकी सरकार में भी हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम दोनों पक्ष बातें करते हैं। हम दोनों, विपक्ष और पक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अगर पिछली सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ था, तो चार साल में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हम आपको एक आश्वासन जरूर देते हैं कि अगली सरकार में माननीय श्री जय राम ठाकुर जी द्वारा जो भी भ्रष्टाचार आपकी सरकार के चार साल में हुआ होगा, अगले साल उसकी पक्की जांच होगी। हम यह आपको कहना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता भी समझ गई है कि विधान सभा के अंदर दोनों तरफ से भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते हैं पर कार्रवाई कुछ नहीं होती। इसलिए कार्रवाई करनी जरूरी है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि एक बार कार्रवाई हो गई तो किसी अधिकारी-कर्मचारी या नेता की हिम्मत नहीं होगी। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार कार्रवाई हो गई और सरकार की तिजोरी को लूटने वाले एक बार जेल चले गए, तो हिमाचल में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसके बाद भ्रष्टाचार करे। उसके लिए आपको हिमाचल में सख्त कानून लाकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुख्य मंत्री महोदय, मेरी एक बात पर ध्यान दीजिए। हिमाचल के कानून में प्रावधान यह है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो वह 10 दिन जेल में रहता है और 12वें दिन उसी पोस्ट में वापिस आ जाता है। इसलिए ऐसे कानून का प्रावधान हो कि जो एक बार जेल में चला गया, उसको दोबारा नौकरी या पद पर वापस न रखा जाए।

ऐसे कानून का प्रावधान होगा, तो हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार 100 प्रतिशत रुकेगा। यह मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अभी हो रहा है, उसके बारे में एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हम विधायक हैं और डिस्क्रेशनरी फंड से पैसे देते हैं। 20,000/- रुपये के लिए भी हमारी फाइलें ट्रेजरी से पास नहीं हो रही हैं। ऐसी व्यवस्था पहले कभी भी नहीं हुई। क्या हमें 20,000/- रुपये के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी? क्या ट्रेजरी से चालान पास करवाने के लिए और 20,000/- रुपये के लिए हमें बात करनी पड़ेगी? इस व्यवस्था को आप जरूर ठीक करें, क्योंकि यह केवल 20,000/- रुपये का मामला नहीं है। कोई बीमार आदमी अस्पताल में मर रहा है। उसके इलाज के लिए हमने 20,000/- रुपये दिए हैं, लेकिन एक-एक महीने से वे ट्रेजरी से पास नहीं हो रहे हैं। क्या पेशंट एक महीने तक इंतजार करेगा? इस व्यवस्था को आप ठीक करें। इसी प्रकार एम0एल0ए0 फण्ड की राशि भी पास नहीं हो रही है। मैंने एम0एल0ए0 फण्ड से एक माह पहले कुछ पैसे जारी किए हैं, उसका सैंक्शन लैटर भी मिल गया है लेकिन ट्रेजरी में अभी तक पैसे नहीं गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन मदों में तो पारदर्शिता होनी चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : माननीय मुख्य मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने आपको भी दोषी ठहराया है। इन्होंने बोला है कि मैं 15 साल से इस तरफ भी था...(व्यवधान) वैसे ही बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, अभी बोल देता हूं। नहीं तो दीमाग से बात निकल जाएगी।...(व्यवधान) अच्छा नहीं लगेगा।...(व्यवधान) आप सुनो।...(व्यवधान) आप भी हमारे भाई है। ...(व्यवधान) अगर मेरे मुख्य मंत्री काल में इधर आना है, तो आ जाओ क्योंकि यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज है।

17.11.2026/1610/डी.सी.-एन.जी./3

आपने जो कागज दिए थे, उसमें हमने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिसमें से एक मामले में एक एम0एल0ए0 को छुड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 18 एम0एल0ए0 विजिलेंस ऑफिस पहुंच गए थे। मैंने तो कार्रवाई की थी।...(व्यवधान) आप बताओ न, आप भी थे।...(व्यवधान) अब ये मत बोलो।...(व्यवधान)

सभापति : प्लीज, प्लीज।

श्री रणधीर शर्मा : मुख्य मंत्री जी, आपने विपक्ष के विधायकों को प्रताड़ित करने के लिए जो झूठी एफ0आई0आर0 की हैं, उनके विरोध में हम सभी विजिलेंस ऑफिस गए थे।...(व्यवधान) अगर आपके पास कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो बताइए।...(व्यवधान)

Chairman: Please let Hon'ble Chief Minister complete. माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा, आपको टाइम मिलेगा।

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा, मैं आपको भ्रष्टाचार का मामला ही बता रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : मुख्य मंत्री जी, यदि आपके पक्ष से कोई अन्य विधायक भी हमारे पास आ गया तो क्या आप उस पर भी एफ0आई0आर0 कर दोगे? ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : श्री जय राम ठाकुर जी, आप बोलना चाह रहे हैं या मैं बोलूं?...(व्यवधान)

ए0टी0 द्वारा.....जारी

मुख्य मंत्री : आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं बोलूं? ...(व्यवधान)

सभापतिः ठाकुर साहब एक मिनट.(..व्यवधान)

मुख्य मुंत्री : बोलने दो इनको।

सभापतिः माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुरः सभापति महोदय, एक बात को लेकर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए हैं उनमें से सभी मामले केवल और केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दर्ज किए गए हैं। जिन लोगों के साथ आपके राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं मिल पाए वे आपको छोड़कर हमारे साथ आ गए और आप उनके पीछे पड़ गए। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हमारे बहुत से साथी जो अभी दूसरी तरफ हैं हमसे पूछ रहे हैं कि यदि हम भी आपके साथ आ जाएं तो पता नहीं मुख्य मंत्री जी हमारे खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार एक अलग संज्ञा है। उसके अलग-अलग मापदंड हैं और उसके अलग आधार हैं। जानबूझकर किसी के खिलाफ भी खोद-खोदकर मामला दर्ज किया जा सकता है। सरकार के पास ऐसी क्षमता होती है। कई बार बेवजह भी मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। बहुत सारे मामले केवल इसलिए दर्ज किए गए हैं क्योंकि वे मुख्य मंत्री जी को पसंद नहीं हैं।

इसलिए मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की परिभाषा को लेकर आपको स्पष्टता रखनी चाहिए। जो लोग आपके साथ नहीं हैं जो आपके राजनीतिक उद्देश्यों के साथ नहीं चलते या राजनीतिक दृष्टि से आपके साथ नहीं चलते हैं वे सभी भ्रष्ट नहीं हो जाते। वैचारिक दृष्टि से बहुत से लोग आपसे साथ नहीं हो सकते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ भी नहीं होंगे। यह लोकतंत्र है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनके खिलाफ मामले दर्ज करें, जानबूझकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं और उन्हें साबित करने में लिए लग जाएं। इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए।

17.11.2026/1615/AT/DC/-02

मैं पांच वर्ष तक मुख्य मंत्री रहा हूं। पांच वर्ष मुख्य मंत्री रहने के अपने अनुभव के आधार पर मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे पास भी बहुत से ऐसे मामले आते रहते थे जिनका वास्तविक उद्देश्य कुछ और होता था। विवाद किसी और बात को लेकर होता था। चाहे वह पारिवारिक झगड़ा हो या राजनीतिक दृष्टि से किसी का आपसी विवाद हो। हमसे मदद मांगते थे कि इस व्यक्ति को फंसाया जाए और इसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। हमने स्पष्ट कहा कि सरकार इस तरह के कामों के लिए नहीं है। हां, यदि आपके पास साक्ष्य हैं कोई ठोस सबूत हैं या कोई गंभीर आरोप हैं तो उन सभी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। यहां तो सबूत बुला-बुलाकर मंगवाए जा रहे हैं। रिश्तेदारों को बुलाकर उन पर दबाव डालकर कहा जा रहा है कि आप लिखकर शिकायत दीजिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल के इतिहास में इस तरह की घटनाएं आज से पहले नहीं हुई हैं। इसलिए मेहरबानी करके इन चीजों को रोकने की आवश्यकता है। इस प्रकार की कार्रवाइयों को इतना अधिक प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

आपको थोड़ी देर के लिए इससे सुकून मिल सकता है लेकिन आपने राजनीतिक मकसद से किसी का परिवार तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं समझता हूं कि यह कतई उचित नहीं है।

दूसरी बात, आप हमें डराने की कोशिश करते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। अब आपने कमेटी गठित कर दी। आपने कितनी कमेटियां बना दी हैं? आप जो मर्जी कमेटी बनाइए और जो मर्जी कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि जिन लोगों के खिलाफ आपने सारे मामले दर्ज किए हैं क्या उनमें से किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है? क्या किसी मामले में चालान पेश हुआ है? इस बारे में बताइए। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आठ-आठ घंटे तक थाने में बिठाकर रखना यह केवल एक व्यक्ति के अहंकार को संतुष्ट करने का माध्यम बन सकता है। मैं समझता हूं कि

यह उचित नहीं है कि मैंने किसी को चार घंटे बिठा दिया, किसी को आठ घंटे बिठा दिया या किसी को अंदर कर दिया, इसमें आनंद की अनुभूति नहीं होनी चाहिए।

17.11.2026/1615/AT/DC/-03

आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं। आप मुख्य मंत्री हैं और मुख्य मंत्री से बड़ा पद प्रदेश में कोई नहीं होता। इसलिए अपना दिल भी बड़ा कीजिए। यह बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन हां, यदि आपके कोई इस तरह की बात है आपने जितने भी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत से नेताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं लेकिन किसी भी मामले में अभी तक चालान पेश नहीं हुआ है और न ही कोई चार्जशीट दाखिल हो पाई है।

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...

17.11.2026/1620/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री जय राम ठाकुर..... जारी

इन मामलों में कोई सबूत भी नहीं है। इसके बावजूद राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है। मेरा मानना है कि यह उचित नहीं है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री जी को इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यह परंपरा न आपके लिए सुविधाजनक होगी और न ही किसी अन्य के लिए। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, पहले मैं श्री बलबीर सिंह वर्मा जी की बात का जवाब दे लूं क्योंकि इनकी बात का जवाब देना जरूरी है। ...(व्यवधान) ये विपक्ष के नेता हैं, इनकी बात का जवाब भी दूंगा। मैं यहां आया ही इसलिए हूं कि आपकी और इनकी बात का जवाब दूं। मुझे शाम को आना था लेकिन मैं आपको जबाव देने के लिए ही अभी आया हूं। ...(व्यवधान) मुकेश जी हमारे भाई हैं और ये उप-मुख्य मंत्री हैं। मेरी गैर-हाजिरी में वे ही सब कुछ संभालते हैं। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने सुबह ही मुकेश जी से बात

की थी तो इन्होंने बताया कि विपक्ष नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव लाना चाहता है। मैंने उनसे कहा कि बड़ी खुशी से प्रस्ताव लाने दीजिए।

सभापति महोदय, अब मैं श्री बिट्टू वर्मा जी की बात पर आता हूं। वे धारा-118 की बात कर रहे थे। कहीं आपने भी किसी को धारा-118 की अनुमति के बिना फ्लैट तो नहीं बेचा है? इस बात को देख लीजिए। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं पूछ रहा हूं। आपने कह दिया कि नहीं बेचा है, आगे बिक जाएगा । मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि आप इतने बड़े उद्योगपति हैं और इधर से उधर चले गए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें आप भी हमारे साथ आइए। आपको कोई तनाव नहीं होना चाहिए। आपकी विचारधारा क्या है, यह मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। यदि सत्ता में रहना है तो इधर आइए क्योंकि सत्ता वैसे भी जाने वाली नहीं है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है।

अब मैं श्री जय राम ठाकुर जी की बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि 20-20 हजार रुपये के लिए हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। ...(व्यवधान) अब विचारों के बिल क्लियर नहीं हो रहे हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है और न ही हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों का कसूर

है। 75 वर्ष बाद प्रदेश के 8,000 करोड़ रुपये काट दिए जाएं तो इसका हम क्या करें? मेरा विचार है कि अगले क्वार्टर के आर0डी0जी0 का वितरण आप इस ढंग से न करें, क्या पता यह बंद ही हो जाए। पूर्व मुख्य मंत्री जी ने ट्रेजरी के संबंध में इस तरह की बात कही थी। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं क्योंकि ट्रेजरी भी चलानी है। सरकारी कर्मचारियों को डी0ए0 भी देना है और उनके एरियर भी देने हैं। ये सभी चीजें हमें करनी हैं। ...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्माः क्या 100 या 200 करोड़ रुपये के टेंडर वाले ठेकेदारों के लिए ट्रेजरी ठीक हो जाती है...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, मैं एक और बात बताना चाहता हूं ...(व्यवधान) आर0डी0जी0 बंद होती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे से पत्रकार बंधु भी नाराज

रहते हैं। यदि हमारी आर0डी0जी0 के 8,000 करोड़ रुपये बंद हुए हैं तो हमें किसी-न-किसी प्रकार अपने खजाने को तो चलाना ही है। आर0डी0जी0 के माध्यम से आपके जो पैसे हैं, उन्हें दिलाने का मैं प्रयास करता हूं। ...(व्यवधान) आप सदन में भी बता देना। सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी। जो भी ऐसा करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

सभापति महोदय, एक और बात कहना चाहता हूं। जो सैंक्शन लेटर जारी हुआ है, उसके बाद की स्थिति भी देखनी होगी। जब आपका सैंक्शन लेटर जारी हो गया है तो उसके बाद जो स्थिति आपने मेरे ध्यान में लाई है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति पैदा न हो।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

17-11-2026/1625/NS-HK/1

मुख्य मंत्री ------जारी

यदि किसी एक के लिए कोई निर्णय लिया जाता है तो हमारे विधायकों के मामले में भी वही निर्णय सभी पर लागू होगा। मैं आपकी बात समझ गया हूं। ...(व्यवधान) मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। कुछ बातें मैं आपके समक्ष भी रखना चाहता हूं। आज मैंने आपको बता दिया है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ Zero Tolerance की नीति पर चल रही है। किसी के खिलाफ भी तथ्यों के बिना कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तथ्यों की पुष्टि होने के बाद ही कार्रवाई की गई है। माननीय जय राम ठाकुर जी ने कहा कि कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है और वे नाम नहीं लेना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? श्री रणधीर जी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? श्री विपिन सिंह परमार जी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? जब हमारे पास तथ्य आएंगे तभी तो हम एफ0आई0आर0 दर्ज करेंगे। जिनके खिलाफ तथ्य सामने आए हैं उनके विरुद्ध ही एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है। सभापति महोदय, हमारे पास ऐसे तथ्य नहीं हैं। उसमें कई प्रकार की इन्वॉल्वमैंट पाई गई है। हिमाचल ऑन सेल है, उसे हमने कैसे बचाना है, यह बात भी हम आपके सामने रखेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता

हूं। हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। यदि माननीय इन्द्र दत्त लखनपाल जी, श्री पवन काजल जी और श्री बलबीर सिंह वर्मा जी वहां (भाजपा) चले गए तो क्या हमने उनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया? हमने कोई केस दर्ज नहीं किया। आप कहते हैं कि हमने आपके खिलाफ केस दर्ज किए हैं। जिनके खिलाफ तथ्य सामने आए हैं, उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बार-बार कहते हैं कि पांच साल तक आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यदि आप पांच साल तक भ्रष्टाचार पर आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या हम भी न करें। ...(व्यवधान) फिर वह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई नहीं थी। वह राजनीतिक प्रतिशोध नहीं था। देखिए, हम सत्ता में सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम कोई कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से नहीं कर रहे हैं। यदि आप राजनीतिक प्रतिशोध की बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि आपने किस प्रकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई

17-11-2026/1625/NS-HK/2

की थी। हमारे एक सांसद अभी-अभी भारतीय जनता पार्टी से बने हैं। ...(व्यवधान) मैं श्री हर्ष महाजन जी की बात कर रहा हूं। जब वे कांग्रेस में थे तब सब ठीक था। लेकिन जब आप मुख्य मंत्री थे तब आपने एच0पी0 कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के खिलाफ उनकी सोसायटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के मामले में विजिलेंस में केस दर्ज करवाया था और एफ0आई0आर0 दर्ज हुई थी। क्या उस समय वह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से नहीं की गई थी? मैं यह कह रहा हूं कि हर समय तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई होती है। मैंने भी अब तक जो कार्रवाई की है वह तथ्यों के आधार पर की **है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी के भी खिलाफ तथ्यों के बिना राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।** जो भी हिमाचल प्रदेश की संपदा को लूटेगा या उसे लूटने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मंत्रिमंडल के सदस्य सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे।

17-11-2026/1625/NS-HK/3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री चंद्र शेखर जी भाग लेंगे। श्री बलबीर सिंह वर्मा जी, आपने बोल दिया है। कुछ भी व्यक्तिगत नहीं बोला गया है।

श्री चंद्र शेखर : सभापति महोदय, आदरणीय बिक्रम सिंह जी द्वारा सभी कामों को रोक कर जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है और भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर यह सदन चर्चा कर रहा है तो मैं भी इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, सार्वजनिक जीवन में हम सभी से पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है कि सरकारें और संस्थाओं का नेतृत्व करने वाले सभी लोग संविधान के अंतर्गत निर्धारित मूल्यों और सिद्धांतों पर जरूर अमल करें जिन मूल्यों और सिद्धांतों को संविधान में हमारे पूर्वजों ने अंकित किया है। सार्वजनिक जीवन में हम सभी को इनको अमल में लाने के लिए जूझना भी पड़ता है और व्यवस्थायें कायम भी करनी पड़ती हैं। सुबह ऐसा लग रहा था कि

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

17.11.2026/1630/RKS/HK-1

श्री चंद्र शेखर.... जारी

विपक्ष भ्रष्टाचार के किसी बहुत बड़े मामले को लेकर सदन की समस्त कार्यवाही रोक देगा और ऐसी बातें रखेगा जिससे प्रदेश की जनता सचमुच हतप्रभ रह जाएगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया वैसे-वैसे विपक्ष की ओर से बजट भाषण के रूप में चर्चा शुरू कर दी गई। भ्रष्टाचार से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी उन सभी बिंदुओं पर विपक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए क्रियाकलापों को लेकर पूरी तरह मौन साध लिया। श्री जय राम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष भी हैं और पूर्व मुख्य मंत्री भी रहे हैं। वे मेरे जिला मंडी के नेता भी हैं। मैं इनका आभारी हूं और इनका हमेशा सम्मान करता हूं। मुझे विश्वास है कि जिस पद पर वे आसीन रहे हैं उस पद की गरिमा के अनुरूप वे संयम दिखाएंगे और दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे। यदि वे एकतरफा बातें ही सुनते रहे तो उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जिला मंडी के धर्मपुर

की महान जनता ने मुझे अकेले कांग्रेस विधायक के रूप में चुनकर क्यों भेजा? इसके पीछे क्या कारण रहे और भारतीय जनता पार्टी में इस विषय पर कभी आत्ममंथन किया गया कि धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस का विधायक क्यों चुना? आज मैं जो बातें आपके समक्ष रखूंगा वे ऐसी बातें हैं जिन्हें इनके मुख्य मंत्री रहते हुए भी इनके दल के लोग बता रहे थे। आम जनता भी इन बातों को उठा रही थी लेकिन उन सभी बातों को नजरअंदाज किया गया। आज भी इंफोर्मेशन की वही बैटरी चल रही है और उसी के आधार पर ये लोग यह मानकर चल रहे हैं कि जिन कारणों से वे सत्ता से बाहर हुए थे उन्हीं कारणों को दोबारा अपनाकर सत्ता में लौट आएंगे लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। सर्विस सैलैक्शन बोर्ड में जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था उसके बारे में इनकी पार्टी के लोग और संगठन के सदस्य भी कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी यह ठीक नहीं हो रहा है लेकिन इन्होंने उन बातों को अनसुना कर दिया। आज सर्विस सैलैक्शन बोर्ड में 80 से अधिक एफ0आई0आर0 दर्ज हुई हैं और कई लोगों को जेल जाना पड़ा है। यह सब अचानक नहीं हुआ है। इसी प्रकार पुलिस विभाग में चुनाव से ठीक 4 महीने पहले जो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार हुआ वह हिमाचल के इतिहास में अंकित हो चुका है। इस घटना से आप कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है और माना है कि गलती हुई थी। ये गलतियां छोटी नहीं थीं। इसका पैमाना बहुत व्यापक है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र के लंबित मामलों को लेकर सदन में खड़ा हुआ हूं। जल जीवन

17.11.2026/1630/RKS/HK-2

मिशन के अंतर्गत पिछली सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई थी। इनके वक्त की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की देनदारियां अभी भी लंबित हैं। इनमें ठेकेदारों की देनदारियां भी शामिल हैं और कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। बिना लाभ-हानि का आकलन किए रेस्ट हाउसिज का निर्माण भी करवाया गया। भारत सरकार ने भी इस संबंध में स्पष्ट कहा है। माननीय उप-मुख्य मंत्री ने सदन में बयान दिया है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी लगातार यह कहा जाता रहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि रेस्ट हाउसिज के निर्माण में लगा दी गई। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस राशि का उपयोग किया गया। आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 250 करोड़ रुपये की

बहुत बड़ी राशि लंबित पड़ी है। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में लगभग 220 करोड़ रुपये की पाइपों की जखीरा आज भी खाली जगहों पर पड़ा है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

17.11.2026/1635/बी.एस./वाई.के.-1

श्री चंद्र शेखर जारी...

इन पाइपों का जखीरा खड्डों और दरियाओं के किनारे पड़ा हुआ है। इनकी गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जिस तरह कांच की चूड़ियां टूटती हैं उसी तरह ये पाइपें टूट रही हैं। यदि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर क्या है? 220 करोड़ रुपये कोई छोटी राशि नहीं होती है लेकिन इस पूरे मामले को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया।

प्रदेश के युवा नौकरी मांगते हैं। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ आज श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के महकमे से लगभग 6,000 नौकरियां दे रही है और कई नौकरियां दी जा चुकी हैं। ये सभी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं। इसमें न तो हाईकोर्ट में कोई पिटीशन हुई है और न ही किसी अन्य न्यायालय में कोई पिटीशन फाइल हुई है लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही लगभग 1,800 नौकरियां दे दी गईं। जो बच्चे प्राइवेट क्षेत्र में 25,000-25,000 रुपये की नौकरियां कर रहे थे उनको यह कहकर बुलाया गया कि उन्हें पक्की सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। मैं सदन और प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि इन 1,500 नौकरियों में लगभग 300 नौकरियां ऐसे पंप ऑपरेटरों की हैं जिनके पास आवश्यक डिग्रियां नहीं थीं। जिनके पास फिटर की आई0टी0आई0 नहीं थी उनको पंप ऑपरेटर और फिटर लगा दिया गया। इनमें लगभग 300 ऐसे मामले हैं जिनमें कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज तक सही नहीं थे। कुछ अभ्यर्थियों ने जाली मैट्रिक के प्रमाण-पत्र जमा करवाए थे।

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के सामने पिछली सरकार ने एक ऐसा अद्भुत नमूना पेश किया और कहा कि आप आ जाइए यहां पर नौकरियों का जखीरा बांटा जा रहा है उसमें आपकी नौकरियां दी जाएंगी। हैरानी की बात यह है कि यदि मेरी पंचायत में उसी पंचायत के प्रधान को बिठाकर नंबर दिए जाते तो बात अलग थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बगल की तीन पंचायतों से प्रधानों को बुलाकर चौथी पंचायत के पैनल में बिठाया गया। यदि आज इस मामले की जांच की जाए तो जांच में यह स्पष्ट होगा कि कोई बड़ी मछली नहीं फंसने वाली है। यदि कोई फंसेगा तो वह बेचारा छोटा कर्मचारी होगा जिसे बलि का बकरा बनाया गया है। इन कर्मचारियों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसका राजनीतिक लाभ भी नहीं हुआ।

17.11.2026/1635/बी.एस./वाई.के.-2

सार्वजनिक जीवन में जनता स्वयं परखती है कि राजनीतिक लाभ किस प्रकार लिया जाना चाहिए। आपने अपनी पसंद के आधार पर लोगों को चुना और पिक एंड चूज की नीति अपनाई। जो पात्र बच्चे और पात्र बेरोजगार थे उनको नौकरियां नहीं दी गईं। जिस पार्टी ने यह मंशा पाली कि परिवारवाद नहीं चलेगा और हम परिवारवाद को नहीं मानते उस पार्टी के लोग उसी परिवार के पीछे खड़े हो गए। आप उस परिवार के भ्रष्टाचार के पीछे डटकर खड़े हो गए जो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त था। आप उनके पीछे रैली निकालकर चल पड़े। यह मामला केवल शिमला क्लीनवेस्ट कंपनी तक सीमित नहीं है। पूरे प्रदेश में चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में लगभग 1,000 नौकरियां पिछले दरवाजे से बांटी गईं। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी पारदर्शिता और पात्रता का ध्यान नहीं रखा गया। हैरानी की बात है कि हरियाणा जैसे राज्य में वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद ओम प्रकाश चौटाला जैसे मुख्य मंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। यही वह वजह थी कि चिट्ठों के आधार पर नौकरियां बेची गई हैं और उसी का परिणाम है कि हम जैसे युवा जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे आज सदन के अंदर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि केवल यही नहीं बल्कि ऐसी बिल्डिंगों का भी निर्माण किया गया जिनमें पांच फ्लोर बना दिए गए। आज भी उनमें से केवल एक फ्लोर ही काम कर रहा है और चार फ्लोर काम नहीं कर रहे हैं। उन फ्लोरों तक जाने के लिए न तो कोई रास्ता है और न ही सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस तरह की बिल्डिंगों का निर्माण किया गया है।

मैं सदन का ध्यान एक अस्पताल की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। उस अस्पताल में 80 शौचालय बनाए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी बिल्डिंगों को किसने डिजाइन करवाया? पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं ऐसा अस्पताल दिखा दीजिए जो एक छोटी-सी जगह में बनाया गया हो और उसमें 80 शौचालय बना दिए गए हों। इस तरह के

हालात आपके समय में पैदा हुए हैं और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पूरा विवरण हम आपके समक्ष रखेंगे। अभी इनका उद्घाटन करवाया जाएगा और उसके बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब हम आपको एक-एक करके किस्तों में बताएंगे। उस अस्पताल में केवल 50 बैड हैं। आप कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

17.11.2026/1640/डी.टी./ए.जी.-1

श्री चंद्र शेखर जारी...

लेकिन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर कौन-सी पारदर्शिता बरती गई? आपने बी0एस0सी0 और बी0एड0 कोर्स के उन लोगों को नियुक्त कर दिया जो कमीशन के माध्यम से नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनवा दिया। आपने एक निजी विश्वविद्यालय में कार्यरत पूरे टीचरों के क्लब को उठाकर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित कर दिया। उस पूरे क्लब पर आपने इतनी दया दिखाई कि उसे उठाकर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में पहुंचा दिया। आप सरदार पटेल का नाम क्यों लेते हैं? उनके नाम के आगे तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। आपने गुजरात में उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित करवाई है जिसका दर्शन पूरा भारत और पूरी दुनिया करती है। आपने उनके नाम को विश्वविद्यालय से जोड़ दिया ताकि उस नाम के आगे सब बौने नजर आएं क्योंकि उस नाम के आगे सारा हिंदुस्तान बौना है। लेकिन आपने वहां जिन टीचरों को नियुक्त किया है उनके खिलाफ आज भी अगर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इंक्वायरी हो तो भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। आपने उन्हें इस तरह का प्रिविलेज दे दिया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो क्योंकि उन्हें देश की संसद में बिठा दिया गया है। कोई कुछ बोल ही न सके। आपने वहां 200 से अधिक टीचर नियुक्त कर दिए।

आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा में 21वें स्थान पर चला गया। यह कब हुआ? यह हमारा आंकलन नहीं है बल्कि भारत सरकार का आंकलन है। यदि आप इसी तरह की करतूतें करते रहेंगे तो हम 21वें स्थान पर नहीं बल्कि 28वें और 30वें स्थान पर पहुंच

जाएंगे। हिमाचल का सूबा बहुत छोटा था। पिछले तीन दशकों में हमें शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में जाना जाता था। लेकिन वर्ष 2017 से 2022 के समय में आपने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। आज इन बातों को समझने की आवश्यकता है। आज इस मुल्क में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और उसको लेकर पूरा भारत आंदोलित है। अभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने स्वयं चुनाव आयोग में जाकर शिकायत की है। लेकिन मैं इस मामले में भुगतभोगी हूं। मैं हिमाचल प्रदेश में वोट चोरी का पहला भुगतभोगी हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि सामने वाले इस ट्रिक को लागू कर लें फिर भी जीत नहीं पाएंगे। यह ट्रिक वर्ष 2022 में लागू की गई थी। यह भी भ्रष्टाचार है। यह राजनीतिक जीवन में किया जा

17.11.2026/1640/डी.टी./ए.जी.-2

रहा भ्रष्टाचार है। आपने सबसे पहले करसोग में 50 बच्चों को नौकरियां दीं। आपके पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक ने वहां अपने बगीचे बना रखे थे और आपने उन्हें खुली छूट दे रखी थी कि जहां मर्जी हो जितनी मर्जी नौकरियां बांटो। आपने करसोग में खुले तौर पर नौकरियों की नीलामी की। जब आपने नौकरियां दे दीं तो हमारे विधायक आदरणीय दीप राज जी यहां विराजमान हैं जो करसोग से संबंधित हैं। इनसे भी मेरी चर्चा हुई है। ये भी इस बात को लेकर शर्मिंदा होते हैं। दीपक तले अंधेरा हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मैं सदन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय निर्णयक मंडल को बताना चाहता हूं कि करसोग के पांगणा और चरखड़ी से जल शक्ति विभाग के 50 कर्मचारियों को चुनाव के दिन के अगले दिन सुबह धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र में वोट डालने के लिए लाया गया। इन कर्मचारियों को बस में बैठाकर वहां पहुंचाया गया।

इससे बड़ा वोट चोरी का प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या हो सकता है? हिमाचल प्रदेश जैसी छोटी जगह में करसोग से 50 लोगों को बस में बैठाकर धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र में लाया गया। पिछली बार सत्ता पक्ष में आसीन रहे मंत्री ने जल शक्ति विभाग के इन 50 कर्मचारियों को वहां से अपने घर के अंदर वोट डलवाने लाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय निर्णयक मंडल को बताना चाहता हूं कि इससे बड़ा वोट चोरी का प्रत्यक्ष उदाहरण और क्या हो सकता है? यह भी करप्शन है। करप्शन केवल पैसे के लेन-देन तक सीमित नहीं है

बल्कि नैतिक पतन भी चोरी का मामला बनता है। यह जो घटना हुई उसमें 50 लोगों को लाया गया और उन सभी का पता लिखवाया गया। It is on record. उनका पूरा पता लिखवाया गया। करसोग से 50 लोगों को एक घर के पते पर वोट डालने के लिए लाया गया। यदि आप इस तरह के जुगाड़ करके सत्ता में आना चाहते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है।

श्री एन.जी. द्वारा जारी.....

17.11.2026/1645/ए.जी.-एन.जी./1

श्री चंद्र शेखर..... जारी

जनता आपको बहुत बुरी तरह से ठुकराएगी और मुझ जैसे व्यक्ति को फिर से जिताएगी। ये कारनामें और करतूतें आपकी ही थीं जिन्हें धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता ने देखा, परखा और ठुकराया। मैं इस बात को आपके समक्ष कहना चाहता हूं। इससे बड़ी वोट चोरी कोई और हो नहीं सकती। आपके माध्यम से मैं सदन के अंदर इस बात को रखना चाहता हूं। विपक्ष के लोग प्रदेश की सरकार के ऊपर बोलते हैं। राष्ट्र की सरकार, जिसे आप डबल इंजन की सरकार बोलते हो, क्या उसके ऊपर बोलोगे? आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी अभी सदन से बाहर चले गए हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र, मेरे विधान सभा क्षेत्र, सरकाघाट व हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र, इन चार विधान सभा क्षेत्रों के अंदर एन0एच0-03 का काम चल रहा है। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक इसके ऊपर बोलेगा? आज उस एन0एच0-03 के जो हालात हुए हैं, उसके ऊपर क्या कोई बोलेगा? सभापति महोदय, उस एन0एच0 पर दो बार पुल गिर गया और आज तक कंपनियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके लिए किसी भी बीजेपी के नेता ने एक शब्द भी नहीं बोला है। वहां की जनता पिछले तीन सालों से त्राहि-त्राहि कर रही है। यह भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? यह खुल्लम-खुला भ्रष्टाचार है, जो उदाहरण हमारे सामने इस वक्त दिखता है। मैं इसकी तरफ भी आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बोलना नहीं चाहता था,

सभापति महोदय, लेकिन जिस तरह की बातें की जा रही हैं, इसके ऊपर मैं कभी चर्चा के दौरान बात करूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में यह केस लंबित पड़ा है और मैं इसका जवाब वहां पर दूंगा। लेकिन आज दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। पूर्व सरकार के नेतागण सत्ता में बैठकर, संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने थे और तत्कालीन राजस्व मंत्री के ऊपर नैतिक, मौलिक और संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि एफ0आर0ए0 एक्ट, 2006 को लागू करते।

17.11.2026/1645/ए.जी.-एन.जी./2

उन सब कब्जों को, जो इस वक्त नाजायज दिखते हैं, लेकिन वे नाजायज नहीं हैं। प्रदेश की जनता ने वर्ष 2005 से पहले से जहां पर दुकान बना रखी है, गौशालाएं बना रखी हैं, मकान बना रखे हैं, जिसके लिए आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी एक मुहिम के तौर पर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार के अंदर क्या हुआ? उस समय के राजस्व मंत्री ने अपने पद का उपयोग सही तरीके से नहीं किया। पिछली सरकार में पिछले राजस्व मंत्री का होटल इसका एक बड़ा उदाहरण है। प्रेस के साथियों और प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूं क्योंकि आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा कि किसी होटल के मालिक ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया और जब मामला उजागर हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट दिया गया कि सरकारी भूमि पर मेरा कब्जा हो गया है तथा मेरे पास निजी भूमि फालतू में पड़ी है, उसको सरकार ले ले और मुझे जो मैनें सरकारी भूमि पर अपना होटल बना रखा है, उसको रेगुलराइज कर दिया जाए। अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर, एस0डी0एम0 और तहसीलदार से तत्कालीन राजस्व मंत्री द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिलवाए गए। यह मामला दिनांक 08-12-2017 से शुरू होता है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट नवम्बर-2021 में कहता है और वर्ष 2017 के अंदर एन0जी0टी0 बोलता है कि भाई, आपने मनाली के अंदर अपने होटल में जो कब्जा कर रखा है, उसको छोड़ दीजिए और एफिडेविट दीजिए कि आपने वह कब्जा छोड़ दिया है।

वहां पर झूठा एफिडेविट दे दिया गया कि कब्जा छोड़ दिया गया है। कहा गया कि हम पर अगर जुर्माना लगाना ही है तो हम 1,000 पेड़ लगाएंगे। सभापति महोदय, आज तक एक पेड़ नहीं लगाया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ पर झूठ बोलकर अधिकारियों से एफिडेविट दिलवाए गए। माननीय श्री राजेश धर्माणी जी के महकमें में मैंने पिछली बार भी बात की थी, उस होटल को जहां 721 स्क्वायर मीटर टी0सी0पी0 की सैंक्शन थी, पूर्व सरकार में टी0सी0पी0 मंत्री होते हुए उन्होंने अपने होटल की उस सैंक्शन को 721 स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर

ए0टी0 द्वारा.....जारी

17.11.2026/1650/AT/DC/-01

श्री चंद्र शेखर जारी....

लगभग 950 वर्ग मीटर करवा लिया। आम आदमी को यदि ऐसा कोई कार्य करवाना पड़े, तो उसे पूरा जीवन लग जाएगा। सरकारी भूमि को छोड़ना तो उसके लिए लगभग असंभव है। लेकिन इन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया और अपनी भूमि भी कहीं नहीं छोड़ी। यह एक मामला मैं आपके समक्ष रख रहा हूं।

दूसरा मामला इन्हीं से संबंधित है, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। वर्ष 1970 में नौतोड़ भूमि बगीचे के उद्देश्य से इन्हें आवंटित की गई थी। वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने आदेश दिए कि इसके दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएं। यह जानकर हैरानी हुई कि बतौर राजस्व मंत्री उस नौतोड़ पट्टे के दस्तावेज ही गायब कर दिए गए हैं। आज स्थिति यह है कि सरकार और सरकारी अधिकारियों के पास उस बगीचे से संबंधित एक भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भ्रष्टाचार के ये मामले सदन के समक्ष रख रहा हूं। इसके बाद एक और मामला क्रशर से संबंधित है। अपने विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1999 से पहले हमने कोई क्रशर नहीं देखा था। लेकिन वर्ष 1999 में पूर्व मंत्री जी ने पुत्रमोह में आकर एक क्रशर लगवा दिया। उनका यह पुत्रमोह आज भी जारी है और भारतीय जनता पार्टी उसे पोषित कर रही है। इस क्रशर के लिए आवंटित भूमि का आधा हिस्सा मंडी जिले में और आधा हमीरपुर जिले में पड़ता है। दोनों जिलों के

अधिकारी कभी एक साथ बैठकर इस मामले की जांच नहीं कर पाए। एन0जी0टी0 सहित सभी संबंधित अधिकारियों के पास इसकी शिकायतें की गईं लेकिन कभी इसकी जाँच नहीं हो पाई। क्रशर और खनन के लिए जो पट्टा लिया गया, वह हमीरपुर जिले में लिया गया जबकि क्रशर मंडी जिले में चलता है। सभापति महोदय, मजेदार बात यह है कि उस क्रशर में जितना भी खनन आज तक पिछले 26 सालों के अंदर हुआ है। इस क्रशर के लिए आवंटित पट्टे वाली भूमि से खनन सामग्री की एक बाल्टी, एक तसला या एक बेलचा तक नहीं निकाला गया। सारा खनन मंडी जिले से होता है जबकि पट्टा हमीरपुर जिले में है। आज तक वहां से खनन सामग्री का एक तसला तक नहीं निकला। क्रशर संचालकों का कहना है कि उन्होंने बिजली पर साढ़े तीन लाख रुपये खर्च किए जबकि सरकार के

17.11.2026/1650/AT/DC/-02

दस्तावेजों में बिजली का खर्च साढ़े चार लाख रुपये दर्शाया गया है। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।

इसके अतिरिक्त, इस क्रशर का माइनिंग प्लान 60 हजार मीट्रिक टन का था। मैं यहां उपस्थित माननीय मंत्री श्री हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन बड़ी मछलियों के विरुद्ध भी कोई जांच करवाएगी, जबकि आप छोटे क्रशर संचालकों के विरुद्ध जांच करवा रहे हैं? पिछले 26 वर्षों से लंबित इस मामले की जांच आखिर कब होगी?

सभापति महोदय, मजेदार बात देखिए कि ये लोग चुनाव लड़ने में पूरी तरह पारंगत हैं। चुनाव लड़ना और किसी भी तरह उसे जीतना इनकी विशेषता है। इस मामले में भी देखिए कि क्या हुआ। जब क्रशर परिसर में बनाई गई इमारत के संबंध में यह बात सामने आई कि वह सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई है और इस कारण सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला उजागर हो सकता है तो गांव के एक बेरोजगार लड़के को पकड़कर कह दिया गया कि यह इमारत उसकी है। इसके बाद धारा-163 के अंतर्गत जो मुकदमा बनाया गया वह भी उस बेरोजगार युवक के विरुद्ध दर्ज कर दिया गया। वह बेचारा आज तक अपनी सफाई देता फिर रहा है। उसका कहना है कि न तो यह इमारत उसकी है, न उसने इसमें पैसा लगाया है और न ही बिजली का मीटर उसके नाम पर है। इसके बावजूद उसके नाम पर धारा-163 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई जबकि वास्तविक क्रशर किसी

बहुत बड़े व्यक्ति का है। जिससे पिछली सरकार में पूरा विधायक दल डरता था। कोई भी उसके विरुद्ध एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पिछली सरकार में मुख्य मंत्री तक पर दबाव बनाया जाता था लेकिन आज तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। ...(व्यवधान) मेरे भाजपा के साथी भी इस मामले में पुरजोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी इस मांग का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस बात को सुन रहे हैं। वे भी कह रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ है, तो अब इसे उजागर किया जाना चाहिए। समय आ चुका है कि इस मामले की सच्चाई सामने लाई जाए। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, ये कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें मैं सदन में नहीं उठाना चाहता था। लेकिन आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस काम रोको स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एक प्रमाण-पत्र जारी करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मुख्य मंत्री जी ने अभी-अभी केवल ट्रेलर के तौर पर अपना जवाब दर्ज करवाया है **.....श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी...**

17.11.2026/1655/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
श्री चंद्र शेखर..... जारी

आप यह तय मान लें कि इस प्रदेश में मुख्य मंत्री जी गरीब आदमी के हक में और हिमाचल प्रदेश के हित में जो फैसले ले रहे हैं, चाहे किसान का मामला हो, भाखड़ा का मामला हो, वाइल्डफ्लावर हॉल का मामला हो या प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा अब तक लिए गए अन्य फैसले हों, जब ये फैसले जमीन पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं तो विपक्ष में बखलाहट पैदा होनी शुरू हो गई है। कुछ भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को बचाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रदेश में यह मुद्दा न बन जाए कि सरकार सही तरीके से भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कारण से विधायक दल पैनिक में है और हड़बड़ाहट में इस तरह का प्रस्ताव लाया गया है। सुबह से इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर जो मुजाहिरा हो रहा है, उस पर मुझे यही कहना है कि विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इनके कार्यकाल में प्रदेश के अंदर क्या-क्या हो चुका है। प्रदेश की जनता सब देख रही है।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.11.2026/1655/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

सभापतिः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमार : सभापति महोदय, नियम-67 के अंतर्गत जो काम रोको प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, जब से प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार बनी है, तब से पूरे प्रदेश में हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज जब हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं, प्रबुद्धजनों और वरिष्ठ सहयोगियों से बात करते हैं तो निश्चित

तौर पर सभी की ओर से एक ही बात सामने आती है कि हिमाचल ऑन सेल, कांग्रेस सरकार चार साल में हो गई फेल। इन शब्दों का प्रयोग आज हर गली-मोहल्ले में हर व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं सभी सदस्यों की बातें सुन रहा था। श्री चंद्र शेखर जी भ्रष्टाचार को लेकर अपनी बात रख रहे थे लेकिन वे भ्रष्टाचार के मुद्दे से थोड़ा भटक गए। वे सरदार पटेल जी के स्टैच्यू तक पहुंच गए और एस0आई0आर0 तक पहुंच गए जबकि यहां चर्चा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो रही थी। मैं कई बार इस बात को लेकर हैरान होता हूं कि जो व्यक्ति इस विधान सभा में उपस्थित ही नहीं है और आज की तारीख में इस विधान सभा का सदस्य भी नहीं है उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यही निवेदन है।

सभापति महोदय, मैंने एक और बात सुनी, उन्होंने कहा कि उनके धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र के लगभग 1,800 नौजवानों को पिछली सरकार के माध्यम से पूर्व मंत्री, श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी के प्रयासों से रोजगार दिया गया। माननीय सदस्य जी, उनमें दम था इसलिए उन्होंने रोजगार दिया। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? यदि आपको लगता है कि गलत तरीके से रोजगार दिया गया था तो पिछले 4 वर्षों से सरकार क्या कर

रही थी? आप उन लोगों को बाहर करते और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते। केवल बोलने से बात नहीं बनने वाली है। यदि आप ऐक्शन मोड में आते हैं तब तो आपकी बात समझ में आती।

17.11.2026/1655/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

इसके अलावा यह भी कहा गया कि पूर्व मंत्री जी के कार्यकाल में जल शक्ति विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और बात करते-करते मामला उनके होटल तक पहुंच गया तथा यह भी कहा गया कि पिछला विधायक दल उनसे डरता था। मैं पूछना चाहता हूं .....

एन0एस0 द्वारा .... जारी

17-11-2026/1700/NS-HK/1

श्री विनोद कुमार------जारी

मैं पूछना चाहता हूं कि किसने कहा कि उनसे डरता था? चलो ठीक है कि हमारा विधायक दल डरता था लेकिन आपकी सरकार को बने हुए चार वर्ष हो गए और आप इस माननीय सदन में बताएं कि आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आपको इस बात को यहां बताना चाहिए।

सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइए। अभी काफी माननीय सदस्य इस स्थगन प्रस्ताव पर बोलने वाले हैं और यह चर्चा कल भी जारी रहेगी। माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी कल भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला (तपोवन)- 176215 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांकः 17 नवम्बर, 2026 **सचिव।**